लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-12, मंगलवार, 5 अगस्त, 1969/14 श्रावण, 1891 (शक)
No.-12, Tuesday, August 5, 1969/Sravana 14, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
331	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	1–2
345	ट्रैक्टरों के मामले में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Tractors	2–3
357	ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors	3–12
332	केरल तथा अन्य राज्यों में अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करना	Setting up of Newsprint Factories in Kerala and other states	12–14
333	धर्म परिवर्तन के पश्चात् आदिम जातीय लोगों को विशेष सुविधाओं का समाप्त करना	Discontinuation of special facilities to tribals after conversion	14–15
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता. प्र. संख्या/S. Q. No.			
334	कानपुर में फर्मों पर छापे	Raid on firms in Kanpur	16
335	अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षणों का जारी रखना	Continuation of safeguards for Scheduled Castes	16
336	एक समान सिविल संहिता	Uniform civil code	17
337	गैर सरकारी संस्थाओं को समाज कल्याण कार्यों के लिये अनुदान	Grants to private institutions for Social Welfare Activities	17–18
338	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Economically Backward People	18

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
339 कच्चे लोहे (पिग आयरन) की कमी	Shortage of Pig Iron ...	18–19
340 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और बोकारो इस्पात कारखाने का कार्य संचालन	Working of Heavy Engineering Corporation, Ranchi and Bokaro Steel Plant	19
341 मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Company, Bombay	20
342 तेलगांव में स्थानीय रेलगाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचना	Pulling of Alarm Chains in local trains at Talegaon	20–21
343 समस्तीपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के डिविजनल कार्यालय भवन के निर्माण के लिये भूमि की खरीद	Purchase of land for building of Divisional Office of North Eastern Railway at Samastipur	21
344 क्यूल जमालपुर सैक्शन (पूर्वी रेलवे) पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना, देरी से चलना तथा दुर्घटनायें	Derailment, delays and Mishaps on Kiul Jamalpur Section (Eastern Rly.)... ...	21
346 पोर्टलेंड सीमेन्ट	Portland Cement	22
347 कागज का मूल्य	Price of paper	22
348 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटे में संगचल कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Running Staff in reserved quota for scheduled Castes and scheduled tribes	23
349 दिल्ली में हरिजनों के उत्थान की योजनायें	Schemes for uplift of Harijans in Delhi ...	23–24
350 नांगल से ऊना तक रेलवे लाइन	Railway line from Nangal to Una	24

351	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का सुधार	Improvement of Delhi and New Delhi Railway Stations ...	24–25
352	कागज का आयात	Import of paper	25
353	जम्मू-काश्मीर में उप-चुनाव	Bye elections in Jammu and Kashmir ...	25–27
354	मैसर्स हिन्द गेलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा) लिमिटेड को इस्पात के चादरों की सप्लाई	Supply of steel sheets to M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. ...	27–28
355	रेलगाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains	28–29
356	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	Hindustan Machine Tools	29
358	हरियाणा में कच्चे लोहे (पिग आयरन) कारखाने की स्थापना	Establishment of a Pig Iron Plant in Haryana	30
359	तेलंगाना आंदोलन के कारण रेलवे संपत्ति की हानि	Loss to Railway property due to Telengana agitation	30–31
360	बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य पूर्ण होना	Completion of Bokaro Steel Plant	31

अता॰ प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.

2124	खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे माल का आयात	Import of Raw materials through M.N.T.C. or STC	31–32
2125	मैसर्स रेमिंगटन रेड को लाइसेंस	Licence to M/s Remington Rand	32–33
2126	रेलवे सैलून तथा टूरिस्ट कार	Railway saloons and tourist cars	33–34

2127	जमालपुर रेल इंजन वर्कशाप से अलौह वस्तुओं की चोरी	Theft of Non-ferrous material from Jamalpur Loco Workshops	34--35
2128	चार पहिये वाले माल डिब्बे	Four Wheeler Wagons	35
2129	रेलवे में भोजनयान में नियुक्त कर्मचारी	Staff employed in Railway Dining Cars ...	36
2130	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के स्कूल और आवास की छत का गिरना	Collapse of roof of school and Home for mentally retarded children	36--37
2131	रेलवे में कार्यसारित श्रमिक	Work charged labourers on Railways ...	37
2132	समाज कल्याण गोष्ठी	Social Welfare Seminar	37--38
2133	आत्महत्या को अपराध मानना	Sucide as an offence	38
2134	टेनिस की गेंदों की कमी	Paucity of Tennis Ball	38--39
2135	अनुसूचित जातियों का आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन	Economic and Social Backwardness of Scheduled Castes	39
2136	अनुसूचित जातियों के लिये नौकरी के अवसर	Employment opportunities for scheduled castes	39--40
2137	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र में विनियोजन	Investment in private sector during Fourth Plan	40--41
2138	इस्पात की उत्पादन क्षमता का विस्तार	Expansion of production capacity of Steel ...	41--42
2139	राजधानी एक्सप्रेस के रेलवे कर्मचारियों को भत्ते	Allowances for Railway staff detained on Rajdhani Express	42--43
2140	नक्सलवादियों की समाज विरोधी गतिविधियों के कारण रेलवे सम्पत्ति को हानि	Loss to Railway property due to Anti social activities of Naxalites	43

2141	रेलवे के मुख्य इंजीनियरों का सम्मेलन	Conference of Railway Chief Engineers ...	43
2142	चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in U. P. during Fourth Plan	44
2143	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board	44
2144	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of uniforms to Railway Employees of NE Railway	45
2145	फैजाबाद में छोटे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Mini Tractor Factory at Faizabad	45
2146	ट्रैक्टरों के टायरों की कमी	Shortage of Tyres	45--45
2147	अलौह धातु, तारों और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of non-feerous metals, cables and industrial raw materials	46
2148	बेकार इस्पात का निर्यात	Export of steel scrap	47
2149	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री	Sale of H. M. T. watches	47--48
2150	रेलवे में प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त बर्थों की व्यवस्था	Provision of additional Ist class berths on Railways	48
2151	मीटर गैज सैक्शन पर तेज गति से चलने वाली गाड़ियां	High speed trains on metregauge sections ...	48
2152	मनमाड से ढोंड स्टेशनों तक मेल / एक्सप्रैस गाड़ियां	Mail/express trains from Manmad to Dhond Stations	49
2153	मफतलाल उद्योग समूह/फर्में	Mafatlal Group of Industries/Firms ...	49--50
2154	काजीपेट और वार्धा के बीच गाड़ियों का देर से चलना	Late running of trains between Kajipet and Wardha	50

2155	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये महाराष्ट्र को गृह निर्माण के लिये अनुदान	Housing Grants to Maharashtra for Scheduled castes and scheduled Tribes ...	50--51
2156	रेलवे सुरक्षा विशेष दल के लिये जवानों की भर्ती	Recruitment of jawans in Railway protection special force	51--52
2157	रेलवे मंत्रालय में रक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of scheduled castes and Scheduled Tribes Employees against reserved posts in Railways Ministry	52
2158	रेलवे बुकिंग क्लर्कों द्वारा टिकट देने में विलम्ब करना	Delay in issuing tickets by Railway Booking clerks	52
2159	दिल्ली तथा मेरठ के बीच शटल रेलगाड़ी	Shuttle service between Delhi and Meerut...	53
2160	रेलवे स्टेशनों पर ठेकों से आय	Railways Earnings from contracts at Railway Station	53
2161	औद्योगिक लाइसेंस नीति	Industrial licencing policy	53--55
2162	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्य के परिणाम	Working results of Hindustan Machine Tools, Limited	55--58
2163	चुनाव याचिकाएं	Election Petitions	58
2164	मुरादाबाद-चंदौसी-सम्भल लाइन पर रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Over-bridge at Railway Crossing on Moradabad-Chandausi-Sambhal	58--59
2165	सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिये सामाजिक संस्थाओं द्वारा सहयोग	Cooperation by Social Institutions to remove social evils	59
2166	उद्योगपतियों द्वारा व्यापार चिन्हों का प्रयोग	Misuse of Trade Marks by Industrialists ...	59--60

2167	देहरादून एक्सप्रैस में तीसरी श्रेणी के डिब्बों में मेरठ से दिल्ली यात्रा करने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Travelling in III Class compartments from Meerut to Delhi in Dehra Dun Express ...	60
2168	काश्मीर तथा अन्य स्थानों के धार्मिक न्यासों की निधि का दुरुपयोग	Misuse of Funds of Religious Trusts in Kashmir and other places	60--61
2169	पूर्वोत्तर रेलवे में असिस्टेंट पर्मानेंट व इन्सपैक्टरों का स्थायीकरण	Confirmation of A. P. W. Is. on N.E. Railway	61
2170	भारत में उद्योगों की स्थापना के लिये भारत तथा रूस के बीच करार	Agreement between India and Russia for setting up of Industries in India ...	61--62
2171	लोकसभा के लिये मिदनापुर में उप-चुनाव	Midnapur Bye election to Lok Sabha ...	62
2172	हरियाणा में नगरपालिकाओं के चुनाव	Municipal Elections in Haryana	63
2173	हिन्द कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना	Establishment of Hind Containers (P)Limited	63--64
2174	मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड के उपप्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Dy. Managing director of M/s Orissa Cement Ltd.	64
2175	सभी नागरिकों के लिये समान आचार संहिता	Uniform Civil Code for all citizens... ...	64
2176	भारतीय क्रांति दल को मान्यता देना	Recognition of Bhartiya Kranti Dal ...	64--65
2177	गाड़ियों में बिजली और पंखे	Fans and lights in trains	65
2178	चिट्टगिड्डा और विकाराबाद रेल मार्ग पर तोड़-फोड़	Sabotage of rail track between Chittigidda and ikarabad	65--66
2179	नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines	66

2180	त्रिपुरा में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस	Licences for setting up of Industries in Tripura	66--67
2181	डालमिया उद्योग समूह में पूंजी विनियोजन	Capital Investment in Dalmia Group of Industries	67
2182	गाड़ियों के आने जाने की समय सारणियां तैयार करने के लिये समिति	Committee for Laying out Time Tables for movement of trains	67
2183	महिलाओं की सामाजिक स्थिति	Status of Women	67--68
2184	राजस्थान में रेल की पटरियों पर रेत को जमा होने से रोकने के उपाय	Measures to prevent sand accumulation on Railway Track in Rajasthan	68
2185	मांग और सप्लाई में संतुलन बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्य करने के लिये तकनीकी समिति	Technical Committee to Chalk out action necessary to ensure balance in Demand and Supply	68--69
2186	भारतीय स्वामित्व वाली सिगरेट बनाने वाली फर्मों का विस्तार	Expansion of Indian owned Cigarette Manufacturing firms	69
2187	रेलवे यातायात में सुधार करने के उपाय	Steps for improvement in Railway Traffic ...	69--70
2188	कृषि के उप-उत्पादों का प्रयोग	Utilisation of agricultural by products ...	70--71
2189	दिल्ली शाहदरा से सहारनपुर तक ब्राड गेज लाइन	B. G. Line from Delhi Shahdra to Saharanpur	71
2190	संयुक्त अरब गणराज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये भारत की सहायता	India's help for development of small Scale Industries in UAR	71--72

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2191	स्टेनलैस स्टील की कमी	Shortage of stainless steel 72
2192	दिल्ली जोधपुर एक्सप्रैस के साथ लगने वाला यात्री डिब्बा	Passenger coach attached to Delhi-Jodhpur Express 72--73
2193	रामपुर और हल्द्वानी के बीच रेलगाड़ी सेवा	Train service between Rampur and Haldwani 73
2194	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to S. C/ST Students... 73
2195	बिहार की कपाड़िया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना	Inclusion of Kapariya Caste of Bihar in Scheduled Castes List .. 73--74
2196	रेलवे गैंगमैनों के लिये रिहायशी मकान	Residential accommodation for Railway Gangmen ... 74--75
2197	सोनपुर रेलवे संघर्ष समिति द्वारा आन्दोलन करने की धमकी	Agitation threat by Sonpur Railway Sangharsh Samiti 75
2198	कार बनाने के कारखाने का विस्तार	Expansion of Car Plants 75-76
2199	जिवीजन बनाने की योजनाओं का विरोध	Protest againt Divisionalisation Schemes ... 76
2200	गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में लाईसेंस देने की नीति पर पुनर्विचार	Review of licensing policy in regard to private sector industries 76
2201	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइन	New Railway lines in Madhya Pradesh ... 77
2202	मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के आन्दोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Loss to Railway due to students' agitation in Madhya Pradesh 77

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
2203	लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries ...	77
2204	मध्य प्रदेश के कम आय वाले वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships for low income Group Students of Madhya Pradesh	77--78
2205	वातानुकलन और प्रशीतन उद्योग की बेकार क्षमता	Idle capacity of Air Conditioning and Refrigeration Industry ...	78
2206	गाड़ियों में रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों की क्षमता	Security of Railway Employees and Passengers on trains	79
2207	राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to states ...	79
2208	मैसर्स अतुल प्रोडक्टस	M/s. Atul Products	79
2209	पश्चिम रेलवे टिकट निरीक्षण कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Western Railway Ticket checking Staff Association	80
2210	बिड़ला सार्थ समूह की फर्म	Birla Group of Concerns ...	80
2211	साहू जैन उद्योग समूह	Sahu Jain Group of Industries	80
2212	हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल द्वारा नहीं भुगतान किये गये पानी के बिल	Unpaid water charges by Heavy Electricals, Bhopal	81
2213	दक्षिण रेलवे पर रेलों का चलना बन्द करना	Cancellation of train service on Southern Railway	81--82
2214	इस्पात आदि की मांग	Demand for steel etc. ...	82
2215	संयुक्त औद्योगिक उद्यम	Joint Industrial ventures	82--83
2216	चौथी योजना में कृषि उद्योग	Agro Industries in Fourth Plan ...	84
2217	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों क्रियान्विति	Implementation recommendations of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	84

2218	गोइंका उद्योग समूह	Goenka Group of Industries	84--86
2219	पालेजाघाट से दरभंगा तक 82 अप रेलगाड़ी का देरी से चलना	Late running of 82 Up train from Pahlezaghat to Darbhanga	86
2220	दरभंगा जंक्शन पर कंट्रोल रूम से सम्बन्धित फोन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु फोन	Control phone and Administrative phone at Darbhanga Junction	87
2221	भारतीय मानव संस्था	Indian Standards Institution	87
2222	विदेशों के लिये रेलवे परामर्शदाता	Railway consultants for foreign countries ...	87--88
2223	मध्य रेलवे की शाखा लाइनों पर गाड़ियों का देर से चलना	Late running of Trains on Branch lines on Central Railway	88--89
2224	रेलगाड़ी संख्या 161 की रेवाड़ी से बांदीकुई के बीच समय सारिणी	Time Schedule of Train No. 161 Running from Rewari to Bandikui Stations ...	89
2225	हरसौली स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर यात्री सुविधाएं	Passenger facilities at Harsauli Stations (Western Rly.)	89
2226	भारतीय इंजीनियरिंग डिजाइन कम्पनीज को मुख्य ठेकेदार नामांकित करना	Nomination of Indian Engineering Design Companies as Prime Contractors ...	89--90
2227	बालीगंज में सिटी बुकिंग आफिस	City booking office in Ballygunge	90
2228	गोआ में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Goa ...	90--91
2229	रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों की शिकायतें	Grievance of Railway Commercial Clerks ...	91
2230	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्यात	Export by H. M. T. ...	91--92

2231 बोकारो इस्पात परियोजना	Bokaro Steel Project	92--93
2232 दूसरे मार्ग से गाड़ियां चलाने के कारण यात्री तथा सामान के यातायात के लिये रेल उपभोक्ताओं से अधिक किराया लिया जाना	Charging of Higher Fare from Railway users for passenger and Goods Traffic to the South as a Sequel to Diversion of Trains	93
2233 उड़ीसा के औद्योगिक एककों की लोहे तथा इस्पात की कतरनों की सप्लाई	Supply of iron and steel scraps to Industrial Units of Orissa	94
2234 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में बिक्री योग्य इस्पात में कमी	Decrease in saleable steel in H.S.L. Plants ...	94
2235 विदेशी गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा पश्चिम बंगाल में नयी परियोजनाओं का स्थापित न किया जाना	Foreign private sector companies not setting up new projects in West Bengal ...	95
2236 भारत रूस संयुक्त उपक्रम	Indo-USSR Joint Ventures	95--96
2237 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों के लिये विदेशों में प्रशिक्षण	Training for HMT employees abroad ...	96
2238 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का उत्पादन कार्यक्रम	Production programme of Hindustan Steel Ltd.	96--97
2239 दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff quarters for Railway employees at stations on South Eastern Railway ...	97--98
2240 आय कर सम्बन्धी अपीलें तथा निर्दिष्ट मामलें	Income Tax appeals and references... ...	98
2241 इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर	Integral coach Factory, Perambur	98--99

अता. प्र. संख्या/U,S.Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2242	दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल कर्मचारियों का वेतन	Salary of Railway employees of South Eastern Railway ... 99
2243	गैर सरकारी क्षेत्र में केबल फैक्टरी की स्थापना	Setting up of cable factory in private sector 99--100
2244	उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता	Seniority of Stenographers on Northern Railway 100
2245	दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरीयता सूची	Combined seniority list of Assistant Station Masters of Delhi and Ferozpur Divisions 100--101
2246	उत्तर रेलवे में अधिक वेतन क्रम के पदों पर जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति	Promotion of Junior Stenographers to Higher Grade on Northern Railway... 101
2247	अधिक वेतन क्रम के लिये स्टेनोंग्राफरों का चयन	Selection of Stenographers for Higher Grade 101
2248	आन्ध्र प्रदेश में नयी रेलवे लाइनें	New Railway lines in Andhra Pradesh ... 101
2249	खाद्यानों पर आधारित उद्योगों के लिये संयुक्त-राष्ट्र संघ द्वारा सहायता	U. N. help for food based Industries 102
2250	गेहूँ के लदान के लिये भारतीय खाद्य निगम को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Food corporation of India for Transporting 102--103
2251	चलती गाड़ियों में हत्यायें	Murder cases in Running Trains... ... 103
2252	मानिकपुर झांसी यात्री गाड़ी का रोका जाना	Detection of Manikpur Jhansi passenger Train 104
2253	माल ढोने के लिये रेलवे के स्थान पर ट्रकों आदि का प्रयोग बढ़ना	Diversion of Goods Traffic from Railways to Road 104--105

2254	इटारसी तथा जबलपुर के बीच यात्री डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के फासला तय करने का समय	Running Time of Passengers, Mail and Express Trains between Itarsi and Jabalpur ...	105--106
2255	हाकी टीमों में चुने जाने के लिये रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training of Railwaymen for Selection in Hockey Teams	106
2256	लखनऊ-बम्बई और बम्बई कोचीन पतन के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाया जाना	Direct trains between Lucknow-Bombay and Bombay-Cochin Harbour	107
2257	रेलवे कर्मचारियों को दक्षता पुरस्कार	Efficiency Awards to Railway Employees	107
2258	ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Tractors	107--108
2259	मेलानी, उतर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint factory at Mallani in U. P. ...	108--109
2260	जूट व्यापार में सट्टेबाजी	Hedge contract in Jute Trade ...	109
2261	तालचेर विमलगढ़ रेल सम्पर्क	Talcher Bimalgarh Rail Link ...	109
2262	विमलगढ़ तथा तालचेर के बीच रेल सम्पर्क	Rail link between Bimalgarh and Talcher	109--110
2263	तालचेर और विमलगढ़ के बीच रेल लाइन	Missing link between Talcher and Bimalgarh	110
2264	हरिजनों के लिये पेय जल के नलकूप	Drinking water tubewells for Harijans ...	110--111
2265	पूर्वोत्तर रेलवे में रेल कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Railway Employees of N. E. Railway	111
2266	कोलरून स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के निकट दुर्घटना	Accident near Coleroon Station (Southern Railway)	111--113

2267	विधवाओं तथा निराश्रय महिलाओं के लिये पेंशन	Pension for widows and destitute women...	113
2268	तलारा रेलवे स्टेशन पर नलकूप	Tube well at Talara Station	113
2269	पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेलवे लाइन पर यात्री क्षमता	Passenger capacity on Pathankot Jogindcr Nagar Line	113--114
2270	काठगोदाम रेल कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Kathgodam Railway Employees	114
2271	हलदबाड़ी तथा जलपाईगुड़ी के बीच रेलवे संचार पुनः चालू करना	Resoratlon of Rail Communication between Haldibari and Jalpaiguri	114--115
2272	इस्पात की वस्तुओं का आयात	Import of steel Goods ...	115
2273	नियंत्रण कार्यालय का सोनपुर से समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में स्थानान्तरण	Re-shifting of control office from Samastipur to Sonpur (N. E. Raly,)	115
2274	पहलेजा घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) पर कोयले तथा अन्य वस्तुओं की चोरी	Theft of Coal and other Aricles at Pahleza Ghat (N. E. Rly.)	116
2275	बाल कल्याण सम्बन्धी गंगाशरन सिन्हा समिति	Ganga Sharan Sinha Committee on Child Welfare	116
2276	रेलवे बस्ती, गोल्डन राक, दक्षिण रेलवे में रेलवे प्लाटों के लाइसेंस धारक	Licences of Railway plots in Railway Colony Golden Rock (Southern Rly.) ...	117
2277	उड़ीसा में नमक का उत्पादन	Salt Production in Orissa ...	117--118
2278	कोलायत से जैसलमेर तक रेलवे लाइन	Railway line from Kolayat to Jaisalmer ...	118
2279	बीकानेर डिवीजन में यात्री सुविधायें	Passenger Amenities in Bikaner Division	119

2280	बीकानेर डिबीजन में रेलवे कर्मचारियों का निलंबन	Suspension of Railway Fmployees in Bikaner Division ...	119--120
2281	बीकानेर-जयपुर - जोधपुर के बीच मुख्य रेलगाड़ियों के साथ भोजनयान का जोड़ना	Restaurant Cars attached to maintains between Bikaner and Jaipur and between Jodhpur and Bikaner	120
2282	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Central Social Welfare board	120--121
2283	धन के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की वृद्धि को समाप्त करने के लिये किये गये उपाय	Measures to curb concentration of wealth and growth of monoplies	121
2284	कुमाऊं एक्सप्रैस का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident to Kumaon Express ...	121--122
2285	पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय स्थापित करना	Creation of DS Offices in North Eastern and Northeast Frontier Railways ...	122
2286	बस्ता, अमरदा रोड़ और बल्दीपाड़ा स्टेशनों (दक्षिण पूर्वी रेलवे) पर रोशनी का प्रबन्ध	Lighting Arrangements at Basta Amarda Road and Haldipada Stations (S.E.Rly.)	122--123
2287	कागज निगम की स्थापना	Setting up of a paper Corporation ...	123
2288	मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूब बनाने वाले कारखाने में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Investment in Automobile Tyre and Tube Manufacturing Unit	123--124
2289	ओलबाकोट तक रेलगाड़ी का चलाया जाना	Extension of Train upto Olavakkot ...	124
2290	पालघाट में प्रिसीजन टूल फैक्टरी की स्थापना के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of land for setting up of precision tool Factory, Palghat	124--125

2291	पूर्वी रेलवे में ताबे के तारों की चोरी	Theft of copper cables on Eastern Railway	125
2292	रेलवे को लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई	Supply of wooden sleepers to Railways ...	125--126
2293	मैसर्स हिंद गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात की चादरों का आवटन	Allotment of Steel Sheets to M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	126--127
2294	भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक छुट्टी	En Masse leave by workers of H.E.L. Bhopal ...	127
2295	उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिये आवास की सुविधायें	Housing facilities to Harijans in Uttar Pradesh	127--128
2296	आगरा - कानपुर यात्री गाड़ी पर डाकुओं का हमला	Attack by Robbers on Agra Kanpur Passenger Train	128
2297	चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात कार्यक्रम	Steel Programme for Fourth Five Year Plan	128--129
2298	सामान्य चुनाव में मताधिकार के लिये न्यूनतम आयु	Minimum Age for Voting Rights in General Elections	129
2299	रानीगज के निकट सैनिक रेलगाड़ी पर हमला	Attack on Military Train near Ranigunj ...	129--130
2300	लारसन और टोबरे कम्पनी के मामले	Larsen and Toubro Affair ...	130--131
2301	ब्रिटेन के साथो के अंश	Shares of British Coneern	131
2302	मनीपुर के चोंगथू आदिम-जाति को अनुसूचित आदिम जाति सूचि में सम्मिलित करना	Inclusion of Congthu Tribe of Manipur in the List of Scheduled Tribes ...	131

2303	गैर सरकारी उद्योगों के मामलों की जांच	Enquiry into the Affairs of Private Industries	132
2304	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में डिग्रीकालेज	Degree College at Chittaranjan Locomotive Workshop ...	132
2305	चित्तरजन लोकोमोटिव वर्कशाप में प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme at Chittaranjan Locomotive Workshop ...	132–133
2306	मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-चुनाव	Bye election from Midnapore Parliamentary Constitutency ...	133
2307	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Heavy Electricals Ltd.	133–134
2308	रेलवे में फालतू कर्मचारी	Surplus Railway Staff ...	134
2309	पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में सीधी भर्ती वाले स्नातको के लिये आरक्षित पद	Reservations for direct recruited Graduates in Foreign Traffic Accounts office, Western Railway, Delhi	134–135
2310	पश्चिम रेलवे में सफाई वालों को सर्दियों की वर्दी	Winter Uniforms to Safiwalas on Western Railway	135
2311	रेलवे लेखा विभाग के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation from Employees of Railway Accounts Department	135–136
2312	दुर्गापुर इस्पात कारखाने की तकनीकी समस्याएं	Technical Problems of Durgapur Steel Plant	136
2313	ठेके पर निर्मित होने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन	Execution of turn key projects ...	136–137
2314	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों और युद्ध सेवा वालों की पदोन्नति	Promotion of Junior Assistant Station Masters and War Service Candidates in Delhi Division (N. Rly.)	137–138

2315 उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में स्टेशन मास्टरों द्वारा दड किराया (पीनल रेट) जमा किया जाना — Payment of penal rent by Station Masters in Delhi Division N. Rly.) 138–139

2316 रेलवे के ड्राइंग कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ाया जाना — Up Garadation of Railway Drawing Staff... 139

2317 रेलवे कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन — Revision of pay scales of Railway Employees 139–140

2318 रेलवे के ड्राइंग कर्मचारी — Railway Drawing Staff ... 140

2319 उड़ीसा राज्य में कसिंगा में उपरि पुल — Overbridge at Kesinga in Orissa State ... 140–142

2320 उड़ीसा में तितलागढ़ रेलवे पुल — Titlagarh Railway Bridge in Orissa 141

2321 ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारण — Fixation of Prices of Tractors 141--142

2322 दरभंगा जयनगर रेल लाइन पर एक और रेलगाड़ी का चलाना — Introduction of one more train on Darbhanga Jayanagar Line 142

2323 नेशनल इंस्ट्रमेंट्स फैक्टरी कलकत्ता का बन्द होना — Closure of National Instruments Factory, 142--143

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 143

नागा विद्रोहियों द्वारा कुकमा, नागालैंड में सात व्यक्तियों की हत्या के समाचार जिनमें सात सी. आर. पी. के व्यक्ति भी थे — Reports killing of seven persons including five CRP personnel by Naga Hostiles 143--147

श्री हेम बरवा — Shri Hem Barua ... 143

श्री स्वर्ण सिंह — Shri Swaran Singh 143

संसद में स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकारी सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न — Question of Privilege against Executive Secretary, Swatantra Party in Parliament ... 148

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	148--150
राज्य–सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ...	150--151
पटसन उद्योग में हड़ताल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. strike situation in Jute Industry	151
श्री ब.रा. भगत	Shri B. R. Bhagat	151--153
श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के सम्बन्ध बारे में जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement re. appointment of commission of inquiry in connection with the Murder of Shri Din Dayal Upadhaya... ...	153--154
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan ...	153
चन्डीगढ़ के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के छपे पंजाब के मुख्य मंत्री के पत्र के बारे में	Re. Punjab Chief Ministers' letter on Chandigarh published in a newspaper	156
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill... ...	155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah	156
श्री मो. रु. मसानी	Shri M. R. Masani ...	157
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	161
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai... ...	162
श्री चंगलराय नायडू	Shri Chengalraya Naidu	162
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	163
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani ...	164
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	165
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	165
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	166
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shri Yashwant Singh Kushwah ...	166
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	167
श्री के. एम. अब्राहम	Shri K. M. Abraham	167
श्री प. ला. बारुपाल	Shri P. L. Barupal	168
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	168
श्री अ. सहगल	Shri A. S. Saigal	168
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	169
श्री म. अ. खां	Shri M. A. Khan	169
खंड 2 से 4	Clauses 2 to 4 ...	171

लोक--सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 5 अगस्त, 1969/14 श्रावण, 1891 (शक)
Tuesday, August 5, 1969/Sravana 14, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उपाध्यक्ष महोदय :–सभा अब प्रश्नों पर विचार करेगी–श्री तापड़िया

श्री कंवर लाल गुप्त : इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 357 पर भी चर्चा की जानी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य :–प्रश्न संख्या 345 पर भी चर्चा की जानी चाहिये ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) आप इन प्रश्नों पर एक साथ चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :–प्रश्न संख्या 331,345 और 357 पर साथ साथ चर्चा की जायेगी ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

\+
331 **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि देश में आयातित पुर्जे जोड़कर ट्रैक्टर बनाने के कारखाने स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहन देने की सरकार की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या सरकार को भारतीय उद्योगपतियों से देश में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे में आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार विदेशी टेक्नीकल जानकारी अथवा सहयोग से सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माण करने की कोई परियोजना आरम्भ करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री(श्री भानु प्रकाश सिंह) (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कृषि उद्योग निगमों में चेकोस्लोवाकिया से सभी नाक्ड डाउन पैकों में आयातित जेटर 2011 ट्रैक्टरों को निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

(ख) प्रारम्भ में इसके लिये 500 पैक्स का आयात करने की अनुमति दी गई है। इन पैकों का कुल मूल्य लगभग 512.48 लाख रूपये है।

(ग) ट्रैक्टर उद्योग को अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। भारतीय उद्योगपतियों से ट्रक्टर निर्माण करने सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से अनेकों को सिद्धान्त रूप में अनुमति भी दी गई है।

(घ) अनुमोदित तथा विचाराधीन निजी क्षेत्र की योजनाओं के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माण करने वाली एक परियोजना पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

Self-sufficiency in Tractors

***345. Shri Maharaj Singh Bharati**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided not to achieve self-sufficiency in the matter of tractor production even during the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh) : (a) and (b) . A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) . Government is taking all possible steps to increase the production of tractors in the country. The existing manufacturers are given assistance for the import of capital goods as well as components and raw materials to enable them to maximise production to the fullest possible extent. In order to encourage the establishment of more manufacturing units, the tractor industry has been delicensed. A number of new projects for manufacture of tractors in the private sector have been approved and at least some of them are expected to go into production in the next two to three years. A proposal to setup a factory in the public sector for the manufacture of tractors is also under active consideration. It is likely that despite all these measures, the indigenous production of tractors may not be sufficient to meet the demand at the end of the 4th Five Year Plan period, but Government's endeavour is to achieve self-sufficiency as soon as possible.

Demand for Tractors

***357. Shri Kanwar Lal Gupta**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of tractors needed in the country and the number of tractors available;

(b) the number of new tractors proposed to be manufactured by Government in the country and the number likely to be imported from other countries during the next two years;

(c) whether Government also propose to manufacture small tractors; and

(d) if not, the reasons therefor and, if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh) : (a) and (b). The demand of agricultural tractors for 1969–70 is estimated by the Deptt. of Agriculture is 70,000 Nos. It is expected that the indigenous production of tractors during the year will be about 20,000 Nos. To cover the balance requirements, imports are proposed to made to the extent possible. No estimates have so far been made in regard to the demand and production during 1970–71.

(c) and (d) : Government have already approved a number of schemes in the private sector for the manufacture of small tractors. A proposal to take up the manufacture of 20 HP tractors in a public sector project is also under consideration.

श्री सु० कु० तापड़िया :–यह सरकार बहुत विचित्र है । यह कहती कुछ है और करती उसके बिलकुल विपरीत है । यह सरकार किसानों के लिये बहुत कुछ करने का आश्वासन देती है, लेकिन उनके लिये मुश्किल से कोई काम करती है । उर्वरकों के मूल्यो के बारे में भी ऐसा ही हुआ है । उर्वरकों पर शुल्क लगाने और ट्रेक्टरों के मामले में भी सरकार ने केवल आश्वासनों से ही काम लिया है । सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति वर्ष ट्रेक्टरों की मांग और उत्पादन क्षमता को देखते हुए देश में 50,000 ट्रेक्टरों की कमी होगी जब कि

योजना आयोग के अनुसार अगामी प्रतिवर्ष में 90,000 ट्रैक्टरों की मांग होगी और प्रतिवर्ष 70,000 ट्रैक्टरों की कमी होगी। सरकार ने बताया है कि उसने इस बारे में कार्यवाही की है, लेकिन सरकार द्वारा की गई कार्यवाही भुलावा होती है। ट्रैक्टरों के बारे में लाइसेंस देने की व्यवस्था समाप्त कर देने की कार्यवाही गलत है। क्योंकि ट्रैक्टरों के उद्योग में लाइसेंस देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है लेकिन फिर भी निर्माताओ को सरकार का द्वार खटखटाना पड़ता है जिससे वह सहयोग सम्बन्धी समझौते हैं। पूंजीगत माल का आयात और कच्चे माल के आयात करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त कर सके। निर्माताओं को सरकार द्वारा उचित मूल्य निर्धारित करवाना पड़ता है। चूंकि देश में मांग तथा उत्पादन की तुलना में ट्रैक्टरों की बहुत कमी है, क्या सरकार सहयोग सम्बन्धी एक आदर्श समझौता करेगी जिससे उस आदर्श समझौते के अन्तर्गत आने वाले किसी भी प्रस्ताव को किसी अन्य समिति को सौंपे बिना अनुमति दी जा सके और क्या सरकार विभिन्न उत्पादनों पर आधारित पूंजीगत माल और कच्चे माल की न्यूनतम मात्रा के लिये लाइसेंस की व्यवस्था करेगी और उसके अन्तर्गत आवेदनकर्त्ता को, इस मामले को किसी समिति को सौंपे बिना, शीघ्र लाइसेंस दे देगी ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा सके ओर कहीं भी कोई विलम्ब न हो ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसाकि माननीय सदस्य को पता है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार आशा थी कि वर्ष 1970-71 के अन्त तक लगभग 40,000 ट्रैक्टरों की मांग होगी। परन्तु हाल ही में फिर से किये गये मूल्यांकन से दो प्रकार के आंकड़ों का पता चला है। योजना ही आयोग के अनुसार वर्ष 1973-74 के अन्त तक लगभग 68000 ट्रैक्टरों की मांग होगी जबकि कृषि मंत्रालय के अनुसार 90,000 ट्रैक्टरों की मांग होगी। जहां तक चालू वर्ष की मांग का सम्बन्ध है कृषि मंत्रालय के अनुसार लगभग 70,000 ट्रैक्टरों की मांग होने की आशा है। यह सच है देश की मांग को पूरा करने के लिये इस समय देश में बनने वाले ट्रैक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार में माननीय सदस्य को इस बात का भी पता है कि हमने लगभग 30,000 की क्षमता के कुछ कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये थे, परन्तु गत वर्ष वे 13000 या 14000 से अधिक ट्रैक्टर नहीं बना सके। आशा है कि इस वर्ष वे लगभग 20,000 ट्रैक्टर बना सकेंगे। सामान्यतः वे ट्रैक्टर 20 अश्वशक्ति तथा उससे अधिक शक्ति के हैं। 20 अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर किसी भी कारखाने में नहीं बनाये गये हैं।

वर्तमान मांग को पूरा करने के लिये हमने देश में कुछ ट्रैक्टरों को जोड़ने के लिये पुर्जे आयात करने की अनुमति दी है। हम उन किस्मों के ट्रैक्टरों के आयत की भी अनुमति देते हैं जो हमारे देश में बनाये जा रहे हैं जिससे वर्तमान मांग को पूरा किया जा सके। हमने इन के निर्माण के सम्बन्ध में लाइसेंस हटा लिया है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि लाइसेंस हटा लेना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि यदि वे विदेशी फर्मों के साथ करार करना चाहे तो उन्हें विदेशी निवेश बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी होती है। बहुत से आवेदन-पत्र बोर्ड के विचाराधीन हैं। मेरे विचार में उनमें से तीन को निपटा दिया गया है और अन्य के सम्बन्ध में

कुछ जांच की जा रही है। मैं उनके बारे में शीघ्र निर्णय करवाने का प्रयत्न करूंगा जिससे वे यथा शीघ्र ट्रैक्टरों का आयात कर सके।

श्री सु० कु० तापड़िया : ट्रैक्टरों का निर्माण कम होने के कारण ट्रक्टरों की अत्यधिक चोरबाजारी होती है। कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार ट्रैक्टरों में 2,000 से 7,000 रुपये तक का प्रीमियम प्राप्त किया जाता है। सरकार धनवान लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर कभी कभी बड़ी तेजी से नियंत्रण लगा देती है परन्तु ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे किसानों की चोर बाजारी तथा प्रीमियम की बुराई से रक्षा की जा सके। अतः क्या सरकार ने ट्रैक्टरों के वितरण पर कानूनी नियंत्रण लगाने के बारे में विचार किया है जैसा कि अब कारों तथा स्कूटरों के सम्बन्ध में किया जाता है जिससे मूल खरीददार दो या तीन वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच न सके और जिससे वास्तविक किसानों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर न खरीद सके और वितरक अपने 2 लोगों को ट्रैक्टर न बेचें और किसानों से प्रीमियम न प्राप्त करे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि हमने इसे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित कर लिया है। वस्तुतः एक शिकायत यह थी कि इनमें से कुछ निर्माता तथा व्यापारी प्रति एकड़ 1,000 रुपया अग्रिम राशि के रुप में लेने पर बल दे रहे थे और सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये से अधिक अग्रिम राशि न मांगे। अभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि ट्रैक्टर खरीदने वालों द्वारा लगभग दो वर्ष तक ट्रैक्टरों को पुनः बेचने पर कोई पाबन्दी लगाई जाये या नहीं जैसा कि कारों आदि के सम्बन्ध में किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में विचार करूंगा।

श्री एस० आर० दामानी : इस सभा में पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि ट्रैक्टरों के निर्माण में शीघ्र वृद्धि की जानी चाहिये। मंत्री महोदय ने भी इस प्रयोजन के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने की एक योजना है परन्तु उनके निर्माण के बारे में अब तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोटो-टाइप ट्रैक्टर का परिणाम क्या निकला है जो पिंजोर में बनाया गया था और परीक्षण के लिये बुदनी भेजा गया था ? क्या वह ठीक था ? बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन कब होगा ?

चेकोस्लोवाकिया के सहयोग के साथ ट्रैक्टर बनाने की एक योजना 1963 में प्रस्तुत की गई थी। उस योजना के बारे में क्या निर्णय किया था ? इतना बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में ट्रैक्टर बनाने की कोई ब्यौरेवार योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कितने कितने ट्रैक्टर बनाये जायेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले पर सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है और माननीय सदस्यों को पता है कि ट्रैक्टरों के निर्माण में वृद्धि करने के लिये सरकार जो कुछ कर सकती है, कर रही है। वास्तव में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 ट्रैक्टर बनाने की हमारी लाइसेंस प्राप्त क्षमता है परन्तु ये निर्माता अब तक 14,000 या 15,000 से अधिक ट्रैक्टर नहीं बना सके। आशा है कि इस वर्ष वे 20,000 ट्रैक्टर बना सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस उद्योग से लाइसेंस हटा लिया गया है और ट्रैक्टरों के निर्माण में वृद्धि करने के लिये हम सब को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम नये व्यक्तियों को भी ट्रैक्टर बनाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर 20 अश्वशक्ति से कम शक्ति वाले ट्रैक्टर नहीं बनाये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये सरकार की एक योजना है और प्रोटोटाइप का परिक्षण कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में सिफारिश प्राप्त हो गई है। मुझे आशा है कि सरकारी क्षेत्र में इस कारखाने की स्थापना के लिये स्थान के बारे में शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री एस० आर० दामानी : मैं यह जानना चाहता था कि प्रोटो–टाइप ट्रैक्टर का उत्पादन कब से आरम्भ होगा ? मैं यह भी जानना चाहता था कि चेकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग के बारे में जो आवेदन पत्र वर्ष 1963 से विचाराधीन है, उसकी स्थिति क्या है ? क्या उसे स्वीकार किया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने पहले ही बता दिया है कि सरकारी क्षेत्र की एक परियोजना विचाराधीन है और इस प्रोटो-टाइप तथा उस पर, जिसकी चेकोस्लोवाकिया ने सिफारिश की हैं, विचार किया जा रहा है और हम देखेंगे कि इन दोनों में से किस प्रकार के ट्रैक्टर सरकारी क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र बनाना सम्भव है।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरे विचार में देश में ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। मैं मंत्री महोदय से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि अधिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्माण में कमी के क्या कारण हैं, पूरा उत्पादन करने के मार्ग में उद्योगपतियों ने यदि कठिनाइयां बताई हैं तो वे क्या हैं और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि जितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं उस के अनुसार ट्रैक्टरों का अधिकतम उत्पादन हो।

दूसरी बात यह है कि देश के दूरस्थ स्थानों पर फालतू पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण ट्रैक्टरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में एक वर्कशाप स्थापित करने से भी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। क्या सरकार प्रत्येक जिले में एक वर्कशाप स्थापित करने के लिये राज्यों के साथ परामर्श करेगी जिससे देश में विद्यमान सभी ट्रैक्टरों का पूरा उपयोग किया जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ट्रैक्टरों के निर्माण में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बल्कि मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब योजना आयोग ने पहले मूल्यांकन किया था तब भी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये काफी ट्रैक्टर प्राप्त करने हेतु सरकार ने

पर्याप्त प्रयास किये थे। कुछ वर्ष पूर्व जिन लोगों को लाइसेंस किये गये थे वे पूंजी लगाने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि ट्रैक्टरों की पर्याप्त मांग होगी।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब 30,000 ट्रैक्टर बनाने की अधिष्ठापित क्षमता है तो ट्रैक्टरों के निर्माण में कमी के क्या कारण हैं ? क्या इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं अभी बता रहा था कि यद्यपि 30,000 ट्रैक्टर बनाने की अधिष्ठापित क्षमता थी, तथापि लोग पूंजी लगाने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि इनकी पर्याप्त मांग होगी और उन्हें पूंजी निवेश से कोई लाभ होगा या नहीं। यह एक कारण है। दूसरा कारण है मंदी और मांग में कमी। हाल ही में कृषि क्रान्ति, लोगों के पास धन आ जाने के कारण और खेती के सुधरे तरीकों के परिणामों के कारण गत एक या दो वर्षों में अचानक मांग बढ़ गई है। इसीलिये हम उतने ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं कर सके जितने उपलब्ध किये जा सकते थे। यह कार्य एकदम नहीं हो सकता। जैसे ही हमने यह महसूस किया कि मांग इतनी अधिक बढ़ जायेगी हमने इस उद्योग से लाइसेंस हटा लिया है। यह प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है जिसके सम्बन्ध में ट्रैक्टर निर्माण के लिये पुर्जों अथवा कच्चे माल के आयात के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री एस० कन्डप्पन : मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं की स्थिति क्या हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे निर्माता हैं जिनके पास 20 अश्वशक्ति से कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस है। जब सरकार ने देखा कि वे ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो सरकार इस कार्य को सरकारी क्षेत्र में करने लगी है।

Shri Randhir Singh : We can get a tractor for Rs. 20,000 whereas its actual cost is Rs. 8,000. The demand of tractors is 1½ lakh whereas the capacity to manufacture tractors is being raised to 12 thousands. There is already a waiting list of three or four lakhs. The planning Commission and manufacturers are in collusion with each other. The planning Commission is of the opinion that tractor ploughing is not possible in this country. There are mad men in the Planning Commission **(Interruptions)**.

श्री बलराज मधोक : क्या योजना आयोग के सदस्यों को बावले लोग कहना संसदीय अभिव्यक्ति है ?

Shri Randhir Singh : I want to ask as to why the Government is complacent when tractor manufacturers deliberately manufacture less number of tractors so that they may sell the same for Rs. 20,000 instead of Rs. 9,000 and when Planning Commission is cooperating with them ? May I know the time by which this demand would be met so that the tractor which is now available at Rs. 10,000 may be available at Rs. 5,000 and the farmer may produce more ? I want to know whether Government have got any scheme to this effect ?

Shri F. A. Ahmed : It is wrong to say that only ten or twelve thousand tractors are being increased when in fact the demand was for one lakh more tractors. This speculation is wrong at all.

Shri R. K. Birla : They always say wrong.

Shri Randhir Singh : There is a yearly demand for one lakh 35 thousand tractors, but you are not providing even 12 thousand tractors.

Shri F. A. Ahmed : As I have already said that I have got two estimates, one is from the Planning Commission and the other from Department of Agriculture. Aocording to the Estimates made by the Planning Commission 68,000 tractors will be required till 1973-74 and the department of agriculture says that 90,000 tractors will be required. We have already issued licenses to the people for 30,000 tractors. Applications for 25000 tractors have been cleared out of those for 1,10,000 tractors already recovered, and the rest are under consideration. Since this industry has been dieselised the applications are lying with capital goods committee and Foreign Investment Board which will be cleared at the earliest.

Apart from this we are trying for manufacturing 50,000 tractors in the public sector undertakings. We shall have the overall capacity of manufacturing 1.5 lakh tractors within three or four years in case these schemes become successful.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तीन प्रश्न एक साथ मिला दिए हैं और सर्व प्रथम मैं उन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने के लिये समय दूंगा जिनके नाम उन प्रश्नों पर हैं और उसके पश्चात् ही मैं अन्य सदस्यों को बुला सकूंगा । मैं उन सदस्यों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने प्रश्न किए हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : It is clear that if we manufacture large number of the tractors, the price of the tractor will come down. As none of the big capitalists wants to manufacture the tractors numbering from 50000 to 60000 and also that the small capitalists have become manufacturers by collecting spares and accessories, what about the assurance given by the hon. Minister that atleast 50,000 tractors will be manufactured in the public sector undertaking ? It was also stated by you that the surplus capacity of the H. M. T. will be utilised. Whether it is not a fact that the vested interests, for the sake of sabotage, have reported that the manufacture of tractors can be started only with the investment of 18 crores of rupees. You have, therefore, decided that you will not invest the capital of 18 crores of rupees and you have no scheme in your mind for manufacturing 50,000 tractors in the public sector undertaking. Can you deny this fact ?

Shri F. A. Ahmed : This is altogether wrong. A big factory is going to be set up in the public sector and Government will see that work starts there soon.

Shri Maharaj Singh Bharati : This is a simple matter. You had not considered the proposal of setting up any factory but you discussed about the utilisation of surplus capacity of H. M. T. and the name of Pinjour was mentioned in the discussions. Why are you talking now for setting up a new factory ?

Shri F. A. Ahmed : Tractor manufacturing factory will definitely be set up in the public sector either in Pinjour or in M. A. M. C..

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know whether the question of manufacturing the tractors, comparable with the price and quality of the Russian imported tractor which cost Rs. 8000--9000 each, considered most suitable to the farmers in the matter of price and quality, in the tractor manufacturing factory to be set up in the public sector will be considered.

Will the hon. Minister be pleased to state the difficulties which the Government has to face in this direction even after 22 years of independence. Three Five Year Plans are over and fourth one is still going on, but the Govt. has not been able to assess the actual requirements of tractors that farmers need. Government has also not been able to assess the actual number of tractors to be manufactured in the country ? May I know, what have been the difficulties that have been standing in the way of the Government, so that necessary measures to meet the requirements of the farmers had not been taken.

I also want to know from the Government the extent of the aid proposed to be given to the private sector for setting up tractors manufacturing factories and also the terms and conditions on which the aid will be given ?

Shri F.A . Ahmed : I have said that it is a priority Industry. We are prepared to extend all sorts of aid whatsoever such as facilities for importing components, and raw-materials etc.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि... ..

Shri Yashwant Singh Kushwah : The hon. Minister has not given full reply to my question.....

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को देखते हुए कि देश में ट्रैक्टरों की बहुत कमी है और यद्यपि यहां बहुत समय पहले से ट्रैक्टरों की मांग हो रही है तो भी इनका मूल्य इतना अधिक है कि छोटे कृषक इन ट्रैक्टरों की नहीं ले सकते, ता क्या मन्त्री महोदय इन ट्रैक्टरों का मूल्य कम करने के लिए तथा छोटे ट्रक्टरों को किसानों को देने के लिए विचार कर रहे हैं?

Shri Yashwant Singh Kushwah : The hon. Minister should give complete reply. It is my point of order... ...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न के घण्टे की अवधि में मैं किसी प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता । यदि माननीय सदस्य की इस उत्तर से सन्तुष्टी नहीं होती है तो मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सुनिश्चित रूप से उत्तर दें । होता क्या है कि अन्य प्रश्न के दौरान और दूसरी अनेक बातें उठ खड़ी होती हैं तथा उनकी आकृति में ही बहुत अधिक समय नष्ठ हो जाता है । मैं प्रश्न कर्त्ता माननीय सदस्यो से अनुरोध करूगा कि वे भी सुनिश्चित रूप से प्रश्न करें तथा इधर उधर की बाते न लाए क्योंकि इससे वहुत अधिक समय लग जाता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मेरा दूसरा प्रश्न सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में हैं। एच० एम० टी० के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में और कौन कौनसी परियोजनाए हैं' जिनका मन्त्री महोदय उपयोग इन ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए करना चाहते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय योजना आयोग तथा कृषि मन्त्रालय देश में ट्रैक्टरों की आवश्यकता का निर्धारण कर रहे है, तो क्या मन्त्री महोदय को कम्युनिष्ट पार्टी के द्वारा इन ट्रैक्टरों के विरूद्ध प्रदर्शन करने का पता है, और यदि हां, तो ट्रैक्टरों की आवश्यकता का निर्धारण करने पर इस प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक इनके मूल्य के प्रश्न का सम्बन्ध है वह भी इस निकाय के निर्देश पथ में से एक है जिसे चैक पार्टी तथा एन० आई० डी० सी० के द्वारा प्रस्तुत अपनी परियोजनाओं के प्रतिवेदन की जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया था, जिससे हम सबसे सस्ती करेटि के ट्रैक्टर बना सकें तथा किसान को दे सकें। वह प्रतिवेदन आ गया है तथा विचाराधीन है और हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे।

जहा तक कृषकों के लिए ट्रैक्टरों की आवश्यकता का निर्धारण करने का सम्बन्ध है, हमारे पास कृषि मन्त्रालय केवल एक मात्र ऐसी एजेंसी है जो आगामी वर्षों के लिए अपना मूल्यांकन हमें बता सकती है। ट्रैक्टरों के निर्माण का और आगे विस्तार करने के प्रश्न पर विचार करते समय हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि निमाताओं तथा व्यापारियों के पास कितने ऐसे आदेश हैं जो विलम्बित पड़े हुए हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के बारे में क्या हुआ ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : उसका उपयोगी कया जा रहा हैं ?

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रथम उन सदस्यों को बुलाऊंगा जिनके नाम प्रश्नों पर हैं। मैंने तीन प्रश्न एक साथ मिला दिए है तथा उन सदस्यों को अवसर मैं अवश्य दूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: It is true that due to great demand of tractors and defective system of distribution, blackmarketing in tractors is very common. The Minister has just now said that licences to different persons for manufacture of tractors at different places have been given but many factories came in the way. I would, therefore, like to know whether the Minister will remove all the bottlenecks in the matter of collaboration and raw material so that we could advance on the food to self-sufficiency in the matter of agriculture ?

I would also like to know. in which of the public undertakings idle capacity will be utilised for the manufacture of tractors ?

A fully indegenious small tractor factory is being set up in Meerut, I would like to know the steps proposed to be taken by the Minister to make such factories more popular and also to set up such factories elsewhere ?

Shri F. A. Ahmed : This industry has delicenced. But as I have already told you, whereever foreign collaboration is necessary or import are required, the matter is referred to the two committees. Unless and untill we know about the terms of foreign collaboration agreement, how can we say that we will accept them.

We have two proposals before us at present. Oneris Czechoslovakia project report and another is the indegeniously manufactured engine, prototype of which has been prepared by Central Mechanical Engineering Research. We are considering which of the two should be approved and manufactured in public seetor. The report of N. I. D. C. on the question of utilisation of unutilised capacity of M. A. M. C. and H. M. T. units has been received. We are considering that report and we are busy in examining the question of suitability of one or the other for the manufacture of tractors.

A party in Meerut has represented to us that they are trying to manufacture a tractor indigeneously, but the prototype has not been shown to us. We are willing to extend every type of help to anyone who undertakes such a work.

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know the number of tractors received under the gift scheme ? Will the scheme continue in operation and what steps are being taken by the Government to popularise the scheme ? Have you permitted the tractor industry to manufacture and import tractors ?

Shri F. A. Ahmed : The two corporations in Haryana and U. P. have been permitted to import the parts and assemble the tractors in India.

Certain applications in connection with gift tractors scheme have been received and sanctioned. The rule is that one person can send one tractor as a gift to any person here.

Attempts are being made to extend the Gift Scheme with a view to popularise it. The Ministry of Foreign Trade have framed the rules therefor and the gift can be made in accordance with those rules.

Shri M. A. Khan : The Minister has just now said that the Government are consideaing the reports in connection with manufacture of tractors in India. I would like to know the time by which tractors will be manufactured in the public sector so that the agriculturists could get them in accordance with their requirements ?

Shri F. A. Ahmed : It is wrong to think that tractors are not being manufactrued in India. Many units are manufacturing tractors in the country. Applications for more licences have been received. The proposal to expedite the manufacture of tractors in public sector will be considered.

श्री रा० कृ० बिड़ला ; माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि विभिन्न आकार के ट्रेक्टरों के उत्पादन तथा उनकी आवश्यकता में बहुत अन्तर है, क्या जब तक देश में ट्रेक्टरों की आवश्यकता के अनुसार पूरे ट्रेक्टर बनने नहीं लगते, तब तक सरकार उपहार योजना को चालू रखेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे विश्वास है कि केवल उपहार योजना से ही देश की समूची मांग पूरी नहीं की जा सकेगी। हमने कहा है कि जब भी हमें प्रस्ताव पेश किये

जायेंगे, हम उन पर विचार करेंगे तथा जिन मामलों में दुरुपयोग नहीं किया जायेगा, उनमें अनुमती दे दी जावेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

केरल तथा अन्य राज्यों में अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करना

\+

*332. **श्री यश पाल सिंह**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या वर्ष 1969-70 में ऐसे कारखाने अन्य राज्यों में भी स्थापित किये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ;

(घ) प्रत्येक कारखाने की वार्षिक क्षमता कितनी होगी ; और

(ङ) उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र में अन्य राज्यों में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Yaspal Singh : Will the Government be pleased to state the gap between supply and demand and the time by which self-sufficiency is likely to be achieved ? In which States the factories will be setup during Five Year Plan ?

Shri Bhanu Prakash Singh : The present demand is to the tune of 1.72 lakh tonnes and our production is about 45,000 tonnes. We import about 1,20,000 tonnes. We hope to produce about 2,05,000 tonnes in the country after a plant in public sector in Kerala and another in private sector in Himachal Pradesh is set up.

Shri Yashpal Singh : It is an admitted fact that more efforts have to be made to get admission in the Institute of Paper technology at Saharanpur than one has to do for admission to I.A.S. I would like to know the time by which the problem will be solved.

Shri Bhanu Prakash Singh : It is a different question but it can be considered.

Shri Shashi Bhushan : The factories so far set up in our country produce paper upto 100 tonnes. Now licences for 200 tonnes have been applied for. I would like the Government to issue licences upto 100 tonnes only.

Shri Bhanu Prakash Singh : The demand of the hon. Member can be considered but I would like to know the quality of paper that he is referring to ?

श्री नन्द कुमार सोमानी : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री यह जानते हैं कि भारत में 160 मी० ट० अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले कारखाने पर 15 से 20 करोड़ रूपये तक खर्च आता हैं और कारखाना तैयार होने में पांच वर्ष लगते हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में कई आशयपत्र जारी किये गये है। क्या सरकार उनके लिए समय सीमा निर्धारित करेगी और यदि वे उस सीमा के अन्दर कारखाने न लगाये तो क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के कई कारखाने स्थापित करने पर विचार करेगी ताकि देश में उस महत्वपूर्ण वस्तु की कमी न बनी रहे ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि कारखाने स्थापित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। परन्तु उसके लिये मुझे माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि लाइसेंस की अवधि बढाने के लिए कोई अभेद न किया जावे।

श्री सु०कु० तापडिया : हम माननीय मंत्री के साथ सहयोग करना चाहते हैं परन्तु उन्हें बताना चाहिये कि वह किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं।

श्री नन्द कुमारी सोमानी : इस मामले में नीति के बारे में निर्णय माननीय मंत्री को लेना है।

Shri Prem Chand Verma : In reply to a question regarding setting up a factory in Himachal Pradesh the Minister had said in September, 1967 that the report of Kane Committee was under consideration. The report was received in March, 1967 and now two years have elapsed. We know nothing about that since then. A firmly the name of Kalu Valley Development Company Limited has been set up by M/s. Karam Chand Thapur and Company. I would like to know whether Government have settled the terms with that Company and if so, what are the terms, where the factory will be set up, when will it start production and what will be its production capacity ? What will be the ratio of the shares of public, Government and Private sector therein ?

Thri Bhanu Prakash Singh : M/s. Thapar Brothers are trying to setup a newsprint factory in Himachal Pradesh and for that purpose they are negotiating with Himachal Pradesh Government. Certain questions have been decided but there is a complication on the question of raw material. I hope after that question is decided, such a factory will be setup there.

I am not aware whether the factory will be opened or not or where it will be opened. That factory will have a capacity of 60,000 tonnes per annum.

Shri Jharkhandey Rai : Raw material for the manufacture of paper is available in plenty in Tarai area of Nainital district in Uttar Pradesh. In view of that, the Government of Uttar Pradesh have been constantly raising the demand during last there Five Year Plans for setting up of a paper factory in public or cooperative sector but the Government of India did not accept this demand. I would like to know whether attempt will be made to accede this demand during Fourth Plan.

Shri Bhanu Prakash Singh : Paper industry is delicenced industry and if the hon. Member so likes, he can ask any of his industrial friends to setup factory there.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् : कुछ वर्ष पूर्व आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव था । क्या सरकार अब उस पर विचार कर रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : अभी उस पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

Shri Manubhai Patel : The Dang district of Gujrat has forests. There is great availability of raw material for newsprint. I want to know whether there is any proposal to exploit it ?

Shri Bhanu Prakash Singh : As I have said that as this industry is delicenced, there is no question of any proposal. So far Government is concerned talks are continuing on for setting up a factory in Public sector in Kerala.

Discontinuation of special facilities to Tribals after conversion

*333. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while pronouncing judgement on the election petition of Shri S. Rajgopalan, the Supreme Court made an observation that a tribal no longer remains entitled to the special facilities being provided to the Tribals after he has changed his religion, viz, he no longer remains a Tribal after conversion;

(b) if so, whether in pursuance of aforesaid judgement of the Supreme Court, Government proposal to discontinue the special facilities hitherto provided to the proselytised Tribals; and

(c) if not, the reasons therefor ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुथ्थाल राव) : (क) संगत निर्णय से माननीय सदस्य द्वारा प्रकट किए गए अभिमत की पुष्टि होती प्रतीत नहीं होती है ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Om Prakash Tyagi : The election petition of Shri Rajagopalan was rejected on the ground that he had adopted christianity. Thus he had ceased to be a tribal. I cannot understand when Government says that this does not arise. Government

gives special assistance to the persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes. This is given to those presons also who change their religion. In the light of this judgement that assistance becomes unconstitutional. I want to know whether Government has stopped that assistance, if not, whether any change is contemplated in the law, so that such assistance could be withheld in the case of those who change their religion?

Shri Muthyal Rao : This question has been put in a worng manner. Shri Rajagopalan did not belong to scheduled castes. He is from scheduled tribes. Separate seats are reserved for both categories. His opponent had challenged his election and the learned judge gave verdict against him. When a person belonging scheduled castes changes his religion, then he does not belong to that caste. This does not apply to persons belonging to scheduled tribes. This question is under our consideration. It has constitutional implication in it.

Shri Om Prakash Tyagi : I thank the hon. Minister for his having accepted this in principle. At the same time I want to say that assistance is given to scheduled castes and scheduled tribes on two basis viz. economic backwardness and social backwardness. Economic backwardness is there in all religious but social backwardness is the reason on which assistance is given to scheduled castes/tribes. In the event of conversion both should be treated alike. I want to know what steps are being taken to remove this discrimination and whether law would be changed in this regard ?

Shri Muthyal Rao : Government will consider over this.

श्री कार्तिक उरांव : 1919 के और 1935 भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाते हैं वे भारतीय ईसाई कहलाते हैं और 1952 तक उन्होंने सभी सुविधाओं का लाभ उठाया जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। नये संविधान में उनके लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से और राजनैतिक क्षेत्र में भी वे लोग सुवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों से बहुत प्रगति किये हुए हैं। राष्ट्रीय सरकार ने पिछड़े कबीलों के लिये अनुसूचित आदिम जातियों की भान्ति विशेष व्यवस्था की है। परन्तु विधि की बिडम्बना देखिये लगभग पांच प्रतिशत भारतीय ईसाई केन्द्रीय सेवाओं का लगभग 75 प्रतिशत भाग, विदेशी छात्रवृत्तियों का लगभग 60 प्रतिशत भाग और राज्यों की सेवा का लगभग 90 प्रतिशत भाग सम्भाले हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी अधिसूचना है जिसके अनुसार भारतीय ईसाइयों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये जाने के बाद क्या वे पुनः अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों में मिल जायेंगे। यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं तो सरकार किस आधार पर संविधान के उपबन्धों का उल्लघंन कर रही है।

श्री मुत्याल राव : यह देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। सभी को प्रगति करने का अधिकार है।

Shri Hukam Chand Kachwai : We should also get opportunity to put question.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उतर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कानपुर में फर्मों पर छापे

* 334 श्री क० लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिकव्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायदा बाजार आयोग के प्रवर्त्तन निदेशालय ने 24 मई, 1969 को कानपुर में लगभग 8 फर्मों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर छापे मारने के क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कानपुर नगर पुलिस ने वायदा बाजार आयोग के प्रवर्त्तन निदेशालय के अनुरोध पर 22 मई, 1969 को कानपुर की 8 फर्मों पर छापे मारे ।

(ख) वायदा बाजार आयोग के प्रवर्त्तन निदेशालय को इन फर्मों द्वारा मई, 1969 के अलसी के क्षति अवरोधक ठेके की कीमतों में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक सट्टा संघ गठित करने और सरसों के व्यापार में अवैध वायदा ठेका तथा सट्टा व्यापार में भाग लेने का सूचना मिली थी ।

(ग) मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है ।

Continuation of safeguards for Scheduled Castes

*335. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported statement made by Shri C. Rajagopalachari in which he has stated that he was not in favour of providing statutory safeguards for eradication of untouchability;

(b) whether Rajaji has also stated that there is no ban on Harijans for their entry in schools, hotels and in getting employment anywhere in India;

(c) whether Rajaji has also stated that the continuation of statutory safeguards for a long time would encourage untouchability which would be detrimental to the country; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department ofSocial Welfare (Shri Muthyal Rao) (a) to (d), Government is not aware of any such statement having been made by Shri C. Rajagopalachari. The Constitution has provided safeguards for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Government consider that these provisions should continue.

एक समान सिविल संहिता

*336 श्री अदिचन : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र के सुदृढ़ एकीकरण के लिये समाज के सभी वर्गों तथा देश के विभिन्न भागों में, विशेषतः विवाह, उत्तराधिकार तथा उसी प्रकार के मामलों में एक समान सिविल संहिता बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी समान सिविल संहिता बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई तालिका बनाई जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) . जी नहीं । चूंकि विवाह, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में एक रूप सिविल विधि संहिता अधिनियमित करने के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों और देश के विभिन्न भागों में कोई भी मत-साम्य नहीं हैं, इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गैर-सरकारी संस्थाओं को समाज कल्याण कार्यों के लिये अनुदान

*337. श्री लोबो प्रभु : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसके लिये चालू वर्ष के बजट में 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, क्या कार्य करता है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ।

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संस्थाओं को, उनके कार्य को देखकर, इसी प्रकार के कार्यों के लिये अनुदान देने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य स्वयं सेवी क्षेत्र में स्त्रियों, बच्चों तथा विकलांग, वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों के लिए कल्याण सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना है । चालू वित्तीय वर्ष में 2.5 करोड रुपए की बजट व्यवस्था को देखते हुए बोर्ड की सफलता को इस समय आंकना जल्दबाजी है ।

(ख) सरकार ऐसे प्रयोजनों के लिए अनुदानें नहीं देती है, जिनके लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सहायता मिलती है, परन्तु उसकी अपनी योजनाएं हैं, जिनके अधीन योग्य संगठनों को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है ।

(ग) (1) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना के अधीन इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों के अनुमोदित विकासात्मक परियोजनाओं पर अनुमोदित खर्च का 75% तक सरकार देती है;

(2) अखिल भारतीय आकार के अनुमोदित सगठनों को अनुदानें दी जाती हैं, जो 20,000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होती है; तथा

(3) स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों को सहायता देने की योजना के अधीन उपयुक्त कल्याण संगठनों को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए अनुमानित खर्च का 60 % तक दिया जाता है ।

Financial assistance to economically Backward people

*338. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that there are certain sections of the society, other than the Harijans, whose economic condition is pitiable;

(b) if so, whether Government are formulating any scheme to provide financial assistance to all those sections of the society, which are economically backward, so as to improve their economic condition; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) (a) to (c). There are sections, such as landless labourers, who are economically weak. The basic goal of the national plans is a rapid increase in the standard of living of the people, through measures which also promote equality and social justice, Programmes in the Agricultural and Industrial sectors are designed to enlarge employment opportunities for the weaker sections.

कच्चे लोहे (पिग आयरन) की कमी

339. **श्री बेधर बेहेरा :**
श्री अजमल खां :
श्री मोठालाल मोना :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री द० र० परमार :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे (पिग आयरन) की कमी है;

(ख) ग्रेड एक और दो के ढलाई के काम आने वाले कच्चे लोहे बिलेट हाट रोल्ड शीट, कॉइल्स, हाट तथा कोल्ड रोल्ड शीटों की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग फर्मों के कार्यकरण पर इस कमी के प्रभाव तथा देश में इनकी निर्यात फर्मों के बन्द हो जाने से बेरोजगारी के बारे में अनुमान लगाया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यद्यपि कुछ श्रेणियों की सप्लाई में कभी-कभी कमी हुई है किन्तु इस समय स्थिति यह है कि कच्चे लोहे का उत्पादन अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधारणतः पर्याप्त है।

(ख) कच्चे लोहे की श्रेणी 1 और 2 के उत्पादन में वृद्धि के लिए, जिनकी सप्लाई कम है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ कदम उठाये हैं। वर्ष 1969–70 में बेसिक ग्रेड कच्चे लोहे के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है जिससे कि ढलाई योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए अधिक क्षमता प्राप्त हो सके। संयुक्त संयन्त्र समिति ने ढलाई उद्योग से परामर्श करके एक साम्यिक वितरण प्रणाली निकाली है। जहां तक बिलेट और चादरों का प्रश्न है, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राप्त क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, बिलेटों की सप्लाई में सुधार के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने के इस्पात पिण्ड टिस्को द्वारा बिलेट के रूप में बेलित किए जा रहे हैं। इस वर्ष बिलेटों का निर्यात पिछले करारों तक सीमित कर दिया गया है सिवाय कुछ अपवादों के जिनमें सरकार की पूर्वाज्ञा के बाद थोड़ी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। चादरों की देशीय सप्लाई में वृद्धि के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को पतले आमान की चादरों के आयात के लिए उदारता से अनुमति दी जा रही है।

(ग) जी, नहीं। यद्यपि कभी-कभी कुछ पुनर्बलेक इकाइयों की अस्थाई बन्दी की खबरें सरकार को मिली हैं; लेकिन कोई सामान्य या बहुव्यापी उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और बोकारो इस्पात कारखानों का कार्य संचालन

*340. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जुलफेकार अली खां :
श्री प्र० के० देव :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची और बोकारो इस्पात कारखाने के कार्य संचालन के बारे में सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करदी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं। बिहार सरकार के कारण हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कार्यकरण अथवा बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एंड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

*341. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैण्डर्ड ड्रम एंड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को तारकोल के ढोलों का निर्माण करने के लिए किस तिथि को अनुमति दी गई थी;

(ख) इस कम्पनी का कारखाना तथा मशीनरी किस तिथि को स्थापित की गई थी; और

(ग) इस कम्पनी ने किस तिथि को तारकोल के ढोल बनाने का अपना उक्त कारखाना चालू किया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) मेसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई को 20 जुलाई, 1959 को 3000 इस्पात ढोलों के प्रतिदिन उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था। फर्म ने जुलाई, 1959 तक मशीन लगा ली थी और उसी माप में तारकोल के ड्रम बनाना प्रारम्भ कर दिया था।

तेलगांव में स्थानीय रेलगाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचना

*342. **श्री पी० विश्वम्भरन** :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना-बम्बई रेल मार्ग पर तेलगांव में स्थानीय रेलगाड़ियों की खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण कई रेलगाड़ियों के चलने में बाधा पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो खतरे की जंजीर खींचने की इतनी अधिक घटनाएं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां 1 जनवरी, 1969 से जून 1969 तक की छः महीनों की अवधि में तालेगांव में स्थानीय गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की 26 घटनाएं हुई।

(ख) इन स्थानीय गाड़ियों में यात्रा करने वाले औद्योगिक कर्मचारी अतिरिक्त गाड़ियां चलाने, वर्तमान गाड़ियों को समय पर चलाने, पूना-लोनावला खण्ड को "उपनगरीय" खण्ड घोषित करने आदि की अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बार-बार खतरे की जंजीर खींचते हैं।

(ग) खतरे की जंजीर खींचने से सम्बन्धित इस स्थिति पर नियंत्रण करना सम्भव नहीं पाया गया है, क्योंकि इन गाड़ियों के यात्रियों के असहयोग के कारण खतरे की जंजीर खींचने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाती। इसके अलावा रेल कर्मचारियों द्वारा कार्यवाई करने पर औद्योगिक कर्मचारी हिंसा पर उतर आते हैं। लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता देने के लिए प्रायः राज्य पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है।

Purchase of land for building of Divisional Office of North Eastern Railway at Samastipur

*343. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state the names of the persons whose lands are proposed to be purchased by Government for constructing building for the Divisional Office of the North Eastern Railway at Samastipur and the rates at which the land would be purchased ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) The construction of office and quarters at Samastipur in connection with the Divisional scheme is being done on the existing railway land, Acquisition of land is not involved.

क्यूल-जमालपुर सेक्शन (पूर्वी रेलवे) पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना, देरी से चलना तथा दुर्घटनायें

*344. **श्री मधुलिमये** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ठेकेदारों द्वारा एक छोटे से पुल के निर्माण में दोष होने के कारण क्यूल-जमालपुर सैक्शन, पूर्व रेलवे पर रेलगाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं और उनके चलने में देरी होती है तथा दुर्घटनायें होती है :

(ख) क्या रोकी जा सकने वाली इन छोटी दुर्घटनाओं, विलम्ब और यात्रियों की परेशानियों के बारे में कोई जांच करने का आदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) 27-2-1969 को किऊल-जमालपुर खण्ड पर घनौरी और किऊल स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी के दो माल डिब्बों के पटरी से उतर जाने की एक घटना हुई थी। लेकिन यह दुर्घटना ठेकेदार द्वारा किसी छोटे से पुल का दोषयुक्त निर्माण किये जाने के कारण नहीं हुई थी। गाड़ी के पटरी से उतर जाने की इस दुर्घटना के कारण कुछ यात्री गाड़ियों को रुकना पड़ा।

(ख) इस दुर्घटना की जांच वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी थी। समिति के निष्कर्ष के अनुसार माल डिब्बों में खराबी और नयी बिछायी गयी तथा अस्थायी परिवर्तित पटरी में खराबी, दोनों के मिले-जुले प्रभाव के कारण गाड़ी के पटरी से उतर जाने की यह घटना हुई थी।

(ग) हाल के महीनों में छोटी-मोटी दुर्घटनाओं, गाड़ियों के रुके रहने और यात्रियों को परेशानी होने का कोई और मामला नहीं हुआ है।

पोर्टलैंड सीमेन्ट

*346. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने सिफारिश की है कि पोर्टलैंड सीमेन्ट का उसकी शक्ति के आधार पर स्पष्टतया दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिये;

(ख) क्या सीमेन्ट निर्माता संघ इस प्रस्ताव के पक्ष में है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारतीय मानक संस्था पोर्टलैण्ड सीमेंट का उसकी शक्ति के आधार पर वर्गीकरण करने पर विचार कर रही है । सरकार इस विषय में अन्तिम निर्णय भारतीय मानक संस्था का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद ही करेगी ।

Price of Paper

*347. **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the extent of increase in the price of paper during the last year and the reasons therefor;

(b) the grounds on which Government permitted the increase in price of paper ;

(c) whether Government would press the paper manufacturers to reduce the price of paper; and

(d) if not, the reasons therfor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The prices of paper were decontrolled on 3.5.1968. Soon after the decontrol, the paper industry increased the prices by Rs. 250/- per tonne on the ground that there has been a general increase in the cost of production. Subsequently, in April, 1969, the industry further increased the prices by Rs. 95 to Rs. 150 per tonne, depending on the grammage of paper, on the same ground.

(b) The industry did not consult Government befere effecting the increases in prices.

(c) and (d) . The action to be taken in the context of the price increases is under Government's consideration.

Promotion of Running Staff in Reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

*348. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3440 on the 18th March, 1969 and state:

(a) whether promotions of the staff in the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribe employees on the North Eastern Railway, Northern Railway and other Zonal Railways have beee made according to the provisions of Railway Board's letter No. (E) (SCT)/68-CM15/10, dated the 27th August, 1968;

(b) if so, the details thereof, Zone-wise; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c) : On the Railways, where selections in the category of running staff have been held after the issue of Railway Board's letter dated 27th August 1968, promotions have been made according to the provisions of this letter. The details thereof, Zone-wise, are given in the attached statement.

Statement

After issue of orders vide Railway Board's letter No. E (SCT) 68CM15/10 dated 27-8-68, selections in respect of Running staff categories have been held on all Zonal information is given below:-

Railways	No. of Scheduled Castes/Tribes selected for promotion	
	Number	Post
Central	One Scheduled Caste	Guard Grade 'A'
Eastern	Two Scheduled Castes	Driver Grade 'A'
	Twelve Scheduled Castes	Driver Grade 'B'
Northern	One Scheduled Caste	Guard Grade 'A'
	Seven Scheduled Castes	Driver Grade 'B'
North Eastern	One Scheduled Caste	Driver Grade 'A'
	Eleven Scheduled Castes	Driver Grade 'B'
Northeast Frontier	Two Scheduled Castes and One Scheduled Tribe	Guard Grade 'A'
Southern	Six Scheduled Castes	Driver Grade 'A'
	Five Scheduled Castes	Driver Grade 'B'
South Central	One Scheduled Tribe	Guard Grade 'A'
South Eastern.	Three Scheduled Castes	Driver Grade 'A'
	One Scheduled Tribe	Driver Grade 'A'

On the Western Railway, no selection for posts in running staff categories have been held so far after 27-8-68.

दिल्ली में हरिजनों के उत्थान की योजनायें

*349. श्री कार्तिक उरांव :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री झा० सुन्दरलाल :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली प्रशासन ने हरिजनों के उत्थान के लिए क्या 2 योजनायें भेजी हैं; और

(ख) सरकार ने उनमें से कितनी योजनाओं की स्वीकृति दी है और शेष योजनाओं के अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्याल राव): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा हरिजनों के कल्याण के लिए 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान प्रस्तावित योजनाओं में शैक्षिणिक, आर्थिक और सामजिक विकास की सुविधाएं शामिल हैं।

(ख) 16 योजनाओं में 10 को अनुमोदित कर दिया गया था। साधनों के सीमित होने अथवा सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों में ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण अन्य योजनाओं का अनुमोदन नहीं किया गया है।

नांगल से ऊना तक रेलवे लाइन

*350. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश में 4,000 वर्गमील क्षेत्र में, जिसमें बिलासपुर जिला, ऊना और हमीरपुर सब डिवीजन शामिल हैं, न तो कोई रेलवे स्टेशन है और न ही मील भर रेलवे लाइन है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि रेलवे लाइन न होने के कारण गत वर्ष इन क्षेत्रों को खाद्य-पदार्थ नहीं भेजे जा सके जिसके परिणामस्वरूप लोगों को बड़ी कठिनाई उठानी पडी; और

(ग) क्या इस बात को देखते हुए सरकार का विचार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नांगल से ऊना तक नौ मील लम्बी रेलवे लाइन बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि रेल सुविधाओं के अभाव में हिमाचल प्रदेश के भीतरी भाग में अनाज के संचलन में कोई कठिनाई हो रही है।

(ग) अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति और खर्च में अधिकतम मितव्ययिता की महती आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार किये जाने की संभावना बहुत कम है।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का सुधार

*351. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के अग्रेतर सुधार के लिए कोई योजनायें विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को विश्व की लगभग सभी राजधानियों के रेलवे स्टेशनों पर किये गये सुधारों की जानकारी है;

(ग) क्या उनकी तुलना में दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पिछड़े हुए हैं; और

(घ) क्या दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी और इस कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर होने वाले यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन स्टेशनों पर पहले से पर्याप्त सुख सुविधाएं उपलब्ध है।

(ख) और (ग). विश्व की राजधानियों के रेलवे स्टेशनों की तुलना दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों से करना सम्भव नहीं है क्योंकि यात्री यातायात की आवश्यकताओं जलवायु गाडियों की संख्या आदि की दृष्टि से वन स्टेशनों में बहुत अन्तर है। भारत में स्टेशनों के किसी प्रकार के आधुनिकीकरण की योजना बनाते समय रेलों को यातायात की आवश्यकताओं, रेल उपयोगकर्ताओं की आदतें और उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखना होता है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Import of Paper

*352. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Srahdakar Supakar :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the total consumption of different varieties of paper in the country;

(b) the quantity of different varieties of paper imported from abroad;

(c) the extent to which the imports of paper have been reduced so far and how; and

(d) the time by which and the scheme according to which the import of paper is likely to be stopped ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) ; (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जम्मू-काश्मीर में उप-निर्वाचन

*353. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में हाल ही में हुए उप-निर्वाचनों में सरकारी पद/सरकारी शासन तंत्र का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यह आरोप किस प्रकार के हैं;

(ग) क्या इस मामले में जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

परिवादी का नाम	परिवाद की प्रकृति	टिप्पण
1-श्री अब्दुल गनी, सचिव, नेशनल कान्फ्रैंस	कांग्रेस द्वारा राजनीतिक सभा करने के लिए टाउन हाल,सौपुर का उपयोग (और उसी हाल का नेशनल कान्फ्रैंस के लिए इन्कार)	राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सौपुर के टाउन हाल में कांग्रेस की कोई सभा नहीं की गई बल्कि सैयद मीर कासिम से भेंट करने के लिए, जो वहां ठहरे हुये थे, व्यक्तियों का एक समूह वहां इकट्ठा हुआ था । टाउन हाल का उपयोग करने के लिए नेशनल कान्फ्रैंस का आवेदन नामंजूर कर दिया गया था क्योंकि राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए इसके उपयोग की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती थी ।
	कतिपय सरकारी पदधारियों का कांग्रेस की सभाओं में भाग लेना ।	पुलिस उप-अधीक्षक, सौपुर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये आरोप सत्य नहीं है ।
2-श्री श्यामलाल सराफ, अध्यक्ष नेशनल कांन्फ्रैंस ।	शासक दल के अभ्यर्थी के पक्ष में निर्वाचन अभियान में सरकारी शासन तंत्र का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग किया गया;	आयोग के निदेश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने श्री श्यामलाल सराफ से टेलीफोन पर

	परिवहन तथा अन्य विभागीय गाड़ियों का निर्वाचन प्रयोजनों के लिए खुल कर उपयोग किया गया;	सम्पर्क स्थापित किया और उनके द्वारा किए गए आरोपों पर विचार विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि आरोप निराधार थे।
	प्रचार भार सरकारी सूचना विभाग तथा क्षेत्र सर्वेक्षण संगठन एफ० एस० ओ० को सोंप दिया गया;	
	कांग्रेस दल के अभ्यर्थियों के फायदे के लिये अधिकारियों तथा कर्मचारियों का तबादला किया गया तथा उन्हें हटाया गया; और पैसा बांटा गया मतदाताओं को जीतने के लिये निर्माण ठेके दिये गये और शासक दल के उम्मीदवारों के लिये समर्थन प्राप्त करने के लिये सरकारी अभिकरणों द्वारा सभी प्रकार के वायदे किये गये।	
सोपोर चुनाव क्षेत्र में उप-चुनाव के लिये एक चुनाव प्रत्याशी	एक क्लर्क शमसुद्दीन शासक दल के लिये कार्य कर रहा था।	चुनाव अधिकारी सोपोर ने कहा कि चूंकि शिकायत बेनाम थी और मामूली सी थी, अतः कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है।
उसी चुनाव क्षेत्र के एक उम्मीदवार श्री हबीबउल्ला लोन	श्री हबीबउल्ला के मुख्य एजेंट को जाली मामलों में फसाया जा रहा था और पुलिस से उसको तंग करने और मतदाताओं पर जोर डालने के लिए कहा गया था।	मुख्य चुनाव अधिकारी, श्रीनगर ने कहा कि शिकायतें निराधार हैं।

मैसर्स हिन्द गेलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड को इस्पात के चादरों की सप्लाई

*354. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा 1964 65 के लिये मैसर्स हिन्द गेलवे-नाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को किये गये 1011 टन 18 गेज की इस्पात की चादरों के आवंटन के अन्तर्गत निर्माताओं ने उक्त चादरों की सप्लाई इस फर्म को कब आरम्भ की;

(ख) उक्त कम्पनी ने, मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल, तथा रामकिशन कुलवन्त राय तथा किन्हीं अन्य साधनों से खुले बाजार में बिकने वाली इस्पात चादरें कितनी मात्रा में खरीदीं;

(ग) उक्त कम्पनी द्वारा इस्पात की इन चादरों से कितने ढोल बनाये गये और विभिन्न पक्षों को सप्लाई किये गये;

(घ) क्या यह सच है कि इस्पात की इन चादरों के क्रय-विक्रय से संबंधित जानकारी लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा रखी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार उपरोक्त आयातकों और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से सत्यापन करके सभा को सही स्थिति क्यों नहीं बताती, कि क्या मैसर्स हिन्द गेलवेनाइजिंग को खुले बाजार में बिकने वाली चादरें सप्लाई की गई थीं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Late Running of Trains

355. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the measures being adopted to check the late running of trains;

(b) whether there are some such trains which have run late on more than half the number of days in a year; and

(c) if so, whether any efforts have been made to find out the causes of their late running ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (c). The greatest importance is attached to the punctual running of passenger carrying trains at all levels in the zonal Railways and in the Railway Board. A minute-to-minute watch is maintained on the running of passenger carrying trains in the Divisional Control offices. Punctuality of passenger carrying trains is watched daily in the zonal railway headquarters. Trends of punctuality are also reviewed at the highest level in the Railway Board, periodically.

Late running of trains is caused by the indiscriminate use of alarm chain apparatus resulting in out-of course detentions, which dislocate the running schedules of passenger carrying trains, particularly on single line sections; thefts of essential rail. way equipment, e. g., copper wire/traction wire, etc. resulting in failure of commnunications; agitations, bundhs and demonstrations, etc. etc., in addition to occasional failures of equipment, e. g. signal and point failures, engine/rolling stock defects etc.

All cases of avoidable detentions to passenger carrying trains are analysed and punitive and corrective action taken in each case.

(b) Yes, Sir.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

*356. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कार्यकरण में 1968-69 में हुई हानि की तुलना में चालू वर्ष की पहली तिमाही में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस तिमाही में उत्पादन में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कम्पनी की 90 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करने तथा लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ कमाने की आशा है; और

(घ) वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक के बिक्री लाभ और घाटे के आंकड़े क्या हैं, और 1969-70 के अनुमानित आंकड़े क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 1969-70 की प्रथम तिमाही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० में मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग उसी स्तर पर रहा जितना कि 1968-69 की प्रथम तिमाही में था, फिर भी यह उत्पादन 1968-69 के अन्तिम तिमाही के मुकाबले पर्याप्त कम था। क्रयादेशों के प्राप्त होने की स्थिति में सुधार होने के कारण, 1969-70 की आने वाली तिमाहियों में 1968-69 की अपेक्षा काम अधिक होने की आशा है। 1969-70 की प्रथम तिमाही में कम्पनी के घड़ी बनाने वाले कारखाने ने घड़ियों के उत्पादन में अर्द्धगामी प्रवृत्ति रखे।

(ग) यदि नियमित और पर्याप्त मात्रा में क्रयादेश प्राप्त होते रहे तो 1969-70 में कम्पनी अपने संयंत्र क्षमता की 80 प्रतिशत क्षमता को मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाने की आशा करती है। अपने संयंत्र क्षमता के पूर्णतम उपयोग तथा उत्पादन की नई लाइनों की प्राक्कल्लित स्थापना से कम्पनी को नियोजित पूंजी से यथोचित लाभ अर्जित करने की आशा है।

(घ)

(कीमत लाख रु० में)

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
बिक्री	1505	1465	1535 (अस्थाई)	2148 (अनुमानित)
पूर्ण लाभ (+) या हानि (-)	(+) 126	(-) 66	(-) 34 (अस्थाई)	अनुमान नहीं लगाया गया

हरियाणा में कच्चे लोहे (पिग आयरन) कारखाने की स्थापना

*358. श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा राज्य में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सितम्बर 1963 में अविभाजित पंजाब के उद्योग निदेशक के नाम में हिसार जिले में 100,000 टन वार्षिक क्षमता का कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र दिया गया था ।

(ख) और (ग) . चूंकि कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई, अत: आशय-पत्र 20 नवम्बर 1969 को मंसूख कर दिया गया ।

तेलंगाना आंदोलन के कारण रेलवे संपत्ति की हानि

*359. श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री वि०ना० शास्त्री :
श्री न०रा० देवघरे :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री द० व० राजू :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री जुगल मंडल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शशि भूषन :
श्री रा० कृ० बिडला :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना क्षेत्र में एक अलग राज्य की स्थापना के लिए आन्दोलन चलने के समय से रेलवे संपत्ति को हानि होने, रेल गाड़ियों को आग लगने, यात्री तथा माल गाड़ियों के मार्ग बदलने तथा रेलगाड़ियों के रुकने के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ख) रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करने तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में से रेलवे यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तेलंगाना आन्दोलन के परिणामस्वरूप जून 1969 के अन्त तक कुल 203 लाख रुपये के मूल्य की रेल सम्पत्ति के खो जाने, क्षतिग्रस्त

होने या जला दिये जाने का अनुमान है। गाड़ियों को दूसरे मार्गों से चलाने या यात्री और माल गाड़ियों को रोक रखने के कारण आमदनी में होने वाले घाटे का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आंध्र प्रदेश में आंदोलन के साथ साथ विनाशकारी तूफान भी आया था और इन दोनों के परिणाम एक दूसरे के साथ मिल गये थे।

(ख) जिन रेलवे स्टेशनों पर आसानी से हमले हो सकते हैं उन पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र रक्षक रेलवे सुरक्षा विभाग दल, रेलवे पुलिस और जिला पुलिस तैनात की जाती है। इसके अलावा रेल संपत्ति और दूर-संचार उपस्करों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पैदल और ब्रेकयान वाले इंजन पर चलते फिरते पहरेदार की व्यवस्था की गई है। इन्जीनियरिंग गैंगमैनों द्वारा भी गश्त की व्यवस्था की गई है। उपद्रवग्रस्त खण्डों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों में अनुरक्षक रहते हैं। राज्य पुलिस के साथ भी उपयुक्त स्तर पर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य पूर्ण होना

*360. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य के निर्धारित कार्य-क्रम पर श्रमिकों के विवाद का दुष्परिणाम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्यक्रम निश्चित तिथि से कितना पिछड़ जायेगा; और

(ग) क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जिससे परियोजना क्षेत्र में औद्योगिक शांति कायम रखी जाये और निर्माणाधीन संयंत्र का निर्माण कार्य अनावश्यक विलम्ब के बिना पूरा हो जाये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं। श्रमिक विवाद इतने गम्भीर नहीं थे जिनसे निर्माण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि जहां तक हो सके ठेकेदार अपने कर्मचारियों की यथार्थ शिकायतें दूर करें। सुरक्षा दल के पुनर्गठन के लिये भी कदम उठाये गये हैं। अन्ततः गत मई में ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच जो विवाद खड़ा हो गया था वह मध्यस्थ निर्णय के लिये बिहार के श्रम-आयुक्त को भेज दिया गया है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे माल का आयात

2124. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** 19 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न सं० 692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग बोर्ड की नवम्बर, 1967 में हुई बैठक में उद्योगपतियों के द्वारा दिये गये इन सुझाओं पर कि वे अपने माल का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम के बजाय सीधे आयात करना अधिक पसन्द करेंगे, क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) यदि उद्योगपतियों का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सुझाव को निम्नलिखित कारणों से स्वीकृत नहीं किया जा सकता :-

(i) व्यापार योजना के अन्तर्गत आता है धातुओं का आयात, सामान्य रूप से रुपये में भुगतान करने वाले देशों से किया जाता है। इन देशों के साथ बात चीत करने के बारे में एक एकल एजेंसी होनी चाहिए।

(ii) कुछ केमिकल वस्तुओं का आयात बड़े तथा लघु दोनों उद्योगों जैसे मर्करी, कार्कवुड, मटन टैलो तथा सोडियम नाइट्रेट आदि के लिए किया जाता है और यह केवल राज्य व्यापार निगम तथा खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा ही किया जा सकता है।

(iii) कुछ मामलों में वस्तुओं एवं आयात विशिष्ट जमा के आधार पर होता है जिसके अधीन आयात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ राशि निर्धारित की गई है, इस शर्त को पूरा करने पर राज्य व्यापार निगम तथा खनिज धातु व्यापार निगम के माध्यम से अधिक मात्रा में आयात किया जाता है।

मैसर्स रेंमिगटन रैंड को लाइसेंस

2125. **श्री बाबूराम पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टाइपराइटर बनाने के कारखाने कितने हैं, उनके नाम क्या है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में प्रतिवर्ष कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(ख) देश में प्रतिवर्ष कितने तथा कितने मूल्य के टाइपराइटरों की आवश्यकता पड़ती है;

(ग) पिछले वर्ष कौन-कौन से, कितने तथा कितने मूल्य के टाइपराइटरों का आयात किया गया और वे किन-किन देशों से आयात किये गये तथा प्रत्येक देश से कितने-कितने टाइपराइटर आयात किये गये;

(घ) क्या यह सच है कि कारखानों से मैसर्स रैमिंगटन रैंड को निर्माण लाइसेंस देना रोका गया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक विवरण (i) संलग्न है ।[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1518/69] ।

(ख) योजना आयोग के अनुसार चतुर्थ योजना के अन्त तक 15,000 पोर्टेबिल टाइप राइटरों को मिलाकर कुल 1 लाख टाइपराइटरों की मांग होने का अनुमान है । टाइप राइटरों की वर्षवार मांग होने का अनुमान नहीं किया गया है । टाइप राइटरों का मूल्य फर्मों के अनुसार एक

(ग) विवरण (ii) संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1518/69]

(घ) और (ङ). मार्च, 1968 में मैसर्स रेमिंगटन रैंड आफ इंडिया लि० के द्वारा पोर्टेबिल टाइप राइटरों के उत्पादन लायसेंस के लिये दिया गया आवेदन सरकार को स्वीकार नहीं था क्योंकि इसमें उपकरणों का आयात सर्वाधिकार तथा तकनीकी शुल्क के अतिरिक्त लाभ के रूप में विदेशी मुद्रा का निर्गमन तथा नये उत्पादन कार्यों से संबधित लाभांश आदि भी सम्मिलित था । कम्पनी का विचार एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने का है तथा उसे एक नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ।

रेलवे सैलून तथा टूरिस्ट कार

2126. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में गेज तथा वर्गवार कुल कितने अवातानुकूलित तथा वातानुकूलित सैलून/टूरिस्ट कार हैं;

(ख) इन सैलूनों/टूरिस्ट कारों तथा निरीक्षण डिब्बों में निर्धारित सीटें कितनी हैं और प्रत्येक में कितने यात्रियों को यात्रा करने दी जाती है;

(ग) किस वर्ग के अधिकारियों अथवा गणमान्य व्यक्तियों को इन सैलूनों आदि का प्रयोग करने दिया जाता है और ऐसी यात्राओं के लिये कितनी राशि ली जाती है; तथा उनके किराये पर देने की क्या व्यवस्था है;

(घ) क्या ये सैलून जनता के लिये उपलब्ध हैं और यदि हां, तो उनके लिये वर्ग-वार किस दर पर राशि ली जाती है और उन्हें किस तरह और कैसे किराये पर प्राप्त किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इन डिब्बों में मानक स्थान के अन्तर्गत बैठने और दफतर का कमरा, शयनागार स्नानागार, रसोई और कर्मचारियों के लिए स्थान होता है । हर डिब्बे में शायिकाओं सीटों

की संख्या भिन्न-भिन्न होती हैं । अंकित क्षमता से अधिक यात्री भी स्वामान्य किराया देकर इन डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1579/69]

(घ) सरकार के उच्च अधिकारियों के उपयोग के लिये विशेष आरक्षित डिब्बों की व्यवस्था की जाती है । इन उच्च अधिकारियों के लिये आरक्षित सैलूनों को छोड़कर दूसरे डिब्बे जनता के लिये उपलब्ध किये जाते हैं । एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध II) जिसमें प्रभार्य दरों और इन डिब्बों की मांग की शर्तों का उल्लेख किया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1519/69]

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

जमालपुर रेल इंजन वर्कशाप से अलोह वस्तुओं की चोरी

2127. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में जमालपुर लोको वर्कशाप से बड़े पैमाने पर अलोह वस्तुओं की चोरी के सम्बन्ध में रेलवे के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो ने कौन-कौन से व्यक्ति गिरफ्तार किये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने मूल्य के माल की चोरी हुई ;

(ग) चोरों के इस गिरोह से कौन-कौन से प्रमुख व्यापारी सम्बद्ध है ;

(घ) इन चोरों तथा उनसे सहयोगकर्ता व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और अब तक उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारियों ने उनके मंत्रालय से इस मामले का अदालत के बाहर निपटारा करने का अनुरोध किया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1968-69 की अवधि में रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जमालपुर के सर्वश्री फैजुल, सुरेश प्रसाद, महावीर प्रसाद और महेश्वर प्रसाद, जलन्धर सिटी के प्रीतू, और मिर्जापुर के रूपचन्द तथा कैलाश नाथ गिरफ्तार किये गये थे । रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा इसके पहले कोई और गिरफ्तारियां नहीं की गयी थी ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में चोरी गये माल (अलोह वस्तु) का मूल्य लगभग 1,10 221 रुपये था । इसके अलावा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो ने 1968-69 की अवधि में चोरी गये गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किये गये और जमालपुर को बुक किये गये लगभग 1,41, 000 रुपये का अलोह माल को जलन्धर सिटी और मिर्जापुर में पकड़ा ।

(ग) सन्देह है कि मिर्जापुर के व्यापारी सर्वश्री रूपचन्द और कैलाश नाथ और जमालपुर के महावीर प्रसाद चोरों के इस गिरोह से सम्बन्ध रखते हैं ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में 149 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इनमें से 25 को सजा हुई, 12 को अदालत या पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया और 112 पर अभी भी अदालत में मुकदमा चल रहा है। 95 कर्मचारियों को भी सन्देह में पकड़ा गया जिनमें से 6 को विभागीय दण्ड दिया गया और 9 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी भी जारी है। रेल परिसम्पत्ति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यापारियों के विरुद्ध मामलों की जाँच की जा रही है।

(ङ) जी नहीं।

चार पहिये वाले माल डिब्बे

2128. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के चार पहिये वाले नये माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ती हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों मे गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के चार पहिये वाले डिब्बे तैयार किये गये और वे किन-किन तथा कहां-कहां स्थित कारखानों में बनाये गये ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के चार पहिये वाले डिब्बे तैयार किये गये और वे किन-किन तथा कहां-कहां स्थित कारखानों में बनाये गये ;

(घ) क्या माल डिब्बे अब भी बाहर से मंगाये जाते हैं और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने तथा कितने मूल्य के माल डिब्बों का आयात किया गया और किस देश से किया गया ; और

(ङ) क्या भारत में बने माल डिब्बों का निर्यात किया गया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने तथा कितने मूल्य के माल डिब्बों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को किया गया ;

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलों को जितने माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी सख्या तथा उनका मूल्य यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर वर्षानुवर्ष अलग-अलग होता है। फिर भी, अनुमान है कि चौथी योजना अर्थात् 1969-70 से 1973-74 तक की अवधि में रेलों को लगभग एक लाख माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1520/69]

(घ) जी नहीं।

(ङ) निर्यात के लिए माल डिब्बों का निर्माण, अधिकाशत: निजी क्षेत्र के फर्मों द्वारा किया जाता है, जो अपनी दरें सीधे या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिये भेजते हैं।

रेलवे में भोजनालय में नियुक्त कर्मचारी

2129. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जलपान कक्षों तथा भोजनायानों में रेलवे-वार कुल कितने भोजनयान प्रबन्धक, स्टोर्स क्लर्क, प्रधान तथा सहायक रसोइये, रोटी बनाने वाले, भोजन आदि परोसने वाले, तथा साफ-सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) लम्बी दूरी वाली गाड़ी में ऐसे भोजनयान कर्मचारी औसतन कितने होते हैं और क्या इन कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त मुफ्त भोजन दिया जाता है;

(ग) इन कर्मचारियों के, वर्ग-वार वेतन-मान क्या हैं; और

(घ) गाड़ियों में भोजन की शुद्धता तथा किस्म की जांच करने के लिये कितने निरीक्षक होते हैं और वे जांच किस प्रकार करते हैं तथा इन निरक्षकों का वेतन-क्रम क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अनुबन्ध 'क' में एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1521/69]**

(ख) 27;

(ग) चूंकि भोजन यान के कर्मचारी अपने प्रधान कार्यालय से बाहर दौरे पर रहते हैं, इसलिए वे अपने वेतन के अलावा नियमानुसार यात्रा भत्ता पाने के हकदार हैं। लेकिन भोजन यान के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते से आधा भत्ता दिया जाता है क्योंकि उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाता है।

(घ) अनुबन्ध 'ख' में एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 521/6]**

(ङ) अनुबन्ध 'ग' में एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1521/69]**

मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के स्कूल और आवास की छत का गिरना

2130. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री शशि भूषण :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जून, 1969 को आनन्द पर्वत, नई दिल्ली स्थित मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के स्कूल और आवास की छत गिर गई जिसके परिणाम-स्वरूप एक बच्चे की मृत्यु हो गई और तीन अन्य बच्चे घायल हो गये; और

(ख) क्या बच्चों के उस स्कूल और आवास का किसी उपयुक्त शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) जी हां।

(ख) 1968-69 में इस स्कूल का समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली के, जिसके अधीन यह स्कूल चल रहा है, अधिकारियों ने सात बार निरीक्षण किया था।

रेलवे में कार्यभारित श्रमिक

2131. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कार्य भारित श्रमिक रेलवे में तीन साल से अधिक समय से सेवा कर चुके हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उन्हें अर्ध-स्थायी न किये जाने से उन श्रमिक को कितनी कठिनाइयां तथा दिमागी परेशानियां होती है, यद्यपि उनमें से अधिकतर लोगों को सरकार की सेवा करते हुए कई वर्ष हो चुके है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय नैमित्तिक श्रमिकों से है। तत्काल उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 31-3-68 को रेलों पर लगभग 35 हजार ऐसे नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे थे जिनकी सेवा 3 वर्ष से अधिक हो गयी थी। इन में से लगभग 12 हजार श्रमिक परियोजनाओं पर नियुक्त हैं उन्हें यह बात विशेष रूप से समझा कर काम पर लगाया गया था कि उनकी नौकरी तब तक रहेगी जब तक उस परियोजना का काम चलेगा। लेकिन जिन नैमित्तिक श्रमिकों को परियोजनाओं से भिन्न किन्हीं और कमों पर लगाया जाता है उन्हें 6 महीने की नौकरी पूरी हो जाने के बाद अस्थायी पद दे दिया जाता है जिससे वे अस्थायी नौकरी की सभी सुविधाएं पाने के हकदार हो जाते हैं। उन सब को नियमित पदों पर नियुक्त करना सम्भव नहीं है। नियमों के अनुसार यदि नैमित्तिक श्रमिक विधिवत गठित चुनाव बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप से चुन लिये जाते हैं तो उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है। 1966 से 1968 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 31 हजार नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित पदों में समाहित किया गया।

समाज कल्याण गोष्ठी

2132 **श्री यशपाल सिंह** :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1969 में दिल्ली में हुई समाज कल्याण गोष्ठी में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी क्या उनकी रिपोर्ट इस बीच सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या चर्चा हुई थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

आत्महत्या को अपराध मानना

2133. **डा० सुशीला नैयर :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 8009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुधारात्मक सेवाएं सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशों पर जो उसके विचाराधीन थीं, विचार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) . सुधारात्मक सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी ने सामाजिक रक्षा के अन्य विषयों के साथ-साथ आत्मघात के विषय पर, भी विचार किया था और यह सिफारिश की थी कि अपराध मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए भारी विकास को देखते हुए भारतीय दण्ड सहिता की धारा 34 में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि उन लोगों के सम्बन्ध में "कम उत्तरदायित्व" की धारणा जारी की जाए, जो कानूनी रूप से तो पागल नहीं हैं, पर जिन्हें मानसिक रूप से भटके हुए प्रमाणित कर दिया जाता है और ऐसे मानसिक भटकाव के अधीन वे अपराध कर बैठते हैं ।

गोष्ठी की सिफारिशों को पहले ही राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों को विचारार्थ भेज दिया गया है । उत्तरों की प्रतिक्षा की जा रहीं है ।

टेनिस की गेंदों की कमी

2134. **श्री सु० कु० तापडिया :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेनिस गेंदों की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत अधिक दामों पर टेनिस की गेंदों को काले बाजार में बेचा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने टेनिस की गेंदों के मूल्य को नियंत्रित करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार का टेनिस की गेंदों के निर्माण के लिए और अधिक लाइसेंस देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) देश में ही बनी टेनिसबालों पर अधिक कीमतें वसूल किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) अभी हाल में ही एक कम्पनी को प्रति वर्ष 50,000 दर्जन टेनिसबाल बनाने का आशय पत्र दिया गया है।

अनुसूचित जातियों का आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन

2135. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन के बीच सम्बन्ध पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुय्याल राव) : (क) तथा (ख). एक भारतीय समुदाय की सम्बन्धित सामाजिक हैसियत अनेक बातों पर निर्भर करती है, जिनमें ये बातें शामिल हैं :–

(क) शिक्षा का स्तर।

(ख) व्यवसाय का प्रकार।

(ग) आय (आर्थिक स्तर)

(घ) परम्परागत सामाजिक आचरण।

(ङ) धार्मिक विश्वास।

अनुसूचित जातियों के लिये नौकरी के अवसर

2136. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस तथ्य की ओर ध्यान न देने के क्या कारण हैं कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक निर्योगितायें कुलीन जातियों के लोगों पर उनके आर्थिक रूप से निर्भर रहने के कारण हैं;

(ख) क्या सरकार केवल परीक्षण करने के लिये कम से कम नमूना क्षेत्रों में हरिजनों को न्यूनतम मजूरी पर रोजगार का आश्वासन देगी ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार रोजगार से लाभ उठाने वालों की संख्या दस लाख से कम है, सरकार की शेष अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये क्या योजनाएं है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुध्यालराव) : (क) से (ग) . यह उपधारणा ठीक नहीं है । "चतुर्थ" पचवर्षीय योजना 1969–70–मसौदा" के, जिसकी प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, पैराग्राफ 1.38 तथा 1.39 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । व्यवसायिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने तथा परम्परागत आर्थिक अन्तर्निभंरता को दूर करने के लिए, योजनाओं में शिक्षा तथा हुनरों के विकास पर काफी बल दिया गया है ताकि व्याणिज्य, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में रोजगार के नए रास्ते खुल जाएं । भूमिहीनों को भूमि नियत करने के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र में विनियोजन

2137. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में वास्तव में कुल कितनी पूंजी लगाई गई जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना में 24,00 करोड़ रुपये के विनियोजन के अनुमान का औचित्य सिद्ध हो सके ;

(ख) क्या परियोजनाओं को वर्तमान बेकार पड़ी क्षमता को ध्यान में रखते हुए भी उनमें और अधिक पूंजी लगाई जा रही है;

(ग) किन परियोजनाओं में क्षमता अपर्याप्त सिद्ध हो रही है; और

(घ) जिन परियोजनाओं पर धन लगाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है, क्या उनमें उत्पादन के एकक पर लागत की विश्व के मूल्यों से तुलना कर ली गई है और यदि नहीं, तो क्या उर्वरकों, मशीनी औजारों, पम्पसेटों, कीटनाशकों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं में जिनके मूल्य भारत में उसी तरह की आयातित वस्तुओं के मूल्यों से 50 से 150 प्रतिशत अधिक हैं और उपभोक्ताओं तथा कृषक से उद्योगों तथा श्रम में पूंजी लगाने को बाध्य करना क्या उचित है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत पांच वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी के ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं है । सामान्य गणना के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपये का विनियोजन गत पांच वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र में किया जा चुका है । चतुर्थ योजना प्रारूप में यह मोटे तौर पर यह पूर्वानुमान किया जाता है कि योजना अवधि में उद्योगों तथा खनिजों के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी विनियोजन 2400 करोड़ रुपये होगा । सरकारी क्षेत्र कार्यक्रम में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों को ऋण देने के लिए शर्तों पर उधार देने वाले संस्थानों के हेतु सरकारी फंड से की गई है । जहां सभी

प्राप्त साधनों से इस किस्म के विनियोजित कार्यक्रम की सहायता प्राप्त की जा सकती है, उन कार्यक्रमों में धन प्राप्ति गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा इन साधनों को प्रयुक्त करने पर निर्भर है।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में, परियोजनाओं की व्यवहार्यता निर्धारण में उत्पादन लागत का लेखा जोखा लिया जाता है परन्तु कई कारणों से विश्व के मूल्यों से तुलना करना संभव नहीं है जिसमें कच्चे मालों की कीमत, मजदूरी आदि जो देश में प्रचलित है, सम्मिलित हैं। यह भी तो आवश्यक नहीं है कि उत्पादन करने वाले देशों की लागत को या उन देशों के विक्रय मूल्यों को विश्व मूल्य प्रतिबिम्बित करते हों।

इस्पात की उत्पादन क्षमता का विस्तार

2138. **श्री लोबो प्रभु :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर 81 लाख टन करने के क्या कारण हैं जब कि वर्तमान क्षमता के 69 लाख टन होते हुए भी केवल 46 लाख टन का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) गत वर्ष कितना इस्पात बिना बिका पड़ा रहा, तथा कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया और उन पर कितनी राज सहायता दी गई;

(ग) क्या उन मदों की क्षमता का विस्तार किया जायेगा जिन का इस समय आयात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान क्षमता के विवधीकरण से उनका उत्पादन संभव नहीं है; और

(ङ) क्या औद्योगिक अवस्थापना (इन्फास्ट्रुक्चर) पहले ही स्थापित कर ली गई है और किस गणना के आधार पर यह समझा गया है कि इस्पात की मांग बढ़ेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) विस्तार की व्यवस्था चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में की गई है ताकि तैयार इस्पात की 8.42 मिलियन टन की अनुमानित मांग पूरी की जा सके। इसमें 1973–74 के लिए अनुमानित निर्यात की मात्रा भी शामिल हैं। वर्तमान निर्धारित क्षमता 7.05 मिलियन टन है और 90% उपयोग के आधार पर वास्तविक क्षमता 6.3 मिलियन टन हैं।

(ख) 31–3–1969 की बन्दी के समय स्टाक की स्थिति से पता चलता है कि सभी इस्पात कारखानों के पास कुल 205,103 टन तैयार इस्पात था। इससे यह आशय नहीं है कि इतनी मात्रा खपत के अभाव में बिक न सकी। यातायात की कठिनाइयों तथा अन्य कारणों

के फलस्वरुप तैयार इस्पात की मात्रा का इस्पात कारखानों में पड़ा रहना सामान्य बात है। वर्ष 1968-69 में 816,476 टन इस्पात का निर्यात किया गया। इसके अतिरिक्त 800,286 टन कच्चा लोहा भी निर्यात किया गया। दिसम्बर 1968 तक निर्यात के लिए दी गई वित्तीय सहायता की राशि 6.25 करोड़ रुपये (अनुमानित) थी।

(ग) क्षमता का विस्तार अशतः आजकल आयात की जा रही वस्तुओं जैसे चपटे पदार्थों की पूर्ति और अशतः बिलेट जैसे पदार्थों के, जो काफी दुर्लभ हो गये थे, की कमी को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आर्थिक विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास को दम मिला कर चलना है। अतः पहले के विस्तार के साथ दूसरे का विस्तार आवश्यक ही है। इस्पात की मांग का अनुमान लगाते समय यातायात, विद्युत-उत्पादन, विद्युत-प्रसारण की तथा कृषि और उद्योग की विभिन्न शाखाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया हैं।

राजधानी एक्सप्रेस के रेलवे कर्मचारियों को भत्ते

2139. **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सेवा में लगे कर्मचारियों के लिए वातानुकूलित डिब्बा नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें आने और जाने के लिए केवल आठ रुपये भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के इस अपर्याप्त भत्ते को बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राजधानी एक्सप्रेस के खानपान विभाग के कर्मचारियों के लिए वातानुकूल पैंट्री कार में स्थान की व्यवस्था की जाती है। कुछ अन्य कर्मचारियों को वातानुकूल कुर्सी यान में जगह दी जाती है। केवल कुछ थोड़े से कर्मचारी अपनी ड्यूटी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गार्ड के अवातानुकूल भाग में यात्रा करते हैं।

(ख) कर्मचारियों को कोई निश्चित भत्ता नहीं दिया जाता। उन्हें उनके वेतन के अनुरूप सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दैनिक भत्ता दिया जाता है। लेकिन खानपान विभाग के कर्मचारियों को चलती गाड़ियों में काम करते समय, अन्य गाड़ियों के भोजन यानों के कर्मचारियों की तरह, सामान्य दरों का 50 प्रतिशत दैनिक भत्ता और मुफ्त भोजन दिया जाता है।

(ग) चूंकि इन कर्मचारियों को सामान्य स्वीकार्य दैनिक भत्ता पहले से ही दिया जा रहा है, इसलिए दरें बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नक्सलबादियों की समाज विरोधी गतिविधियों के कारण रेलवे सम्पत्ति की हानि

2140. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मीठालाल मीना :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री प्र० के० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादियों तथा नक्सलवादियों ने हाल में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल तथा अन्य स्थानों में अनेक रेलवे स्टेशनों पर हमला किया है ;

(ख) इन उग्रवादियों की समाज-विरोधी गतिविधियों के कारण रेलवे सम्पत्ति को गत दो महीनों में कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) रेलवे प्रशासन ने रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये गृह कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की सहायता से अथवा उनकी सहायता के बिना यदि कोई कार्यवाही की हैं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . सवाल नहीं उठता।

रेलवे के मुख्य इंजीनियरों का सम्मेलन

2141. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलों के मुख्य इंजीनियरों का मई, 1969 में रेलवे बोर्ड के साथ कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक प्रकार की रेल पटरियां बनाने व बनाए रखने के बारे में विचार विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसे सम्मेलनों में कोई निर्णय नहीं किये जाते। ये बैठकें खासकर विस्तृत विचार विमर्श के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों के दृष्टिकोण जानने के लिए की जाती हैं ताकि विभिन्न विषयों पर एक आम राय कायम की जा सके जिससे बोर्ड इन सम्मेलनों में विचार किये गये विषयों के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय कर सकें।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

2142. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कुछ और नये उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इनमें से कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में होंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . चौथी पंचवर्षीय योजना में जिन केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार है वे चौथी पच वर्षीय योजना के मसौदे के पृष्ठ 253-260 में उल्लिखित की गई है। इस योजना में हैवी स्ट्रक्चरल्स प्रोजेक्ट, नैनी तथा हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्टरी, हरिद्वार को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। ट्रांस्मिशन उपकरण बनाने के लिए इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ के एक एकक के रूप में नैनी में एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है। पम्प तथा कम्प्रेशर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में नैनी में एक परियोजना स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। चौथी पंच वर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजनाओं पर किया जाने वाला अधिक से अधिक विनियोजन बड़े तथा मध्य उद्योगों पर 23.72 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर 20.10 करोड़ रुपये हैं। उत्तर प्रदेश में जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र नई औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने का सम्बन्ध है, यह मुख्य रूप से गैर-सरकारी उद्यमियों पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

2143 **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुचचित आदिम जातियों के हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह): (क) एक सौ पैंतीस।

(ख) उनमें से आठ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

Supply of uniforms to Railway Employees of N. E. Railway

+

2144. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the North Eastern Railway have not been provided with official uniforms this year and they are performing their duties with their old torn uniforms ;

(b) whether Government's attention has been drawn to this ;

(c) if so, the persoos responsible for this lapse; and

(d) whether any action is proposed to be taken to rectify the matter and if so, the time by which such action would be taken ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 92% of the employees of North Eastern Railway have been provided with uniforms upto June, 1969. The balance 8% employees are expected to be supplied with uniforms shortly.

(b) Does not arise.

(c), (d) and (e). The delay in supply of uniforms to some employees of North Eastern Railway occurred this year as the stitching contract could not be finalised early due to some technical reasons. Action is being taken to eliminate such delays.

फैजाबाद में छोटे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

2145. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फैजाबाद में छोटे ट्रैक्टर बनाने के कारखानों को स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या परिव्यय होगा ;

(ग) कारखाना अपना उत्पादन कार्य कब आरम्भ करेगा ; और

(घ) कारखाने की क्षमता क्या होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने फैजाबाद में छोटे ट्रैक्टर बनाने के कारखाने को स्थापित करने की किसी योजना को स्वीकृति नहीं दी है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों के टायरों की कमी

2146. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के टायरों की और विशेष रूप से ट्रैक्टरों के टायरों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन टायरों के निर्माण के लिए अधिक लाइसेंस देने का है ; और

(ग) देश में इनकी मांग पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष कितने प्रकार के टायरों का आयात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) यों तो टायरों की समग्र संभरण स्थिति संतोषजनक है, लेकिन कुछ किस्मों के टायरों जैसे ट्रक के टायर, ट्रैक्टर के टायर तथा स्कूटर के टायरों की कमी कभी अनुभव की जाती है ।

(ख) अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दे दिये गये हैं और फर्मों को संतुलन बनाए रखने वाले उपकरणों तथा अतिरिक्त मोल्डस के आयात करने की आज्ञा देकर सहायता की जा रही है ।

(ग) आयात के लिए मंजूर किये गये टायरों की मुख्यतः किस्म वह है जो ट्रकों, ट्रैक्टरों, स्कूटरों तथा वायुयानों में काम में लाई जाती है ।

अलौह धातु, तारों और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि

2147. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों में अलौह धातुओं, तारों तथा विभिन्न अन्य औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक उद्योगों ने अपने ठेके करने से इन्कार कर दिया है, जिससे छोटे पैमाने के अनेक उद्योगों को कठिनाई हो गई है ; और

(ग) पीतल तथा तांबे की छड़ी सलाखों, तारों तथा चादरों आदि के मूल्य स्थिर रखने के लिये तथा छोटे उद्योगों को इन वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । एनेमिल्ड तार और अलौह धातुओं में वृद्धि हुई है ।

(ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ; और

(ग) पीतल, तांबे की छड़े तार आदि की आयातित वस्तुओं का मूल्य लन्दन मेटल एक्सचेंज के प्रशासक मूल्यों पर निर्भर करता है, तथा स्थानीय बाजार भावों की घटाबढ़ी पर निर्भर करता है । इन धातुओं से उत्पादन करने वाले लोगों को इस बात पर रजामन्द करने से सरकार का निरन्तर प्रयत्न रहा है कि वे परिवर्तन प्रभार को न बढ़ायें ।

Export of Steel Scrap

2148. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the number of new factories setup after the withdrawal of licence from the furnaces which manufactured steel from the steel scrap and the capacity of each of them;

(b) whether it is a fact that the rates of steel scrap are high due to its export and that more furnaces are not being set up for this very reasons: and

(c) if so, whether Government propose to stop the export of steel scrap ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant). (a) After the delicensing of production of steel from scrap in electric furnaces, new units were required to register themselves for statistical propose with the Iron and Steel Controller. However, no application for registration has so far been made to the Iron and Steel Controller.

(b) The price of steel scrap has increased for a variety of reasons. These are :

(I) increase in the prices of steel;

(II) increase in the cost of collection and handling of scrap; and

(III) increased demand from indigenous consumers consequent on the waiver of excise duty at the rate of Rs. 75/- per tonne on products manufactured out of waste steel

A ban on export may possibly reduce the price of ferrous scrap, but it has to be noted that the price of Heave melting scrap, whose export is completely banned, has also increased.

Increase in the price of ferrous scrap may be one of the reasons for new furnaces not being put up. Other complaints which are advanced by furnace owners are the electricity tariffs in the States and the high cost of indigenously produced graphite electrodes.

(c) Certain suggestions have been received for banning of export of steel scrap. These are being examined, but the Government policy has been to allow only exports which are in excess of domestic requirements.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री

2149. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी देश में बिक्री बहुत अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उनका उत्पादन बढ़ाने के बारे में योजना क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 3,00,000 घड़ियों का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का काश्मीर में एक फैक्टरी स्थापित करने का और बंगलौर स्थित फैक्टरी में 360, 000 हाथ की घड़ियों के उत्पादन को 500,000 घड़ियां प्रतिवर्ष करने के लिए उसके विस्तार का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना के विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Provision of additional 1st Class Berths on Railway

2150. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to carry more passeners in 1st class compartments in less space by making provision of two 1st class berths in the space equivalent to that provided for two lower berths in each column of III class sleeper: and

(b) whether Government also propose to make provisions for lower and upper 1st class berths in corridor with a view to accommodate persons going on short journeys and also to provide seats to 1st class passengers in case of sudden over crowding ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) No.

मीटर गेज सैक्शन पर तेज गति से चलने वाली गाड़ियां

2151 **श्री मुहमद शरीफ** - क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मीटर लाइन पर तेज गति से गाड़ियां चलाने के बारे में अध्ययन करने हेतु दिल्ली–अहमदाबाद मार्ग को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर तेज गति से चलने वाली गाड़ियां कब से चलाई जायेंगी ; और

(ग) किन अन्य मार्गों पर तेज गति वाली गाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह उपर्युक्त मद (क) में प्रस्तावित अध्ययन के परिणाम पर निर्भर है।

(ग) निम्नलिखित मार्गों पर तेज गति वाली गाड़ियां चलाना व्यावहारिक होगा कि नहीं, इस सम्बन्ध में अध्ययन करने का विचार है।

(I) दिल्ली–बम्बई (कोटा के रास्ते) ;

(II) दिल्ली-अहमदाबाद (मीटर लाइन) ;

अन्य मार्ग नजर में हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

मनमाड़ से ढोंड स्टेशनों तक मेल एक्सप्रेस गाड़ियां

2152. **श्री क० लकप्पा :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ए० थी धरन : **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेलवे पर मनमाड़ से ढोंड जंक्शन तक के 235 किलो मीटर के मार्ग पर कोई मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस मार्ग पर कोई एक्सप्रेस अथवा मेल गाड़ी चलाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : ढौंड-मनमाड खंड पर इस तरह का यातायात नहीं है जिससे इन स्टेशनों के बीच कोई डाक या एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का औचित्य हो।

मफतलाल उद्योग समूह/फर्म

2153. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मफतलाल उद्योग-समूह कम्पनियों की कौन-कौन सी फर्में हैं;

(ख) इन फर्मों में कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ग) उनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार ने इन फर्मों को कितना ऋण दिया है ; और

(ङ) उन्हें किन-किन एजेन्सियों ने यह ऋण दिया और ब्याज की किस दर पर ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : एकाधिकार जांच आयोग द्वारा मफतलाल समूह में सम्मिलित की गई कम्पनियों के नाम तथा 1967-68 में इन कम्पनियों में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी बताता हुआ एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में **रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1522/69**]

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनियों के लिए इसे भेजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) तथा (ङ) : यह सूचना संग्रह की जा रही है, व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

काजीपेट और वार्धा के बीच गाड़ियों का देर से चलना

2154. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काजीपेट और वार्धा के बीच गाड़ी प्रति दिन कई घंटे विलम्ब से चलती हैं ;

(क) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि गाड़ी के इस प्रकार देर से चलने के कारण वार्धा में यात्री अगली गाड़ी नहीं पकड़ सकते ; और

(ग) यदि हां, तो गाड़ियों को ठीक समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . काजीपेट और वर्धा के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों का समय पालन संतोषजनक नहीं रहा है जिसका प्रधान कारण अधिक महत्वपूर्ण डाक / एक्सप्रेस गाड़ियों से मेल लेने में होने वाला विलम्ब और गाड़ियों का निर्धारित समय-पथ पर न चलना है । अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की प्राय: होने वाली वारदातों, उपद्रवों, बंधों और प्रदर्शनों द्वारा गाड़ी चलने में डाली जाने वाली बाधाओं, आवश्यक रेल उपस्करों की चोरियों आदि के कारण काजीपेट-वर्धा के बीच संतृप्त खंड पर गाड़ियों के निर्धारित समय में बहुत कम अन्तर होने से प्राय: व्यक्तिक्रम हो जाता है जिसके फलस्वरूप काजीपेट-वर्धा सवारी गाड़ियां अनियमित रूप से अवरुद्ध हो जाती है । हाल के महीनों में तेलंगाना आन्दोलन के कारण स्थिति और भी खराब हो गयी है और काजीपेट-विजयवाड़ा-आंगोल खंड पर व्यापक टूट-फूट के कारण बहुत बड़ी संख्या में मार्ग परिवर्तन करना पड़ा । गाड़ियों के समय में अत्यधिक विलम्ब के कारण वर्धा में इन गाड़ियों का निर्धारित मेल नहीं हो पाता ।

(ग) इन गाड़ियों के संचलन पर कड़ी निगाह रखी जाती है ताकि वर्तमान सीमाओं के भीतर इनके समय पालन में सुधार किया जा सके । काजीपेट में यार्ड के ढ़ांचे में परिवर्तन के साथ काजीपेट और वेलमपल्ली के बीच कहीं कहीं दोहरी लाइन बिछाने का काम, जो अभी जारी है, गाड़ी संचलन में अधिक लचीलापन आ जायेगा और आशा है कि इसके फलस्वरूप काजीपेट-वर्धा खंड पर इनके तथा अन्य गाड़ियों के समय पालन में सुधार हो जायेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये महाराष्ट्र को गृह निर्माण के लिये अनुदान

2155. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह निर्माण संबंधी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य को कितनी राशि दी गई और उसने कितनी राशि का उपयोग किया ;

(ख) क्या पी० डब्ल्यु० आर० योजना संख्या 219, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान-सहायता और ब्याज रहित ऋण दिये जा रहे थे, अभी भी चल रही है ;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को गृह निर्माण कार्य में सहायता के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मुथ्याल राव) : (क) से (घ) . यह सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force

2156. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 561 on the 18th March, 1969 regarding recruitment of Jawans in Railway Protection Special Force and state ;

(a) whether a copy of the order would be laid on the Table of the House under which the period of panel formed in February, 1967, was treated to be over after expiry of one year in February, 1968 ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether the Police verification, medical examination and X-ray etc. of the persons selected in the middle of 1968 have been done and whether their appointments have also been made ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Para 13 of Chapter X of the R. P. F. Regulations provides for the annual quota for recruitment of Rakshaks. A copy thereof is placed on the Table of the House. In the present case the annual quota of vacancies of Rakshaks in 1967, worked out originally, lapsed due to surrendering of posts as an economy measure and hence the panel also lapsed.

(b) Does not arise.

(c) Out of 153 persons selected in the middle of 1968 by the RPSF Unit at Gorakhpur, 118 were called but only 102 persons turned up. They were sent for medical and X-ray examination. 87 were found medically fit for recruitment. Before they were sent for training, 9 persons deserted. 78 persons were sent for training. Of those, 3 deserted later. Police verification of 75 persons could, thereafter, be initiated. Of those, 71 persons completed the training successfully and they have been appointed as Rakshaks.

Statement

Extract of Para 13 of the R. P. F. Regulations, 1966 :---

"**13. Annual quota for recruitment** :–The number of persons to be recruited shall, during a year, as far as possible, be fixed before-hand on the basis

of training and casualty reserves in a particular division or unit. Any change in the fixed quota shall be made under a specific order of the Chief security Officer.

The recruitment shall then be spread over throughout the year to ensure the selection of a few but the best of the lot who present themselves each time."

Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees against Reserved Posts in Railway Ministry

2157. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9412 on 13th May, 1969 regarding the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees against reserved posts in his Ministry and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c) : Information has been collected and is given in the annexure attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 1523/69]**

Delay in issuing tickets by Railway Booking Clerks

2158. Shri Molahu Prasad :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the Railway Booking Clerks slow down their speed of issuing tickets considerably some time before the departure of trains as a result of which many passengers forget to take their balance amount in hurry and a large number of passengers are not able to get the tickets ;

(b) if so, whether Government propose to issue strict instructions to the Guards that they should not try to avoid issuing tickets to the passengers on platform ; and

(c) whether instructions are also proposed to be issued to the Railway Booking Clerks that they should not causes unnecessary delay in issuing the tickets ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is not a fact that Booking Clerks slow down their speed of issuing tickets before the departure of trains. It, however, information in regard to any specific case is furnished, it will be looked into.

(b) Guards are not authorised to issue tickets to passengers on platforms.

(c) Instructions already exist that the Booking Clerks should be prompt in issuing tickets.

Shuttle Service between Delhi and Meerut

2159. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Shuttle service between Delhi and Meerut is available to the Industrial workers from Delhi in the morning between 7 and 8 and from Meerut in the evening inspite of the rapid increase in the industrial area between Delhi and Meerut ;

(b) whether Government are aware of the fact that many industrial workers have to go from Ghaziabad onward by carts. tongas and buses as a result of which they have to incur a lot of expenditure ; and

(c) if so, whether Government propose to introduce any Delhi-Meerut Shuttle service at the said timings ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) . For the few passengers travelling from Delhi to Meerut in the morning, trains No. 331 Passenger (Dep : Delhi 05,45 hrs.) and 19 Up Dehradun Express (Dep : Delhi 08.15 hrs.) are available. Similarly, in the return direction, 4 DSU is scheduled to leave Meerut City at 17.37 hours for Delhi.

(c) Introduction of an additional train between Delhi and Meerut is not operationally feasible at persent for want of spare line capacity on the saturated Ghaziabad Meerut single line section.

Railways Earnings from Contracts at Railway Stations

2160. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state .

(a) the earnings of the Railways from contracts awarded to fruit sellers and other vendors at all the stations of Indian Railways during each of the last three years, separately ; and

(b) the number of fruit sellers and other vendors to whom contracts were awarded annually during the said period ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) . The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

औद्योगिक लाइसेन्स नीति

2161. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सम्वाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति की मुख्य बातें क्या हैं और क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि एकाधिकार को प्रोत्साहन न मिले उपबन्ध किये गये हैं और यदि हां, तो क्या क्या उपबन्ध किये गये हैं ;

(ख) प्रमुख उद्योग गृह छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को हानि न पहुँचा सकें यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपबन्ध किये गये हैं ;

(ग) उन एकाधिकारिक उद्योग गृहों के नाम क्या हैं जो तीन अथवा इससे अधिक उपभोक्ता वस्तुएं बनाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रमुख उद्योग गृह उन वस्तुओं को न बना सकें जिनका उत्पादन छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा किया जा रहा है, लाइसेंस नीति में फेरबदल करने का है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति का उद्देश्य उद्योगों का विकास तथा विनियमन करना है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 कर उपबन्धों तथा उसके अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाता है । लाइसेंस स्वीकृत करते समय निम्नलिखित अति आवश्यक विचारों को ध्यान में रखा जाता है:—

1. पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप उद्योगों के विकास के लिये आवश्यकता ।
2. प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता तथा तुलनात्मक आवश्यक उद्योगों में निवेश को हतोत्साहित करना ।
3. निर्यात उन्मुख/आयात में बचत करने वाले उद्योगों की स्थापना करने के लिये आवश्यकता और किसी विशेष योजना में निहित विदेशी व्यय ।
4. कच्चे मालों की संभरण स्थिति ।
5. उद्योगों के स्वमित्व को एक स्थान पर केन्द्रित होने और कुछ हाथों में नियन्त्रित होने से बचाना ।
6. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता ।
7. लघु स्तर वाले तथा कुटीर उद्योगों को सरक्षण की आवश्यकता तथा बड़े और छोटे स्तर वाले क्षेत्रों में अनावश्यक स्पर्धा को रोकना ; तथा
8. प्रस्तावित एकक के स्थापना के स्थान पर शक्ति, जल तथा परिवहन प्राप्ति की सुविधाएं ।

औद्योगिक नीति के उद्देश्यों के पूरा करने के लिए लाइसेंस एक मात्र साधन है, अन्य बड़े साधन आर्थिक तथा राजस्व सम्बन्धी अभ्युपाय हो सकते हैं । एकाधिकारिक व्यवहार के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं हैं, लेकिन लाइसेंसों की स्वीकृति के लिये आये आवेदन पत्रों का परीक्षण करते समय, लाइसेंस समिति अन्य बातों सहित यह ध्यान में रखती हैं कि उद्योगों के स्वामित्व को कुछ हाथों में केन्द्रित तथा नियन्त्रित होने से बचाया जाये ।

(ख) विशेष उद्योगों को जो लघुस्तर क्षेत्र में विकास के लिये उपयुक्त हैं और जिनमें लाभप्रद स्तर की विशेष आवश्यकता नहीं है उन्हें केवल लघु उद्योगों में विकास करने के लिये सुरक्षित कर दिया गया है। ऐसे उद्योगों के लिए लाइसेंस स्वीकृत कराने के लिए बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

सामान्य विविधिकरण नीति के अन्तर्गत, बड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को लघु स्तर के उद्योगों के लिए सुरक्षित वस्तुओं के उत्पादन की ओर, अपने उत्पादन को बदल देने को आज्ञा नहीं दी जाती है। यदि बड़े औद्योगिक उपक्रम अपने उसी नाम और स्वामित्व में कोई लघु उद्योग एकक जिसका विनियोजन सं० 7.50 लाख है स्थापित करना चाहते है तो उन्हें भी एक औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करना होता है। अन्य मामलों में, यदि कोई बड़ा औद्योगिक उपक्रम ऐसे एकक को भिन्न नाम से तथा अलग सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। लेकिन विशेष सुविधाएं सरकार के लघु स्तर उद्योगों के कार्यक्रय के अन्तर्गत जो सामान्यतः वास्तविक लघु उद्योगों को प्रदान की जाती है वे ऐसे एककों को नहीं दी जायेगी।

(ग) एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है जिसमें तीन या ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं के नाम दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1524/69]

(घ) एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के विकास को रोकने की दृष्टि से सरकार एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1967 पुरस्थापित कर चुकी है जिस पर आजकल विचार विमर्श हो रहा है। इस प्रश्न पर औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने भी विचार किया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारूप में योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आजकल सम्पूर्ण प्रश्न पर यह विचार विमर्श हो रहा है कि औद्योगिक लाइसेन्स नीति तथा प्रक्रिया में अग्रेतर परिवर्तन करने तथा बड़े औद्योगिक उपक्रमों को लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित वस्तुओं के उत्पादन से रोकने के उपायों के बारे में क्या किया जाये।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्य के परिणाम

2162. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को खत्म होने वाले वर्ष के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्य के परिणामों को देखा है और क्या उनमें किसी प्रगति अथवा गिरावट का पता लगा है ;

(ख) क्या कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है तथा उसके लाभ तथा हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्यात और स्टाक तथा वस्तु सूची के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों से कम्पनी को उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, कम्पनी के प्रधान प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे कितने समय से इन

पदों पर हैं, उनके वेतन तथा भत्तों इत्यादि का ब्यौरा क्या है और वे किस संगठन अथवा विभाग से आये हैं ; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या जनता में कम्पनी की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के 1968-69 के वार्षिक लेखे अभी पूरे नहीं हुए हैं। फिर भी कम्पनी का 1968-69 का अनुमानित पण्यावर्त 1535 लाख रु० का है जबकि गत वर्ष का पण्यावर्त 1465 लाख रुपये था। 1968-69 की अनुमानित निवल हानि गत वर्ष की हानि की अपेक्षा कम आंकी गई है।

(ख) 1968-69 में कम्पनी का कार्य गत वर्ष की अपेक्षा सुन्दर था। उत्पादन, बिक्री, निर्यात, स्टाक सूचियां तथा लाभ और हानि का दो वर्ष का विवरण निम्नलिखित है:-

	उत्पादन (मूल्य लाख रुपयों में)	
	1967-68	1968-69
मशीन टूल्स	845	1099
घड़ियां	264	327
	प्रेषण (मूल्य लाख रुपयों में)	
मशीन टूल्स	1196	1203
घड़िया	269	332
	निर्यात (मूल्य लाख रुपयों में)	
मशीन टूल्स	29.44	97
घड़ियां	0.53	0.39
	स्टाक (मूल्य लाख रुपयों में)	
	31-3-68 को	31-3-69 को
मशीन टूल्स	298	309+
घड़ियां	5.43	4.33

(+ इसमें से 45 लाख रुपये का माल 1969-70 में सुपुर्दगी के लिये है)

	लाभ और हानि (मूल्य लाख रुपयों में)	
	1967-68	1968-69
निवल हानि	66	34

टिप्पणी:- (1968-69 के सभी आंकडे अन्तिम है)

(ग) विगत तीन वर्षों में कम्पनी का सर्वोच्च प्रबन्धक वर्ग रहा है। कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सेक्रेटरी सम्बन्धी विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

पद	पदस्थ	वर्तमान पद पर स्थित होने की अवधि
+ अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक	डा० एम० एम० पाटिल	5 वर्ष (प्रबन्ध निदेशक 1-7-1964 से, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक 26-6-1967 से)
× × सेक्रेटरी	ओ० पी० पुरी	1 साल

(× हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में 16 वर्ष से अधिक का सेवा काल

× × हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में 14 वर्ष से अधिक का सेवा काल)

वेतनमान-वेतन और भत्ते

पद	वेतनमान	वर्तमान वेतन	भत्ते
अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक	3500-125-4000 रु०	4000 प्रतिमास	प्रवर्तित नियमों के अनुसार कम्पनी की कार का निःशुल्क प्रयोग स्वीकृत। 3,000 रु० प्रति वर्ष सत्कार भत्ता बजट प्रावधान के अधीन।
सेक्रेटरी	1100-50-1300-60-1600 रु०	1100 रु० प्रतिमास	कम्पनी के नियमानुसार भत्ते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में 1953 में आने से पहले अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक कूपर इन्जीनियरिंग लिमिटेड, सतारा, बम्बई में कार्य कर रहे थे। सचिव हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में 1955 में आने से पूर्व यू० पी० ग्लास वर्क्स लि०, बहजोई जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे थे।

(घ) कम्पनी ने अनेक बहुत जटिल और बढ़िया किस्म के मशीनी औजारों का उत्पादन प्रारम्भ कर उत्पादन में विवधता लाने का कार्य किया है। उन्होंने अपने डिजाइन और विकास विभाग में अनेक डिजाइनों का विकास भी किया है। निर्यात सम्बर्द्धन कार्य के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप कम्पनी ने 1968-69 में मशीन टूल्स का (लगभग) 97 लाख रुपये के मूल्य का निर्यात किया है जबकि 1967-68 में (लगभग) 29 लाख रु० का निर्यात किया। उत्पादन तथा बिक्री बढाने के प्रयत्न बहुत अंशों तक देश में मशीन टूल्स की मांग के बढ़ाने पर निर्भर करते है। यद्यपि उत्साहवर्धक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं तो भी 1969-70 में निर्मित क्रयादेशों के प्राप्त होने पर ही वास्तविक उत्पादन निर्भर करता है।

कम्पनी का प्रचार तथा जन सम्पर्क विभाग जनता में हुन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का सप्रभावी रूप प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है –

(1) प्रेस विज्ञप्ति ; पृष्ठ भूमि की सूचनाएं देना ; लेख तैयार करना ; प्रेस को समाचार भेजना आदि ;

(2) विज्ञापन तथा बिक्री सम्बर्द्धन ;

(3) देश तथा विदेश में प्रदर्शनियों का आयोजन करना ;

(4) वृत्त चित्र और रूपक चित्रों द्वारा ।

(5) संवाददाता सम्मेलन ।

(6) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और उनका वितरण करना; बिक्री साहित्य; सूचियां, सामान्य प्रचार की पुस्तकें, पर्चे आदि ;

(7) त्रैमासिक तकनीकी पत्रिका मशीन टूल इंजीनियर और मासिक पत्रिका हिन्दुस्तान मशीन टूल्स न्यूज डाइजेस्ट का सम्पादन और विवरण ;

(8) प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण ; सम्वाददाताओं द्वारा निरीक्षण आदि और साधारण जनता द्वारा निरीक्षण ।

Election Petitions

2163. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state ;

(a) the number of Election Petitions filed after the last General Election and the mid-term elections for the Lok Sabha and Vidhan Sabha elections and the names of States in which those petitions were filed!

(b) the number of cases which have been decided so far;

(c) whether it is a fact that a lot of delay is being caused in deciding those petitions and a lot of expenditure is being incured in this connection. and

(d) the measures being proposed to be taken to reduce them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) and (b) . Three statements (Annexure 'A', 'B' and 'C') showing the position State-wise as on 25.7.1969 are laid on the Table of the House. **[Placed in Library, Sec. No. LT 1525/69]**

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Over-Bridge at Railway Crossing on Moradabad-Chandausi-Sambhal Line

+

2164. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a heavy rush of traffic from Moradabad to Chandaushi, Sambhal etc. and other places which are important Mandis and the gate at the Railway crossing generally remains closed, as a result of which people are greatly inconvenienced;

(b) if so, whether Government would consider the question of constructing an over bridge there keeping in view the difficulties of people and the progress of trade; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The level crossing at the Bareilly and of Moradabad Yard does remain clossed for long intervals for passage of trains.

(b) and (c) . The level crossings are replased by road over/under bridges when such proposals are sponsored by the State Government/Road Authorities and they agree to bear their share of the cost. As per present rules, the cost of such replacement including the cost of approaches less the cost of land required for the purpose of building such over/under bridges is shared on 50:50 basis between the Railways and State Government/Road Authoritles. Cost of land for road approaches has to be borne by the State Government/Road Authorities. A proposal for replacement of the level crossing at the Bareilly and of the Moradabad Yard is under correspondance between the Northern Railway and the Government of Uttar Pradesh. As soon as the Uttar Pradesh Government agree to bear their share of the cost, the Railways will take follow up action.

Cooperation by Social Institutions to remove Social evils.

2165. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have made efforts to seek effective cooperation of the Social institutions in the country for the removal of social evils like unborn casteism, untouchability etc.;

(b) if so, the names of such social institution; and

(c) the number out of them which do not belong to Harijans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c) . Central Grants-in-aid are given to the following non-official organisations for doing propaganda and publicity against untouchability.---

Harijan Sevak Sangh, Delhi.
Bhartiya Depressed Classes League, Delhi,
Hind Sweepers' Sevak Samaj, Delhi,
Ishwar Saran Ashram, Allahabad.

Besides, State Government support a number of local organisations, Harijans are associated with the work of all the organisations listed above.

Misuse of Trade Marks by Industrialists.

2166. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware that many unscrupulous industrialists deceive the clients by depicting the trade marks of popular quality products on their inferior goods and at the same time disrepute the trade;

(b) if so, the nature of measures being taken by Government to prevent those industrialists from bringing disrepute to the Indian trade;

(c) whether Government would consider the question of making the existing Panel Code more strict so as to award proper punishment to the deceptors;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The trade marks Owners Association of India and some firms have brought to notice the prevalence of such malpractices.

(b), (c), (d) and (e) . The criminal law relating to infringement of trade marks has been incorporated in the Trade and Merchandise Marks Act, 1958. Infringement of trade marks is a non-cognisable offence and criminal actions has to be initiated by the owners of trade marks who are affected, The provisions of the Trade and Merchandise Marks Act, particularly Sections 78 and 79 deal with these matter.

Restrictions on Travelling in III Class Compartments from Meerut to Delhi in Dehra Dun Express

2167. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi -

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passengers are not allowed to travell III class compartments from Meerut to Delhi in the Dehra Dun Express;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware of the fact that the number of passengers coming from Meerut to Delhi is much more than the total seats available in III class compartments in trains bound for Delhi;

(d) whether Government propose to allow III Class passengers to travel in the Dehra Dun Express from Meerut to Delhi and whether a separate shuttle service between Meerut and Delhi is proposed to be introduced; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No. The number of third class seats available in the various trains are by and large adequate for the needs of traffic moving from Meerut to Delhi.

(d) and (e). Third class passengers are permitted to travel in Dehra Dun Express from Meerut to Delhi. Introduction of an additional shuttle between Meerut and Delhi is, however, not feasible, for want of spare line capacity on this section.

Misuse of Funds of Religious Trusts in Kashmir and other Places.

2168. Shri Jagannath Rao Joshi ; **Shri Ranjeet Singh**
Shri Suraj Bhan : **Shri Brij Bhushan Lal;**
Shri Atal Behari Bajpayee : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state .

(a) whether Government are aware that funds of religious trusts have been misused for political and other purposes in Kashmir and other places;

(b) if so, the preventive steps taken in this regard and the results thereof;

(c) whether any action has been taken or is proposed to be taken against the individuals or bodies found guilty; and

(d) if not, the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (d). Information is bei g collected by the Ministry of Home Affairs, who are concerned with the subject.

Confirmation of A. P. W. Is. on N. E. Railway.

2169. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4907 on the Ist April, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that there are many such Assistant Permanent Way Inspectors on the North Eastern Railway who ought to have been confirmed four years ago, but they have not so far been confirmed; and

(b) if so, the reasons for which they remained temporary for such a long time and whether if had any adverse effect on the chances of their promotion ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) . The required information is given in the attached statement. **[Placed in Library See. No. LT/1526/69]**

Agreement between India and Russia for setting-up of Industries in India.

2170. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of agreements so far entered into between India and Russia to set up industries in the country;

(b) the places where the industries have been set up and the years in which set up; and

(c) the capital invested in each of the industries and the foreign investment in each of them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) So far, 8 ec-onomic cooperation agreements have been signed with the U. S. S. R. for collaboration in setting up projects in India.

(b) The names of the projects set up/being set up with Soviet collaboration are as follows :–

Name of the Project	Location
1. Bhilai Steel Plant	Bhilai
2. Heavy Machine Building Plant	Ranchi
3. Coal Mining Machinary Plant	Durgapur
4. Opthalmic Project	Durgapur
5. Korba Coal Mining Project	Korba
6. Neyveli Thermal Power Station	Neyveli
7. Antibiotics Drugs Project	Rishikesh
8. Synthetics Drugs Plant	Sinatnagar
9. Surgical Instruments Plant	Guindi
10. Kotah Instruments Project	Kotah
11. Barauni Oil Refinery	Barauni
12. Heavy Electrical Project	Hardwar
13. Coal Washery	Kathara
14. Sixth Blast Furnace	Bhilai
15. Bokaro Steel Plant	Bokaro
16. Korba Aluminium Smelter	Korba
17. Exploration of oil and gas by Oil and Natural Gas Commission.	

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

लोक सभा के लिए मिदनापुर में उप-निर्वाचन

2171. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार/निर्वाचन आयोग के पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि हाल में हुए मिदनापुर के संसदीय उप-निर्वाचन में राज्य सरकार द्वारा शासकीय अधिकार तथा संगठन का दुरुपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख) . मिदनापुर संसदीय उप-निर्वाचन के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक यह थी कि कांग्रेस अभ्यर्थी की एक जीप का, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, पुलिस ने अभिग्रहण कर लिया है, और दूसरी मिदनापुर के कमालपुर ग्राम में "सीतला पूजा" के बारे में कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के समर्थकों के बीच संघर्ष के सम्बन्ध में थी । जांच में राज्य सरकार द्वारा शासकीय अधिकार और संगठन का कोई दुरुपयोग प्रकट नहीं हुआ है ।

हरियाणा में नगरपालिकाओं के निर्वाचन

2172. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा राज्य से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि नगरपालिकाओं के निर्वाचनों की तारीखें सत्तारूढ़ दल के आदेशानुसार मनमाने ढंग से समय-समय पर बदल दी गई हैं;

(ख) क्या स्थानीय निकायों के निर्वाचनों को भी निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में लाने की मांग की गई है; और

(ग) उस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्द कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना

2173. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री 25 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ङ) में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ड्रम तथा बेरल उद्योग के प्रतिबन्धित सूची में होने पर भी मैसर्स हिन्द गैवेलाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, विशाखापत्तनम में हिन्दी कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम से एक कारखाना कैसे स्थापित कर सकी और उन्हें काल्टेक्स (आई) लिमिटेड से दुर्लभ कच्चा माल, जो कि उसे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ था, किस प्रकार प्राप्त हुआ;

(घ) क्या इसका अर्थ यह है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन करके छोटे पैमाने के कारखाने के नाम से बड़े पैमाने का कारखाना स्थापित करके नई क्षमता पैदा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण इस फर्म के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . जी हां। जानकारी इस बीच दे दी गई है। दी गई जानकारी की प्रतियां संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1527/69.]**

(ग) से (ङ) . औद्योगिक विकास, समवाय कार्य तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री द्वारा 30 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1640 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसका उद्धरण संलग्न हैं। प्राक्कलन समिति (1968-69) ने भी अपने 85वें प्रतिवेदन में इस मामले पर टिप्पणी की है। यह मामला औद्योगिक विकास, समवाय कार्य तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में विचाराधीन है।

मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड के उप-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

2174. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्ज उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड में श्री एम० एच० डालमिया को उप-प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) श्री डालमिया की नियुक्ति की मुख्य शर्तें क्या है; और

(ग) श्री डालमिया की अर्हताएं क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . कम्पनी विधि बोर्ड के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत, कम्पनी से, श्री एम० एच० डालमिया को, 1 जनवरी, 1970 से उप-प्रबन्ध निदेशक के पद की नियुक्ति के लिये, एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रार्थना-पत्र, बोर्ड के विचाराधीन है।

Uniform Civil Code for all citizens

2175. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to states :

(a) the progress made so far in regard to the proposal of Government to formulate a uniform Civil Code for all the citizens of the country;

(b) whether a decision thereon has been deferred so far due to the apprehension of difficulties to be created in its way by some influential politicians; and

(c) the time by which a final decision would be taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) There is no such proposal under the consideration of the Government.

(b) and (c) . Do not arise.

Recognition of Bhartiya Kranti Dal.

2176. Shri Prakash Vir Srastri : **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Raghuvir Singh Shastri ;**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state ;

(a) the names of the states in which Bhartiya Kranti Dal has been recognised officially following the mid-term Elections held in the country : and

(b) the reasons for not granting recognition to this party on an all-India basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welafir (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The Bhartiya Kranti Dal is recognised as a state party in Uttar Pradesh only.

(b) As the Bhartiya Kranti Dal has not qualified for recognition in four or more states as required under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, it cannot at present be treated as a " National party" .

Fans and Lights in trains.

2177. **Shri Prakash Vir Shastri**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Shiv Charn Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to State :

(a) whether it is a fact that almost on every line complaints are made about the inadequate arrangements of fans and lightes in the trains ;

(b) whether it is also a fact that lights and fans are not provided in many trains starting from Delhi; and

(c) if so, the steps taken to improve this situation ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Some complaints have been received about the failure of lights and fans in coaches.

(b) No. Lights and fans are provided in all trains starting from Delhi.

(c) Railways are anxious that all trains leave starting stations with lights and fans in working order. With this and in view intensive check of rakes has been instituted and stardand of maintenance is being improved. Better security arrangements have also been made to reduce pilferage and thefts of these fittings which account for majority of the complaints.

चिट्टगिड्डा और विकाराबाद रेल मार्ग पर तोड़ फोड़

2178. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मई 1969 की दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद वाड़ी सैक्शन पर चिट्टगिड्डा और विकाराबाद रेलवे स्टेशनों के बीच कुछ शरारती व्यक्तियों ने तोड़ फोड़ के कोई प्रयास किये थे कौर रेल ट्रैक की चाबियां गायब पाई गई थी ; और

(ख) क्या उक्त घटना की कोई जांच की गई थी और यदि हां ; तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस हैदराबाद ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अधीन एक अपराध दर्ज कर लिया है और उसकी जांच जारी है।

New Railway Lines.

2179. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the areas where new Railway lines are proposed to be constructed next year :

(b) the total estimated cost thereof; and

(c) the names of places where electric trains would be introduted next year ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) . It is not possible, at present to specify the areas where new lines will be taken up for construction during the next year, or their cost as the Fourth Five Year Plan proposals for new lines have not yet been finalised.

(c) Jharsuguda-Durg (Route kms. 351) of the South Eastern Railway and Kanpur- Tundla Section (Route Kms. 222) of the Northern Railway are expected to be brought under electric traction on 25 KV AC system during the next year.

त्रिपुरा में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस

2180. श्री जे०के० चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये हैं ; और

(ख) यदि हां तो उद्योगवार किन-किन उद्योगों के लिये किन किन व्यक्तियों को किस-किस तिथि को लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) . उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत त्रिपुरा में उद्योग स्थापित करने के लिए दो लाइसेंस प्रदान किये गये। इन लाइसैन्सों का विवरण नीचे दिया गया है:-

	लाइसेंसधारी का नाम	उद्योग	लाइसेंस देने की तिथि
1.	सर्व श्री मक्खनलाल शाह, अगरतला (प्रस्तावित नाम-त्रिपुरा कॉटन मिल लिमिटेड)	सूत-धागा	28-1-1963
2.	फार ईस्टर्न एजेन्सीज लि० कलकत्ता (प्रस्तावित नाम-त्रिपुरा स्पिनिंग मिल)	सूत धागा	10-11-1964

(1) संख्या पर उल्लिखित लाइसेंस, लाइसेंसधारी ने 28 नवम्बर 1964 को समर्पित कर दिया ।

डालमिया उद्योग समूह में पूंजी विनियोजन

2181. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लक्प्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालमिय उद्योग समूह में वर्ष 1966-67 में कितनी पूंजी लगी हुई थी और इस समय कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा इन कम्पनियों को कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) किन किन एजेन्सियों ने यह ऋण दिया है ; और उनकी ब्याज दर क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) एकाधिकार जांच आयोग द्वारा, आर० के० डालमिया तथा जयदयाल डालमिया समूह से सन्बन्धित, दिखाई गई कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी के सम्मिलित आंकड़े, 1966-67 में 11.39 करोड़ रुपये तथा 1967-68 में 13.07 करोड़ रुपयों के थे ।

(ख) तथा (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गाडियों के आने-जाने की, समय सारणियां तैयार करने लिये समिति

2182. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में गाड़ियों के आने-जाने की समय सारणियां तैयार करने के लिए कोई समिति है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च किया जाता है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

2183. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 11 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति की जांच करने के लिए इस बीच एक समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह): (क) सरकार ने ऐसी एक समिति स्थापित करने का निश्चय किया है ।

(ख) समिति की रचना तथा उसके विचारार्थ विषयों के बारे में विचार किया जा रहा है ।

राजस्थान में रेल की पटरियां पर रेत को जमा होने से रकने के उपाय

2184. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्था, नई दिल्ली की ऐसा कोई तरीका निकालने के लिए कहा है जिससे राजस्थान में रेलवे पटरियों पर वायु द्वारा उड़कर जमा होने वाली रेत को जमा होने से रोका जा सके ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रोद्योगिकीय संस्था ने इस समस्या को हल करने का एक तरीका निकाला है परन्तु रेलवे अधिकारियों ने इसे कार्य रुप देने में कोई रुचि नहीं दिखाई ;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान की रेलवे लाइनों में जमा रेत को साफ करने पर सरकार को प्रति वर्ष कितना व्यव करना पड़ता है ; और

(घ) भारतीय प्रौद्यौगिकीय संस्था, नई दिल्ली द्वारा निकाले गये नये तरीके को कार्य-रुप न देने के क्या कारण हैं ;

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेल प्रशासन को इण्डियन इन्स्टिच्यूट आफ टेकनॉलॉजी से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) प्रति वर्ष लगभग 1,10,000 रुपये ।

(घ) उपर भाग (ख) को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

मांग और सप्लाई में संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिये तकनीकी समिति ।

2185. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चेंगलाराया नायडू :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना में मांग और सप्लाई में सन्तुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक अग्रिम कार्य करने के लिए चौथी योजना में एक तकनीकी समिति नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की नियुक्ति की क्या आवश्यकता है जब कि एक कर्णधार दल ने, जिसमें मंत्रालय, योजना आयोग और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधि है, पहले ही इस मामले पर विचार किया है और चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधियों की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाया है; और

(ग) इस कार्य को पुनः करने में क्या औचित्य है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय स्वामित्व वाली सिगरेट बनाने वाली फर्मों का विस्तार

2186. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय स्वामित्व वाली सिग्रेट बनाने वाली फर्मों को अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं;

(ग) क्या सिग्रेट आदि बनाने के लिए नये लाईसेंस भी दिये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कितने ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक, व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां, ।

(ख) शतप्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाला तथा 45000 लाख सिग्रेट बनाने वाला एक नया एकक अहमदाबाद में स्थापित करने की एक योजना हाल ही में सरकार ने स्वीकृत की है ,

(ग) और (घ) . जब कभी सिग्रेटों का अधिक उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के अभ्यावेदन आते हैं उन पर 1973-74 तक बढ़ने वाली सभव मांग को ध्यान में रखते हुए गुणों के अनुसार उस पर विचार किया जाता है ।

Steps for improvement in Railway Traffic.

2187. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been no improvement in the Railway traffic inspite of the efforts made by his Ministry;

(b) whether it is a fact that most of the trains are often late by hours;

(c) whether it is a fact that the efficiency required to run trains in time is lacking;

(d) whether Government are aware that most of the fans in 1st to 3rd class compartments do not work and lighting arrangements are deplorable; and

(e) if so, the effective steps being taken by Government to remove all these defects ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. In fact, revenue earning goods traffic lifted during the year ending 31st March, 1969 recorded an increase of about 9.3 million tonnes as compared with the tonnage lifted in the previous year 1967-68. The tonnage in the first three months of the current year was higher than the corresponding period of the previous year 1968-69 by about 2.6 million.

In the case of passenger traffic, there was only a marginal decrease in the number of passengers originating, i.e., by about one percent, in 1968-69 as compared to 1967-68. The traffic in the first three months of the current year, however, picked up, the increase being about 2.8% as compared to April-June, 1968.

(b) and (c). No. In many cases the late running of trains is caused by factors beyond the control of Railway Administrations, snch as the misuse of the alarm chain apparatus which results in out-of-course detention of trains and the dislocation of the running schedules of trains, particularly on saturated single line sections; the theft of essential railway equipment like overhead copper wires, etc. resulting in failure of communications or power failures; public demonstrations, bandhs and other agitations causing interference with running of trains, etc.

(d) Adequate lights and fans are normally provided in all coaches. Failures, however, occur occasionally due to the theft of train lighting fittings, failure of the equipment, lack of materials and lapses in maintenance.

(e) The greatest importance is attached at all levels on the Zonal Railways and the Railway Board to the punctual running of passenger carrying trains. A close watch is maintained on the running of all passenger carrying trains in the Divisional control offices. The daily punctuality is reviewed at the headquarters of each Zonal Railway and the trends of punctuality are also watched at the highest level in the Railway Board. Punctuality drives are instituted from time to time and Officers/ Inspectors are deputed to travel by trains whose running has not been satisfactory. All cases of avoidable detentions are invariably taken up for corrective action.

In order to keep the electrical fittings in good working order, steps have been taken to improve their maintenance and to provide better security arrangements for reducing pilforage and thefts.

कृषि के उप-उत्पादों का प्रयोग

2188. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सहकार-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कृषि के उप-उत्पादों की भारी मात्रा को देश के अनेक उद्योगों में लाभप्रद तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है तथा कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : कृषि की दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को विशिष्ट उद्योगों की ओर उत्साहित करने, नये लघु उद्योग एककों की स्थापना करने तथा कृषि पर आधारित इन उद्योगों में विनियोजन करने के लिये बैंकिंग संस्थाओं का दिशा निर्देशन करने तथा सविभव उद्योगों को व्यापक करने, अध्ययन करने के उद्देश्य से सरकार ने एक कार्य-कारी दल की नियुक्ति की है। इसका प्रतिवेदन 31 मार्च 1970 तक मिल जाने की आशा है।

B. G. line from Delhi-Shahdra to Saharanpur.

2189. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the survey work for the purpose of constructing a broad gaugeline in the existing Shahdra-Saharanpur Light Railway area has been completed;

(b) if so, the names of places through which this line would pass and the date by which the construction work would commence and the date by which it would be completed; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay and the date by which the survey would be completed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) . (a) : Not, yet.

(b) and (c). The survey work is in progress and is expected to be completed by the end of October 1969. The places through which the line will pass will also be known only after the survey is over.

India's held for development of Small Scale Industries in UAR

2190. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 8591 on the 6th May, 1969, and state ;

(a) whether a final decision has since been taken in regard to the assistance sought by the United Arab Republic for the development of its small scale industries;

(b) if so, the nature of assistance to be provided and the date by which it is likeiy to be provided; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed). (a) to (c). The matter is still under the consideration of the Government.

'स्टेनलैस स्टील' की कमी

2191. डा० सुशीला नैयर : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 'स्टेनलेस स्टील' की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय स्टेनलैस स्टील उद्योग संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस कमी को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में स्टेनलैस स्टील का आयात किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस के साथ लगने वाला यात्री डिब्बा

2192. श्री द० रा० परमार : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर को जाने वाली दिल्ली एक्सप्रेस के साथ लगाया जाने वाला यात्री डिब्बा अब नहीं लगाया जाता है और उसके कारण उत्तर गुजरात से जोधपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

(ग) क्या पाटन वाणिज्य मंडल (उत्तर गुजरात) तथा जनता के प्रतिनिधियों ने अभ्यावेदन दिया है कि यह डिब्बा दिल्ली एक्सप्रेस के साथ जोड़ा जाता रहना चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला डिब्बा और तीसरे दर्जे का एक टियर शयन यान अभी भी अहमदाबाद और

जोधपुर के बीच नं० 3/4 अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस और सम्बद्ध गाड़ियों में चलाये जा रहे हैं।

(ख) से (घ) सवाल नहीं उठता।

रामपुर और हल्दानी के बीच रेल गाड़ी सेवा

2193. श्री इस्हाक साम्भली : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर तथा हल्दानी के बीच रेल गाड़ी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है; और

(ख) क्या सरकार ने यह गाड़ी बरास्ता मुरादाबाद से चलाने की सम्भावना पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः रामपुर और हल्दानी के बीच बड़े आमान की एक सीधी रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव से है। 13-2-1969 को मंजूर की गयी इस लाइन का नया यातायात सेर्वक्षण पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है और अक्तूबर, 1969 तक इसके पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) मार्ग-निर्धारण किये जा रहे सेर्वक्षण में मुरादाबाद शामिल नहीं हैं। मुरादाबाद के रास्ते हल्दानी और रामपुर के बीच सीधी गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब रामपुर-हल्दानी लाइन बन जायेगी जो यातायात के स्वरुप पर आधारित है। मुरादाबाद के रास्ते रामपुर और हल्दानी के बीच अभी कोई गाड़ी नहीं चलायी जा सकती, क्योंकि रामपुर बड़ी लाइन खण्ड पर स्थित है और हल्दानी मीटर लाइन खण्ड पर।

Scholarships to Scheduled Castes/Scheduled Tribes Students

2194. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Molahu Prashad :
Shri D. R. Parmar :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the rules regarding the grant of scholarships to the students (boys and girls) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, since when and the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao). (a) and (b) : A copy of the revised Regulations concerning post-matric scholarships is attached. **[Placed in Library See No LT. 1528/69]** Application of these regulations has been staved.

Inclusion of 'Kapariya Caste' of Bihar in Scheduled Castes List.

2195. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact 'Kpariya Caste' of Bihar has not been recognised as Scheduled Caste;

(b) whether it is also a fact that the people of the same Caste are treated as Harijans in some other States;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether it is further a fact that the question to include 'Kapariya Caste' in the list of Harijans has been under consideration of the Bihar Government for a long time;

(e) whether any communication in this regard has been received by him from any Member of Parliament; and

(f) if so. the steps taken by Government to get this matter decided by the Government of Bihar expeditiously; and the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The Kapariya caste is treated as a Scheduled Caste in Uttar Pradesh.

(c) Scheduled Castes and Scheduled Tribes are specified with reference to the condition of the communities in the State concerned.

(d) to (f) . The whole question of revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is now before the Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967. A letter regarding the Kapariya community in Bihar received from Shri Ramavtar Shastri, M. P., has been forwarded to the Joint Committee.

Residential accommodation for Railway Gangmen

2196. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of gangmen on the Indian Railways;

(b) their break-up Railway wise;

(c) the number of gangmen who have been allotted residential accommodation;

(d) the facilities given to those who have not been allotted accommodation;

(e) whether Government have formulated any scheme to provide them with quarters; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 1,48,289

(b) and (c).

Railway	No. of Gangmen	No. of gangmen provided with quarters
Central	18,763	10,918
Eastern	18,312	5,072
Nothern	23,542	11,907

North Eastern	9,220	3,200
North East Frontier	7,973	4,936
Southern	14,264	1,589
South Central	13,661	4,914
South Eastern	22,029	4,235
Western	20,522	13,687

(d) House Rent Allowance is paid and residential card passes are issued, wherever admissible.

(e) and (f) Provision of quarters for all categories of Railway employees is made on a programmed basis to the extent funds are available.

Agitation threat by Sonpur Railway Sangharsh Samiti

2197. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sonpur Railway Sangharsh Samiti has decided to launch an open agitation in order to protest against the neglectful attitude adopted by Government towards North Bihar;

(b) if so, whether any ultimatum has been given to Government in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government in the matter ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No,

(b), (c) and (d). Do not arise.

कार बनाने के कारखाने का विस्तार

2198. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्थित कार बनाने के तीनों कारखाने अधिक कारों का उत्पादन करने के उद्देश्य से अपने कारखानों का विस्तार करने में रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकार कार के मूल्यों में भारी कमी करने पर जोर देगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केवल इसी आधार पर उनकी परियोजनाओं का विस्तार करने देगी कि वे कारों के मूल्यों को कम करेंगे; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में एक बड़े कारखाने की स्थापना कर सरकार का कारों के मूल्यों को कम करने का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : यह सत्य नहीं है कि तीनों यात्री कार के उत्पादन कर्त्ता अपनी कार उत्पादन की क्षमता का विस्तार करने में रुचि नहीं रखते। वास्तव में तीनों उत्पादनकर्ताओं से यात्री

कार के उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव आ चुके हैं। किन्तु इन प्रस्तावों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है, इस सामान्य प्रश्न पर कि कारों के उत्पादन की क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाये निर्णय निलम्बित है। इस संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से लाभ पूर्ण एक एकक स्थापित करने का सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव है जो परिवर्तित क्षेत्र से लाभान्वित होकर छोटे आकार की कम कीमत वाली कारों का उत्पादन करे, जिसका उद्देश्य प्रतियोगितात्मक आधार पर अच्छे गुण प्रकार की सस्ती कारों का उत्पादन करना हो।

डिवीजन बनाने की योजनाओं का विरोध

2199. श्री बेदव्रत बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम के विभिन्न वर्गों और संगठनों से प्रस्तावित डिवीजन बनाने सम्बन्धी योजनाओं के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या योजना को आसाम में क्रियान्वित न करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त मांगों को पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, परन्तु अभ्यावेदन मुख्यत: रंगिया/बोंगाई गांव में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का एक अतिरिक्त मंडल प्रधान कार्यालय बनाने की मांग के रूप में है।

(ख) मंडलीकरण योजना पहली मई, 1969 से लागू की जा चुकी है।

(ग) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को आश्वासन दिया गया है कि रंगिया में एक मंडल कार्यालय उस समय बनाया जायेगा जब उस क्षेत्र में यातायात की स्थिति को देखते हुए ऐसा करने का औचित्य होगा।

Review of licensing policy in regard to Private Sector Industries

2200. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have urged upon the Central Government to review the licensing policy in respect of the industries in the Private Sector; and

(b) if so, the Central Government's reaction thereto ?

The Minister of industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) and (b). No such reference appears to have been received by the Central Govt. and it has been confirmed by the Madhya Pradesh Govt. also that no such move has been made by the state Govt. However, the entire question of what changes should be made in the industrial licensing policy and porecedures is under consideration of the Govt. at present, in the light of the recommendations made by the Planning Commission in the draft Fourth Five Year Plan and in the Report of the Industrial Licensing Policy inquiry Committee which has been received by the Govt. on 19.7.69.

New Railway lines in Madhya Pradesh.

2201. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to construct new Railway lines in Madhya Pradesh during the year 1969--70 and also during the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, the time by which the work is likely to be started; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c) . The proposals of new lines to be taken up for construction during Fourth Plan have not yet been finalised. As such it is not possible at this stage to say which of the new lines will be constructed in the State or Madhya Pradesh next year or in the Fourth Plan.

Loss to Railways due to students agitation in Madhya Pradesh

2202. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state the extent of loss caused to the Railway property due to students' agitations in Madhya Pradesh during the period from the 3lst January, 1969 to 3lst May, 1969 ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : There is no information of any loss to Railway property on account of students' agitation in Madhya Pradesh during the period 31.1.69 to 31.5.69.

Development of Small Scale Industries

2203. Shri G. C Dixit : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received any scheme from the Government of Madhya Pradesh for the development of small scale industries and the establishment of Industrial Estates in the State; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal trade and Company affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Scholarships for Low Income Group Students of Madhya Pradesh

2204. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state:

(a) the number of low- income group students of Madhya Pradesh who were given scholarships by the Central Government in the year 1967-68 and the total amount of scholarships so granted;

(b) the income group of the guardians of those students who received the scholarships; and

(c) the income limits stressed by the Madhya Pradesh Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) to (c) . The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

वातानुकूलन और प्रशीतन उद्योग की बेकार क्षमता

2205. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वातानुकूलन और प्रशीतन उद्योग की 50 प्रतिशत क्षमता बेकार रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वातानुकूलित और प्रशीतन उपकरणों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त करने का है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उद्योग को निर्यात प्रधान बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : यह सत्य है कि वातानुकूलन औरप्रशीतन उद्योग की 50 प्रतिशत क्षमता बाकी बेकार रहती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि इसकी मांग कम है, फलत: उत्पादन अधिक नहीं हो पाता हैं । हाल ही में हुई सामान्य मन्दी ही कुछ अंशों में कम मांग का कारण है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) निर्यात प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती हैं :—

(1) जहाज तक निशुल्क निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत के मूल्य की आयात संपूर्ति,

(2) जहाज तक निशुल्क मूल्य पर 25 प्रतिशत की सहायता ।

(3) निर्यात हेतु वस्तुओं के लिए देशी लोहे और इस्पात का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पर सम्भरण ।

(4) निर्यात हेतु वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी माल पर केन्द्रीय उत्पादन कर और सीमाकर की वापिसी

(5) कर में छूट-यदि कर युक्त प्रशीतन और वातानुकूल उपकरण नेपाल, भूटान और सिकिम के अतिरिक्त बाहर निर्यात किये जाते हैं । उत्पादन कर बिना दिये भी शर्तें नामें पर माल का निर्यात ।

(6) निर्यात सम्बर्धन परिषद द्वारा प्रचार, प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा प्रतिनिधि मंडल भेजने और विक्री दल भेजने पर सहायता ।

Security of Railway employees and Passengers on trains

2206. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the fresh measures taken for the security of the Railway Ticket Examiners, othor Railway employees and passengers while travelling by trains ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (i) Apart from tightening up the normal police arrangements by the Government Railway Police, such as keeping watch at important stations and periodical raids to round up criminals and anti-social elements, the State Governments of Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar have taken additional security measures by way of introducing armed patrolling/setting up of special camps in affeeted areas.

(ii) During special drives against ticketless, personnel of the Government Railway Police and Railway Protection Force are sent with the ticket checking staff.

(iii) Strict instructions have also been issued to the Railway Protectien Force staff, on duty in yards or station platforms for guarding railway property, to rush to the scene of crime in case of violent attacks on railway staff or passengers etc., and render all possible help to the victims.

Central Assistance to States

2207. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state whether it is a fact that Government are contemplating to change the very basis on which the Central assistance for Social Walfare Schemes is given to the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : No, Sir.

मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स

2208. **श्री जनार्दनन** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री मैसर्स अतुल प्रोडक्टस के बारे में 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच इस बीच जारी हो गई है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जांच विभाग अभी मामले की जांच कर रहा है ।

पश्चिम रेलवे टिकट निरीक्षण कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन

2209. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पश्चिमी रेलवे टिकट निरीक्षण कर्मचारी संघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यात्रा भत्ता कटौती समेकन योजना को समाप्त करने और टिकट निरीक्षण कर्मचारियों को पहले की भांति यात्रा भत्ता देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) इस बारे में पश्चिमी रेलवे को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं ।

(ख) रेलवे प्रशासन ने, फैसला होने तक पहले की भांति स्थिति रखने का फैसला किया है ।

Birla Group of Concerns

2210. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1509 on the 6th May, 1969, regarding the Birla Group of concerns in India and state :

(a) the year in which the 151 Companies, belonging to Birla Group and having a paid-up capital of Rs. 76·3 crores in 1963-64, were set up, alongwith their names; and

(b) the number of directors of each Company and their names ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) ; (a) and (b) . The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Sahu Jain Group of Industries

+

2211. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8537 on the 6th May, 1969 and state ;

(a) the years in which the companies, belonging to Sahu Jain Group and having a paid-up capital of Rs. 19 6 crores in 1963-64, were set up alongwith their names ; and

(b) the number and the names of directors of each Company ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : The required information in respect of companies as were listed by the Monopolies Inquiry Commission as belonging to the Sahu Jain Group is brought out in the Statement laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See. No. LT. 1529/69).**

Unpaid Water Charges by Heavy Electricals, Bhopal

2212. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be please to state :

(a) whether it is a fact that the Heavy Electricals. Bhopal owe a large amount to the Bhopal Municipal Carporation on account of water charges for water supplied to it;

(b) whether Government have enquired into the water dues to be paid to the Municipal Corporation, Bhopal and

(c) if so, the details thereof and the steps proposed to be taken by Government to ensure the payment of the dues ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : The Bhopal Municipal Corporation has made certain claims for the water supplied to the Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal. Government are in correspondence with the Madhya Pradesh Government to settle the claim.

Cancellation of train services on Southern Railway

2213. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the train service for Southern India was disrupted during May-June last and a number of trains had to be cancelled;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) the extent of loss suffered by the Railways on this account; and

(d) the action proposed to be taken by Government to prevent the recurrence of such situations ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Heavy rains/floods resulting in serious breaches in the railway track.

(c) The loss suffered by the railways is as follows :

(i) South-Eastern Railways	Rs. 10.54 Lakhs.
(ii) South-Central Railways	Rs. 639.00 Lakhs.
(iii) Southern Railway	Rs. 13.43 Lakhs.

(d) Protective works for railway banks and bridges and expansion of waterways in bridges as found necessary, are being provided.

इस्पात आदि की मांग

2214. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक इंजीनियरी उद्योगों के लिए आवश्यक इस्पात, कच्चे माल, तांबे, एल्युमिनियम तथा अन्य कच्चे माल की कुल मांग का (मात्रा में) राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक प्रत्येक मद की सप्लाई (मात्रा में) का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संयुक्त औद्योगिक उद्यम

2215. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र (इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर) द्वारा कितने संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों को मन्जूरी दी है ;

(ख) उन पर कुल कितना परिव्यय आयेगा और उसमें विदेशी मुद्रा कुल कितनी होगी ;

(ग) 1961 में अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा अन्य देशों के साथ कितने संयुक्त उपक्रमों की मन्जूरी दी गई है उन पर कुल कितना परिव्यय आयेगा और उसमें विदेशी सहयोगियों का कितना भाग होगा ; और

(घ) किन संयुक्त उपक्रमों की अंश पूंजी में विदेशी सहयोगियों के 50 प्रतिशत से कम तथा अधिक अंश हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1968 में सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रक्रमित 16 संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों को अनुमोदित किया।

(ख) इन 16 प्रस्तावों में कुल पूंजीगत परिव्यय रु. 948 लाख है। इसमें विदेशी सहयोगियों का अंश रु. 496.10 लाख है।

(ग) इन संयुक्त उपक्रम प्रस्तावों का देशवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	देश का नाम	संयुक्त उपक्रम की संख्या	अनुमानित कुल परिव्यय (लाख रु. में)	विदेशी अंश	टिप्पणी
1.	अमरीका	7	792.20	449.70	ब्रिटेन के रु. 121.50लाख अंश भी अमेरीका ब्रिटेन भारतके संयुक्त उपक्रम में सम्मिलित है।
2.	ब्रिटेन	2	23.00		ब्रिटेन पूंजी के अंश के बारे में उपरोक्त टिप्पणी देखिये।
3.	जर्मन गणतन्त्र	4	77.00	26.90	
4.	जापान	—	—	—	
5.	दूसरे देश	3	56.00	19.50	
	जोड़ :	16	948.00	496.10	

(घ) उपर्युक्त 16 मामलों में से 6 उपक्रमों में कोई विदेशी पूंजी नहीं लगी है। बाकी के 10 उपक्रमों में विदेशी पूंजी के सहयोग का हिस्सा निम्नलिखित है :

ऐसे उपक्रम जिनमें विदेशी सहयोगियों की 50 प्रतिशत से कम इक्विटी पूंजी है।

1. एच० एम० टी० वर्जन लि०, हैदराबाद।
2. सिसी प्रा० लि०, बम्बई
3. ज्योमैथ्स, एर्नाकुलम
4. डा० विनोद बी० महरोत्रा
5. काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम
6. एशियन डायरेक्टस लि० बम्बई
7. भारत बर्सटोर्फ पब्लिक लि०, बैंगलोर
8. श्री एम० बरदाराजन, हैदराबाद
9. टाटा सन्स प्रा० लि०, बम्बई

ऐसे उपक्रम जिनके 50 प्रतिशत से अधिक अंश विदेशी सहयोगियों के पास है।

1. मैसूर खाद कम्पनी, मद्रास।
2. इंगलहार्ड मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन, यू० एस० ए० श्री किशोर एम० प्रेमचंद, बम्बई के सहयोग से।

चौथी योजना में कृषि उद्योग

2216. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमारे आर्थिक विकास में कृषि-उद्योगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के अनुसार किस-किस प्रकार के उद्योगों को, कृषि-उद्योगों की श्रेणी में रखा जायेगा ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कृषि उद्योगों के विकास का कार्यक्रम क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1530/69]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है। सभा पटल पर रखदी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों की क्रियान्विति

2217. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के 17 वें (1967-68) प्रतिवेदन के भाग एक और दो में निहित सिफारिशों विशेषकर जबरी, भजरी, दासता, अस्पृश्यता, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो क्या ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री भय्यालराव) : इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों तथा सघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है। राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने पर इस सारे मामले पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कार्यभारी राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जायगा।

गोइनका उद्योग समूह

2218. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोइनका उद्योग समूह ने हाल में बहुत से समवायों के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन समवायों के मालिकों के नामों, पूंजी की स्थिति तथा अंशों इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है ? जिनका प्रबन्ध गोइनका उद्योग समूह ने अपने हाथ में गत दस वर्षों में लिया है ;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि बड़ी संख्या में समवायों के प्रबन्ध लिये जाने से आर्थिक शक्ति का और अधिक केन्द्रीयकरण होता है ;

(घ) यदि हां, तो प्रवृत्ति को बढ़ने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस मामले के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . वर्तमान में दो गोइनका समूह हैं । एक का एकाधिकार जांच आयोग द्वारा, अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 58 पर वर्णन किया गया है, तथा दूसरा श्री रामनाथ गोइनका द्वारा नियन्त्रित है । प्रथम समूह की बाबत, एकाधिकार जांच आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में 31 मार्च, 1964 तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, इस समूह से सम्बन्धित दिखाई गई कम्पनियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कम्पनियों पर, इसके पश्चात नियन्त्रण किया गया प्रतीत हुआ है :-

1. एशियन केबिल्स कारपोरेशन लि०
2. बालमोर लौरी एण्ड कम्पनी लि० (इसके साथ निम्नलिखित सहायक कम्पनियां भी हैं ।)
   1. दी बंगाल फ्लौर मिल्स कम्पनी लि०
   2. ब्रज एण्ड रुफ कम्पनी (इण्डिया) लि०
   3. ब्रिटीश इण्डिया इलैक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन क० लि०
   4. स्टील कन्टेनर्स लि०
   5. इण्डस्ट्रीयल कन्टेनर्स लि०
   6. होप्स मोंटल वोन्डोज (इण्डिया) लि०

इन कम्पनियों के स्वामित्व, पूंजी विन्यास तथा हिस्सेदारिता के ब्यौरे परिशिष्ट (क) में दिखाये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1531/69]**

दूसरे समूह, अर्थात श्री रामनाथ गोइंका द्वारा नियन्त्रित समूह की बाबत, उपलब्ध सूचनाओं से ऐसा प्रतीत हुवा है कि इस समूह में 8 कम्पनियां सम्मिलित हैं । इन कम्पनियों के स्वामित्व इत्यादि के ब्यौरे परिशिष्ट (ख) में दिये गये हैं । जैसा कि 20-11-1968 को, (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एक वक्तव्य देते हुए) उस समय के माननीय उप-प्रधान मन्त्री ने कहा था, श्री रामनाथ गोइंका ने, गत दो वर्षों की अवधि में, इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के हिस्सों का परिणामी क्रय किया है तथा बाजार की इस खरीददारी से उन्होंने एक बहुत बड़े भाग को अधिकार में कर लिया है । इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में इस "समूह की कम्पनियों" द्वारा नियोजन, परिशिष्ट ग' में दिया गया है ।

(ग), (घ) तथा (ङ) : सरकार के एकाधिकार नियन्त्रण स्वरोच्चारण पर दिनाङ्क 5 सितंबर, 1966 के संकल्प, जो सदन के पटल पर 6 सितंबर, 1966 को सुशोभित किया गया, तथा इसी बाबत एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक, 1967 के उपबन्धों की ओर, जो संसद के समय अनिर्णित हैं, ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पालजा घाट से दरभंगा तक 82 अप रेलगाड़ी का देरी से चलना

2219. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जून 1969 तक के महीनों में 82 अप रेलगाड़ी पालजाघाट से दरभंगा तक कितने दिन ठीक समय पर चली है तथा कितने दिन यह रेलगाड़ी दरभंगा एक घन्टे से अधिक देरी से पहुंची है ;

(ख) उक्त तीन महीनों के दौरान कितने दिन इस गाड़ी के यात्रियों को निरमाली तथा जयनगर जाने वाली रेलगाड़ियां नहीं मिल सकीं;

(ग) गत 15 अप्रैल से अब तक दरभंगा से नरकटियागंज जाने वाली 109 अप रेल-गाड़ी कितने दिन समय पर चली है ; और

(घ) उपरोक्त विलम्बों के क्या कारण हैं तथा लोगों को इनके बारे में समाचार पत्रों से सूचित क्यों नहीं किया गया ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मार्च से जून 1969 तक के 4 महीनों में 82 अप सवारी गाड़ी दरभंगा में 56 दिन ठीक समय पर पहुंची और 45 दिन एक घण्टे से अधिक देरी से पहुंची।

(ख) अप्रैल से जून, 1969 तक की अवधि में दरभगा में 331 अप; 321 अप से 82 अप सवारी गाड़ी का निर्धारित मेल 52 बार नहीं हो पाया।

(ग) 15 अप्रैल से 30 जून 1969 तक की अवधि में, 109 अप सवारी गाड़ी नरकटियागंज में 37 दिन ठीक समय पर पहुंची।

(घ) इन गाड़ियों के देरी से चलने के जिम्मेदार प्रधान पहलू खतरे की जन्जीर के बार-बार और अन्धाधुन्ध उपयोग किया जाना है। मार्च से जून, 1969 तक की अवधि में खतरे की जन्जीर खींचने की 82 अप सवारी गाड़ी में 75 मामले और 109 अप में 224 मामले हुए।

इन गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों में खतरे की जन्जीर खींचने के कारण अनिर्धारित अवरोधों के फलस्वरूप यात्री गाड़ियों के चालन में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था हो जाती है। चूंकि इस तरह के अवरोधों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए गाड़ियों के देरी से चलने को विज्ञापित नहीं किया जा सकता। फिर भी, दिन ब दिन देरी से चलने वाली इन गाड़ियों तथा दूसरी गाड़ियों से सम्बन्धित सूचना जनता को सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों के द्वारा दी जाती है।

दरभंगा जक्शन पर कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित फोन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु फोन

2220. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा जक्शन पर कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु फोन की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण दरभंगा स्टेशन का पूछताछ कार्यालय रेलगाड़ियों की ठीक स्थिति तथा शीघ्र आरक्षण करने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो दरभंगा स्टेशन पर उनकी व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) दरभंगा जक्शन पर सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में रेलवे कन्ट्रोल फोन लगा हुआ हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय मानक संस्था

2221. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री के० रामानी** :
श्री सत्यनारायणसिंह : **श्री उमानाथ** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या भारतीय मानक संस्था में विद्यमान भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : भारतीय मानक संस्था पर लगाये गये वे दोषारोपण निराधार पाये गये हैं ।

विदेशों के लिये रेलवे परामर्शदाता

2222. **श्री रा० रा० सिंह देव** : **श्री धीरेन्द्रनाथ देव**
श्री प्र० के० देव : **श्री एन० शिवप्पा** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विभिन्न रेलवे गतिविधियों के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों को रेलवे परामर्शदाताओं की सेवाएं देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हेजाज रेलवे को फिर से चालू करने के लिए सामान्य प्रशासन और सीरिया की सरकार के अनुरोध पर कुछ रेलवे अधिकारियों को परामर्श और अन्य कामों के लिए उन प्रशासनों के पास भेजा गया ।

(ख) विवरण इस प्रकार है :-

(i) एक सिविल इंजीनियर को एक साल के लिए विदेश सेवा की शर्तों पर हेजाज रेलवे को ऋण स्वरूप दिया गया है ।

(ii) दो सिविल इंजीनियरों और एक संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर को हेजाज रेलवे को विदेश सेवा शर्तों पर क्रमश: 93, 13 और 33 दिनों के लिए ऋण स्वरूप भेजा गया था ।

(iii) एक सिविल इंजीनियर को 1-2 सप्ताह के लिए विदेश-सेवा शर्तों पर हेजाज रेलवे को दिया गया है ।

(iv) एक सिविल इंजीनियर, एक यांत्रिक इंजीनियर और परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी को लगभग 6 सप्ताह के लिए सीरिया सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ।

Late Running of Trains on Branch Lines on Central Railway

2223. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that adequate number of Railway lines have not been laid at Ghatampur, Patara, Bhimsen, Hamirpur Road, Bharwa, Sumerpur, Ragaul, Kharar Junition stations on the Banda-Kanpur Central Railway line to allow the trains to wait at the crossing of these stations, as a result of which the trains are detained at the crossing for a very long time;

(b) whether it is a fact that trains are invariably late on the said branch-line because of the aforesaid difficulties; and

(c) whether Government propose to lay more lines on the said stations so that the trains could run according to their scheduled timings ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) No. However, the punctuality performance of trains on the Kanpur-Banda section has not been satisfactory, chiefly due to heavy incidence of alarm chain pulling resulting in dislocation of the running schedules of trains as also inadequate platform facilities at Banda.

(c) One more Loop line each is proposed to be laid at Bhimsen and Khairar Junction stations to facilitate regulation of goods trains. It is also proposed to provide an additional platform at Banda.

Time Schedule of Train No. 161 running from Rewari to Bandikui Stations.

2224. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

whether it is proposed to adjust the time table of Train No. 161 running from Rewari Junction to Bandikui station on the Western Railway in such a way that it arrives at Jaipur at court hours and goes back in the evenings ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : No.

Passenger facilities at Harsauli Station (Western Rly.)

2225. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether proper facilities would be provided to passengers at the Harsauli station in Alwar District which falls on the Delhi-Ahmedabad main line of the Western Railway by constructing a big building there;

(b) whether it is a fact that the building of Harsauli Railway Station is as small as a cabin at the Railway Crossing and it is in a dilapidated condition due to rains and has been held together with water pipes;

(c) whether it is also a fact that its daily income is more than its neighbouring Stations-Parisal and Ajerak but the length and breadth of this building and platforms are greater than the Harsauli station building; and

(d) the date by which these complaints of the people would be removed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Proper facilities for passengers dealt with at Harsauli station already exist.

(b) No. The station building admeasures 7.69m x 3.65m and is structurally safe.

(c) The daily income of Harsauli is more than that of Parisal and less than that of Aleraka and the size of station buildings and platforms of Parisal and Ajeraka are somewhat bigger than that of Harsauli.

(d) Does not arise in view of reply to (a) above.

भारतीय इंजीनियरिंग डिजाइन कम्पनीज को मुख्य ठेकेदार नामांकित करना

2226. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री रवि राय ;

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय इंजीनियरिंग डिजाइन कम्पनीज को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की सभी परियोजनाओं के मुख्य ठेकेदार के रूप में नामांकित संख्या किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) निर्णय का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) इसको किस प्रकार लागू किया जायेगा;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी; और

(च) यह निर्णय कब लागू होगा ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग), भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि जब औद्योगिक एककों को परामर्शदात्री सेवाओं की आवश्यकता हो और वे विदेशी सहयोग ढूंढे तो जहां तक संभव हो वहां तक भारतीय परमार्शदात्री सेवाओं को प्रयोग में लाना चाहिये और यदि विदेशी परामर्श की भी आवश्यकता हो तो भारतीय परामर्शदाता भी सम्मिलित किये जाने चाहिए । अतः नियमानुसार परामर्श देने के लिए मुख्य अभिकरण होना चाहिए ।

(घ) अभिप्राय यह है विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार करते समय इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

(ङ) विदेशी परामर्शदाता को काम करने के लिए सरकार से पहले स्वीकृति लेनी पडती है । अतः यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए ।

(च) निर्णय का प्रवर्तन किया जा रहा है ।

बालीगज में "सिटी बुकिंग आफिस"

2227. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की दक्षिण कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल के बालीगंज तथा संलग्न क्षेत्रों में सिटी बुकिंग आफिस खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बालीगंज और निकटवर्ती क्षेत्रों में सिटी बुकिंग एजेन्सी खोलने की इस समय कोई योजना नहीं है । लेकिन दक्षिण कलकत्ता में खिदरपुर और रूसा रोड में दो सिटी बुकिंग कार्यालय पहले से ही काम कर रहे हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

गोआ में इस्पात कारखाना

2228. **श्री देवेन सेन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अथवा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गोआ में इस्पात कारखाना अथवा कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). एक अथवा अधिक इस्पात कारखाने लगाने के बारे में सभी बातों पर जिनमें प्रायोजना विशेष पर प्रस्तुत प्रतिवेदन भी शामिल है, विचार किया जा रहा है। इस काम में कुछ समय लग जाएगा।

रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों की शिकायतें

2229. **श्री देवेन सेन :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ के महासचिव श्री एम० पी० श्रीवास्तव ने 18 जून, 1969 को कलकत्ता में एक पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा था कि 38,000 वाणिज्यिक लिपिक शान्तिपूर्ण प्रयासों से अपनी शिकायतों को दूर कराने में प्रशासन से कोई सहानुभूति प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने पत्रप्रतिनिधियों को यह भी बताया था कि उन्हें "कुछ अन्य तरीके" अपनाने को बाध्य होना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यिक लिपिकों द्वारा उनके मन्त्रालय को क्या क्या मांगें पेश की गई हैं; और

(घ) उन मांगों के प्रति सरकार का रवैया क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह : (क) और (ख). समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ). वाणिज्यिक क्लर्कों की मांगों में वेतनमानों का पुनरीक्षण, सीधी भर्ती पर रोक, संघों की मान्यता आदि शामिल हैं, जिन पर अतीत में कई बार विचार किया गया है लेकिन सरकार उन्हें मन्जूर नहीं कर सकी।

फिर भी, जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर काम कर रहे हैं, उन्हें राहत देने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्यात

2230. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के चेयरमैन द्वारा विभिन्न मशीनी औजारों के निर्यात के लिये 50 लाख डालर के क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं;

(ख) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों के निर्यात के लिये अमरीका के हनीवेल स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय—कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। तीन वर्ष से अधिक अवधि तक।

(ख) तथा (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा बनाये गये मशीनी औजारों तथा अन्य भारतीय इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात में सुविधा के लिए तथा उनका प्रयोग करने के लिए अमरीका के हनीवेल कारपोरेशन के उपयोग के लिए हनीवेल कारपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक फर्म खोलने के प्रस्ताव पर आजकल सरकार विचार कर रही हैं।

बोकारो इस्पात परियोजना

2231. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि रुसी विशेषज्ञ, मि० स्केचकोव ने बोकारों इस्पात परियोजना की दो अवस्थाओं को आरम्भ करने के लिए भारत सरकार को सहमत कर लिया है;

(ख) तेजी से विकास करने में और कितना अतिरिक्त रुपया लगेगा;

(ग) परियोजना के चालू होने पर किन-किन मदों का उत्पादन किया जायेगा;

(घ) इस नई कार्यवाही से अन्य इस्पात मिलों के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) रूसी विशेषज्ञ श्री एस० स्केचकोव के दौरे के समय भारतीय पक्ष ने ही यह इच्छा व्यक्त की थी कि बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य प्रथम चरण की 1·7 मिलियन टन की अवस्था के बाद भी जारी रक्खा जाए। भारतीय मत इस बात पर आधारित था कि चपटे उत्पादों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हो सके तथा भारी इंजीनियरी निगम तथा सरकारी क्षेत्र में अन्य भारी इंजीनियरी परियोजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से परिचालन हो सके।

(ख) बोकारों इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण पर 330 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। अभी इस बात का अनुमान नहीं लगाया गया है कि चौथी योजना में तीव्र गति से होने वाले विकास-कार्यों पर कितना अतिरिक्त रुपया व्यय होगा।

(ग) प्रथम चरण में जिसमें 1·7 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड का उत्पादन होगा और द्वितीय चरण में जिसमें 4.00 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड का उत्पादन होगा, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार होगा :—

	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
	(टन)	
गर्म वेलितचादरें और स्ट्रिप तथा कम चौड़ी प्लेटें ।	789,000	1,520,000
ठण्डी वेलित चादरें और स्ट्रिप	425,000	1,100,000
जस्ती चादरें	150,000	600,000
	1,364,000	3,220,000

(घ जहां तक दूसरे इस्पात कारखानों के विस्तार का प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के मसोदे में भिलाई तथा इण्डियन आयरन के विस्तार का प्रस्ताव है । बोकारों का तीव्र गति से विस्तार करने से इन प्रस्तावित विस्तार कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दूसरे मार्ग से गाडियां चलाने के कारण यात्री तथा सामान के यातायात के लिये रेल उपभोक्ताओं से अधिक किराया लिया जाना

2232. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मई के महीने में आन्ध्र और पूर्व तटीय (मेल ट्रैक) पर तूफान आने के बाद विभिन्न जोनल रेलों द्वारा दूसरे मार्ग से गाड़ियां चलाये जाने के कारण लम्बी यात्रा के लिये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने वाले यात्रियों तथा माल का लदान करने वाले दोनों प्रकार के रेलवे उपभोक्ताओं को अधिक किराया देने पर विवश किया गया था; और

(ख) प्राकृतिक विपदा के कारण रेल उपभोक्ताओं से अधिक किराया लिये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). मई, 1969 में तूफान के कारण आंध्र प्रदेश और पूर्वी तट की रेलवे लाइन टूट-फूट के परिणामस्वरूप उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का सीधा और सबसे छोटा मार्ग मरम्मत होने तक बन्द हो गया था और इस बीच उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का यातायात अनिवार्यतः उपलब्ध चालू मार्ग से ले जाना पड़ा । यह सामान्य सिद्धांत है कि सामान्य मार्ग बन्द हो जाने की दशा में यातायात पर उन दरों पर भाड़ा लेना पड़ता है जो उस मार्ग पर लागू है, जिससे होकर यातायात ढोया जाता है, ताकि परिचालन सम्बन्धी उच्चतर लागत के लिए रेलों की क्षतिपूर्ति की जा सके । प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेलें अपने रेल-पथ और स्थित संस्थापनाओं की क्षति की लागत सहन करती हैं । अतएव यह उचित नहीं होगा कि सीधे मार्ग के लिए लागू दर पर वे चक्करदार रास्ते से यातायात ले जायें और इस प्रकार और भी नुकसान उठावें ।

इस विषय में सम्बन्धित नियम ये हैं :—

(i) भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर-सूची सं० 19—भाग I—नियम 224

(ii) भारतीय रेल सम्मेलन माल दर-सूची सं० 32—भाग I—नियम 125

उडीसा के औद्योगिक एककों को लोहे तथा इस्पात की कतरनों की सप्लाई

2233. **श्री रवि राय :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा के उद्योग मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर, जो कि 19 मई, 1969 के स्टेट्समेन (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, दिलाया गया है कि भारत सरकार का इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय उड़ीसा के औद्योगिक एककों को लोहे तथा इस्पात की कतरनों की सप्लाई करने की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रधान इस सम्बन्ध में पहले ही उड़ीसा सरकार को बचन दे चुके हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में बिक्री योग्य इस्पात में कमी

2234. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 जून, 1969 के स्टेट्समेन के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील के तीनों कारखानों में 5,400 टन बिक्री योग्य इस्पात का कम उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने उत्पादन में कमी की जांच कराई है और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, हां । परन्तु समाचार पत्र में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का अप्रेल और मई 1969 के महीनों का विक्रेय इस्पात का जो उत्पादन दिखाया गया है वह गलत है । इन कारखानों का अप्रेल और मई 1969 का विक्रेय इस्पात का उत्पादन क्रमश: 2,29,400 टन और 2,23,000 टन था । मई के महीने में 6400 टन कम उत्पादन हुआ ।

(ख) अधिक कमी दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन में हुई, जिसका मुख्य कारण यह था कि वहां मालिक-मजदूर सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं थे ।

विदेशी गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा पश्चिम बंगाल में नयी परियोजनाओं का स्थापित न किया जाना

2235. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स फिलिप पैट्रोलियम कम्पनी हल्दिया के लिये अपने सहयोग के प्रस्ताव को वापस लेने के पश्चात एक बिलेट का कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाना था अब बिहार में स्थापित किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में मजदूर सम्बन्ध तनावपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के पूर्व नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिये व्यावहारिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी संस्था तथा उनका विवरण क्या है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कारखाने न स्थापित करने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पश्चिमी बंगाल में बिलेट संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतएव बिहार में स्थापना स्थल बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-रूस संयुक्त उपक्रम

2236. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी रूस यात्रा के दौरान, रूस की सहायता से किसी अन्य भिन्न देश में परियोजनाएं आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ग) क्या इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप कोई ठोस प्रस्ताव सामने आया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जून, 1964 में मास्को में रूसी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान भारी बिजली उपकरण संयंत्र, हरिद्वार में बनाई जा सकने वाली मशीनों और उपकरणों को अन्य देशों की परियोजनाओं के लिये निर्यात करने में रूसी सहायता की आवश्यकता का प्रश्न

भी उठाया गया था। रूस इस सम्बन्ध में सहायता देने को सहमत हो गया था। अन्य देशों की परियोजनाओं के लिये, रुसी सहयोग से भारत में स्थापित अन्य भारी इंजीनियरिंग कारखानों में निर्मित उपकरणों तथा मशीनों के निर्यात को बढ़ाने के लिये रुसी सहायता के प्रश्न पर भी सामान्य रुप से चर्चा की गई थी और रुस यथा संभव सहायता देने के लिये सहमत हो गया था। अग्रेतर ब्यौरा सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा रुस से परामर्श करने के बाद तैयार किया जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों के लिये विदेशों में प्रशिक्षण

2237. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार भारतीयों को उन पुर्जों के निर्माण में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बाहर भेजने तथा तत्पश्चात् उन भारतीयों को उनके निर्माण में लगाने की कोई योजना बनाने का है जिनकी सप्लाई में निर्माता देशों में श्रमिक विवाद के कारण गड़बड़ी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय – कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) अपने तकनीशियनों और टूल डिजाइनरों को अपने सहयोगियों की फैक्टरियों में हिस्से पुर्जों की सुपुर्दगी के काम की स्थिति में सुधार के काम के लिए (जोकि श्रमिकों की अत्यधिक कमी और मशीन टूल्स की बड़ी मांग के कारण अस्तव्यस्त हो गई है) भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का उत्पादन कार्यक्रम

2238. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 के लिये तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये वित्तीय परिव्यय सहित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन-कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के उपर्युक्त कार्यक्रम के चलाये जाने से देश में इस्पात की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में इस उद्योग की कितनी मांगें पूरी हो सकेंगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनों सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कम्पनी द्वारा स्वीकृत उत्पादन–कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1969–70 में 1.125 मिलियन टन कच्चा लोहा और 3.540 मिलियन टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य है। चतुर्थ योजना

काल में अधिकतम उत्पादन की अवस्था में इन इस्पात कारखानों में लगभग 5.6 मिलियन टन कच्चे लोहे और लगभग 20.4 मिलियन टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की आशा है। परन्तु भिलाई इस्पात कारखाने की वर्तमान 2.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता बढ़ाकर 3.2 मिलियन टन करने के प्रस्तावित विस्तार-कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर 600,000 टन कच्चे लोहे को इस्पात उत्पादन के काम में लाया जायेगा। चतुर्थ योजना काल के लिए अनुमानित अतिरिक्त लागत 1110 मिलियन रुपये है जिसमें भिलाई का विस्तार बैलेन्सिंग साज-सामान और अतिरिक्त फिनिशिंग सुविधाएं लगाने, उत्पादन में विविधता लाने और तकनीकी सुधारों की व्यवस्था है।

(ख) चतुर्थ योजना काल में विभिन्न उद्योगों को लोहे और इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति न केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों से अपितु निजी क्षेत्र के कारखानों तथा बोकारो इस्पात कारखाने से भी की जायेगी। यद्यपि मांग और उत्पादन का वर्ष-वार अनुमान तैयार नहीं किया गया है फिर भी 1973-74 के लिए ब्यौरा तैयार किया गया है और यह विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1532/69] हिन्दुस्तान स्टील कुल मांग का दोतिहाई भाग पूरा करेगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

2239. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड़, तपांग, कालूपना घाट, निराकारपुर, भुखंडपुर तथा बालुगांव स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानों पर विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 1969-70 में क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग), माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित स्टेशनों पर जितने कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है उसका प्रतिशत इस प्रकार है:-

खोरधा रोड़	50%
तापंग	100%
निराकारपुर	50%
भुखण्ठपुर	100%
कालूपाड़घाट	96.5%
बालूगांव	74%

भारतीय रेलों पर केवल 37 प्रतिशत कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर दिये गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊपर लिखे स्टेशनों पर स्थिति संतोषजनक समझी जाती है।

फिर भी रेलवे के 1969–70 के निर्माण कार्यक्रम में निम्नलिखित क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है:–

खोरधा रोड़ टाइप I – 15 यूनिट
टाइप II – 7 यूनिट
और 30 व्यक्तियों के लिए 1 बैरक ।

आय-कर अपीलें तथा निदेश

2240. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कलकत्ता तथा बम्बई स्थित आयकर अपील अधिकरणों तथा उच्च न्यायालयों में आयकर विभाग तथा निर्धारितियों ने कितनी अपीलें तथा निदेश दायर किये और विभाग द्वारा दायर की गई अपील तथा निदेश में कर की कम से कम कितनी राशि अन्तर्वलित है;

(ख) क्या यह सच है कि आजकल आयकर निर्धारण करने वाले प्राधिकारियों ने उन अल्प राहत-रकमों के बारे में भी पूछताछ आरम्भ कर दी है जो अपीलीय सहायक आयुक्तों ने निर्धारितियों को दी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों के लिये भी यह परेशानी है तो दूसरी ओर अपीलीय प्राधिकारी भी अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं और असमन्जस में पड़ जाते है; और

(ग) इस प्रकार की छोटी; उलझन वाली और परेशान करने वाली अपीलों की संख्या कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) आवश्यक जानकारी संग्रहित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग), इस विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है । अधिकरण में अपीलें दायर करने के मामले में प्रवरणशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए निर्धारणों को रोकने का उपबन्ध करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर आयुक्तों को समुचित अनुदेश दिए हैं ।

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर

2241. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर की पूरी क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में उसकी कितनी प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि कारखाने में इन वर्षों में पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उनका मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि न्यूजीलैंड तथा ईराकी रेलवे से 6 करोड़ रुपये के मूल्य के सवारी डिब्बों के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं अथवा प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसे अधिक लागत पर अथवा कम लागत पर सप्लाई किया जायेगा और इस व्यापार में कितना लाभ अथवा हानि होने की आशा है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पेराम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने की वार्षिक क्षमता बड़ी लाइन के तीसरे दर्जे के 700 डिब्बे बनाने की है, और पिछले तीन वर्षों की अवधि में उपलब्ध क्षमता का पूर्णतः उपयोग किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) अभी तक कोई आर्डर नहीं मिला है; यद्यपि दोनों देशों को दरें भेजी जा चुकी हैं।

(घ) बताये गये मूल्य इस प्रकार रखे गये है ताकि हमारे टेण्डर स्पर्धात्मक रहें। सही स्थिति की जानकारी आर्डर मिल जाने के बाद ही होगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेल कर्मचारियों का वेतन

2242. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 जून, 1969 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के दो स्थायी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा करने के बाद भी 25 पैसे प्रतिदिन अर्थात् 6 रुपये प्रति मास वेतन प्राप्त कर रहे थे;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच में किन तत्थों का पता चला है; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के दो यात्री हाल्टों पर रेल सेवा और यातायात बहुत कम है, ट्रेन समय के दौरान प्लेटफार्म के लेम्पों को जलाने के लिये दो अल्पकालिक कर्मचारी रखे गये थे। उनका 6 रु० प्रति मास मानदेय दिया जाता था। वे रलवे कर्मचारी नहीं थे। इस कार्य के लिये जब से एक ठेकेदार नियुक्त किया गया है, अल्पकालिक कर्मचारियों द्वारा लेम्पों का जलाया जाना बन्द कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में केबल फैक्टी की स्थापना

2243. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केबल फैक्टरी स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार गृहों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केबल उद्योग के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति संकल्प से हटने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि क्या चतुर्थ योजना अवधि में डाक तथा तार विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान गैर सरकारी क्षेत्र में केबल्स बनाने वाले एकों को दूर-संचार केबल्स के बनाने के लिए आज्ञा दी जाये ? किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) औद्योगिक नीति सकल्प के पैरा 8 में ऐसा अनुबन्ध है कि राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यक हो तो सूची 'क' में अंकित उद्योगों दूर-संचार केबल्स उनमें सम्मिलित हैं की क्षमता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता

2244. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या रेलवे मन्त्री उत्तर रेलवे के स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरीयता सूची

2245. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मन्त्री फिरोजपुर डिवीजनों के सहायक स्टेशन मास्टरों की संयुक्त वरीयता सूची के बारे में 15 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना अनुबन्ध क' में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1533/69]

उत्तर रेलवे में अधिक वेतनक्रम के पदों पर जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति

2246 **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री उत्तर रेलवे में अधिक वेतनक्रम के पदों पर जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : इस मामले की जांच की जा रही है ।

अधिक वेतनक्रम के लिये स्टेनोग्राफरों का चयन

2247 **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री अधिक वेतन के लिये स्टेनोग्राफरों के चयन के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस मामले की जांच की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में नयी रेलवे लाइनें

2248. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराबाद से नडीकुडि तक नई बड़ी लाइन बनाने और गुंटूर-मचेरला मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण लगभग किस तारीख तक पूरा हो जायेगा और साथ ही भद्राचलम रोड-कोबूर रेल सम्पर्क सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अद्यतन बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : आशा है सिकन्दराबाद-नाडिकुडे लाइन का सर्वेक्षण और गुन्टूर-मचेरला लाइन के आमान परिवर्तन का काम दिसम्बर, 1969 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । अन्य अत्यावश्यक कामों के कारण भद्राचेलम रोड-कब्बूर का सर्वेक्षण आस्थगित रखा गया है, जिसे शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

खाद्यान्नों पर आधारित उद्योगों के लिये संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा सहायता

2249 **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन छोटे पैमाने के क्षेत्र में खाद्यान्नों पर आधारित उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौन-कौन से हैं और ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किस रूप में सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या प्रस्तावित उद्योग निर्यात प्रधान होंगे या वे देश की खपत को पूरा करेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) वे उद्योग ऐसे होंगे जिनके लिये भारत में काफी गुंजाइश है । कार्य क्रम पर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन से विचार विमर्श किया जाना है ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन के अधिकारियों ने भारत में इन उद्योगों के विकास में सहायता करने के लिये सलाहकार तथा विशेषज्ञ प्रदान करने का निश्चय किया है ।

(घ) इन विवरणों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना तथा खाद्य एवं कृषि संगठन के अधिकारियों से बात चीत करना बाकी है ।

Supply of wagons to Food Corporation of India for transporting Wheat

2250. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of wagons asked for by the Food Corporation of India for transporting wheat procured in various States to its destinations (upto the 30th June 1969);

(b) the number of wagons made available to the Corporation for this purpose;

(c) the number of covered and un-covered wagons among them; and

(d) the reasons for making uncovered wagons available to the Corporation for the said purpose ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) During the current Rabi Season, wheat was procured by the Food Corporation of India mostly from Punjab and Haryana. Procurement from Uttar pradesh was negligible. For movement of this procured wheat to different storage depots and consuming areas in other States, they gave an advance programme indicating their requirements of 26,896 broad gauge and 3,050 metre gauge wagons during May and June 1969.

(b) As against these requirements, 40,I33 broad gauge and 3,786 metre gauge wagons were actually loaded during these two months. The loading was thus in excess of the forecast given by the Food Corporation of India by 13,237 broad gauge and 736 metre gauge wagons.

(c) 31,876 covered and 8,257 open wagons on the broad gauge and 3,634 covered and 152 open wagons on the metre gauge were loaded during May and June 1969.

(c) Immediately after the harvesting of Rabi crop in Haryana and Punjab the use of uncovered wagons to a certain extent was unavoidable because of large scale central procurements even though the Railway was committed to use covered wagons for the purpose. However, wherever such wagons were used they were covered with tarpaulines and the R. P. F. escorts was also provided.

Murder cases in running trains

+

2251. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Vilmiki Choudhary :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of persons murdered in running trains during the last three months;

(b) the number of Railway employees among them and the Railway line on which the maximum number of murders were committed;

(c) the steps taken by Government to check such murders; and

(d) the number of persons arrested in this connection and that of those found guilty and punished ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Eleven; during April, May, June.

(b) Two Railway employees were murdered. Maximum number of murder cases occured on Kasganj-Kanpur (Anwarganj) and Tundla-Farrukhabad Sections.

(c) the following precautionary measures are being taken :

(i) Important night passenger trains are being escorted by Armed personel of the Government Railway Police.

(ii) Surprise checking by Government Railway police supervisory staff is done during night.

(iii) Railway Protection Force escorts are being provided on a number of goods trains during night.

(iv) Close liaison is maintained with Government Railway Police and Civil Police to keep surveillance over the bad characters of the sections.

(v) Co-ordination meetings at all levels are also held with Government Railway Police and State Police Officials.

(d) Fourteen persons were arrested. All cases are reported to be under Police investigation.

Detention of Manikpur-Jhansi Passenger Train

2252. **Shri Nathu Ram Ahiwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Manikpur-Jhansi Passenger train is detained daily at the outer signal of the Jhansi Railway station;

(b) if so, the number of times the said train was so detained there during the last three months;

(c) whether it is also a fact that the passengers miss their train connections due to the aforesaid train waiting near the outer-signal and all passengers travelling without tickets get down there; and

(d) the steps taken by the Government to remedy this situation ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) . During the 3 months April to June, 1969, 524 Up and 522 Up Manikpur-Jhansi Passengers were detained at Jhansi outer signal on 39 and 41 occasions respectively.

(c) Yes, occasionally. Some ticketless passengers do get down from the trains when they are detained at the outer signal.

(d) Detentions to Manikpur-Jhansi Passengers at the outer signal of Jhansi are caused by out of path running of other trains arriving Jhansi from the Kanpur, Agra and Bina directions, resulting in dislocation of plateform berthing schedules.

Every feasible affort is being made to ensure the punctual running of trains at Jhansi and to eliminate detentions to trains outside signals for plateform.

माल ढोने के लिये रेलवे स्थान पर ट्रकों आदि का प्रयोग बढ़ाना

2253. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की बजाये ट्रकों आदि द्वारा माल ढोये जाने के ये कारण हैं : (एक) भारतीय रेलों की विभिन्न शाखाओं में समन्वय का अभाव; (दो) 48 घन्टों से अधिक समय तक यार्डों में मालडिब्बों को रोका जाना; और (तीन) माल की ढुलाई में लापरवाही बर्ती जाना;

(ख) यदि हां, तो माल यातायात को पुनः प्राप्त करने हेतु रेलवे द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि माल ढोने के लिए रेलवे के स्थान पर ट्रकों आदि का प्रयोग बढ़ने के उपरोक्त कारण नहीं है तो इसके अन्य कारण क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारतीय रेलों की विभिन्न शाखाओं के संचालन में समन्वय है और माल यातायात का रेलवे की बजाय सड़क द्वारा भेजा जाना इस समन्वय के अभाव के कारण नहीं हैं। कभी-कभी यार्डों में माल डिब्बे रुक जाते हैं और पारवहन के दौरान परेषणों के ठीक से न चढाने-उतारने की घटनाएं हो जाती हैं। माल यातायात को रेलवे की बजाय सड़क द्वारा भेजे जाने का एक विशेष कारण है।

(ख) और (ग) माल यातायात को रेलवे की बजाय सड़क से भेजे जाने का मुख्य कारण यह है कि सड़क परिवहन को घर से घर तक माल पहुंचाने का अन्तर्निहित लाभ प्राप्त है और इससे छोटे-मोटे परेषणों का अधिक शीघ्रता के साथ परिवहन होता है। पिछले कुछ वर्षों में देश की सड़कों का नियोजित ढग से विकास हुआ है और सड़क वाहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अत: माल यातायात को रेलवे की बजाय सड़क से भेजा जाना एक स्वाभाविक जटिलता है जिसका मुकाबला देश में कृषि एव औद्योगिक उत्पादनों की पूर्णतया वृद्धि द्वारा करना है, ताकि दोनों तरह के परिवहन के लिए पर्याप्त यातायात उपलब्ध हो सके और यह प्रतिस्पर्धा उनकी कार्य-कुशलता के लिए उत्साहवर्धक सिद्ध हो।

माल यातायात को रेलवे की बजाय सड़क से भेजे जाने की इस प्रवृत्ति के कारण रेलवे ने अपने सेवा की किस्म में सुधार करने के उपाय किये हैं। हर रेलवे पर एक विपणन और बिक्री सगठन की स्थापना की गयी है ताकि ग्राहकों की तुष्टि के लिए महत्वपूर्ण रेलवे सचालन के सभी पहलुओं पर काफी ऊंचे स्तर पर निगाह रखी जा सके। कुछ पहलू जिन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, ये हैं:- माल डिब्बों की समय पर सप्लाई, यार्डों में अवरोधन को दूर करना, और पारवहन समय में सुधार। तेज परिवहन के लिये द्रुत पारवहन और सेवाएं सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चालू की गयी है। सुरक्षा उपायों और परेषणों की संभलाई की व्यवस्था को कड़ी करके पारवहन के दौरान खोने और क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये जाते हैं। जहां कहीं भी उचित और व्यावहारिक होता है, पैकिंग सम्बन्धी शर्तों को ज्यादा आसान और कम खर्चीला बनाया जाता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए कम की गयी दरें भी दी गयी हैं। आउट एजेन्सियां और सिटी बुकिंग एजेन्सियां खोली जाती हैं और ग्राहकों को समेकित रेल एवं सड़क परिवहन व्यवस्था सुलभ करने के लिए सडक से एकत्र और सड़क पर वितरण करने वाली सेवाएं संगठित की गई हैं। घर से घर तक सेवा व्यवस्था सुलभ करने, पैकिंग महगी न होने देने और पारवहन में क्षति तथा उठाईगीरी से बचाव करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच कन्टेनर सेवाएं चालू की जा रही हैं।

इटारसी तथा जबलपुर के बीच यात्री तथा डाक एक्सप्रेस गाड़ियों के फासला तय करने का समय

2254. श्री नीति राज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटारसी तथा जबलपुर के बीच यात्री, डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के फासला तय करने का समय अब इसलिए अधिक रखा जा रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि गाड़ियां गंतव्य स्थान पर समय पर पहुँच जाती हैं;

(ख) क्या जब इस सेक्शन पर एक ही पटरी थी तब उक्त गाड़ियों के चलने में बहुत कम समय अर्थात् लगभग तीन घन्टे कम लगते थे; और

(ग) गाड़ियों का फासला तय करने का समय कब तक कम किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 1-10-61 से (जब इटारसी-जबलपुर इकहरी लाइन खण्ड था) लागू होने वाली समय-सारणी की तुलना में डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन समय में 3 मिनट से 55 मिनट तक और सवारी गाड़ियों के सम्बन्ध में । घटे से 2 घंटे तक का अन्तर पड़ा है ।

डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन-समय में थोड़ी वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि दोहरी लाइन के बिछाने के सम्बन्ध में इन्जीनियरिंग कार्य के लिए अतिरिक्त समय की छूट दी जाती है ।

1-10-61 से पहले इस खण्ड पर सवारी गाड़ियों की निर्धारित रफ्तार 87 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चार पहियों वाले मालडिब्बों को ले जाने वाली सवारी गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार को सुरक्षा की दृष्टि से 1961 में कम करके 72 किलोमीटर प्रति घण्टा कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित रफ्तार घट कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गयी। सवारी गाड़ियों के चालन समय में वृद्धि निर्धारित रफ्तार में कमी और दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में इन्जीनियरिंग कार्य के लिए अतिरिक्त समय की छूट देने के कारण हुई है ।

(ग) दोहरी लाइन सम्बन्धी निर्माण कार्य के पूरा होने पर जैसे ही ये इन्जीनियरिंग प्रतिबन्ध हटा लिये जाते हैं, वैसे ही वर्तमान चालन-समय में कुछ कमी करना सम्भव हो पायेगा ।

हाकी टीमों में चुने जाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण

2255. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में हाकी टीमों में चुने जाने के लिए भारतीय रेल ने अपने कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए जालंधर भेजा था; और

(ख) हाकी खेलने के लिए उनमें से कितने व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त की गई ?

रेलवे **मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) वर्ष 1967 की अवधि में जालंधर में दो प्रशिक्षण शिविर चलाये गये—एक 2 अप्रैल, 1967 से और दूसरा 1 सितम्बर, 1967 से। प्रत्येक शिविर में 8—8 रेलवे हाकी खिलाड़ी भेजे गये ।

वर्ष 1968 की अवधि में, जालंधर में 28 जून से 18 जुलाई, 1968 तक एक प्रशिक्षण शिविर चलाया गया जिसमें 7 रेलवे हाकी खिलाड़ी भेजे गये।

(ख) वर्ष 1967 की अवधि में प्रशिक्षण शिविरों में रेलवे के जो खिलाड़ी भेजे गये थे, उनमें से पांच खिलाड़ियों को मई, 1967 में मेड्रिड में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और छः रेल कर्मचारी उस टीम के अंग थे जिसने अक्तूबर, 1967 में लंदन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में भाग लिया।

अक्तूबर, 1968 में हुए उन्नीसवीं विश्व ओलिम्पिक खेलकूद में भाग लेने के लिए 1968 में पांच रेल कर्मचारियों को भारतीय हाकी टोली के लिए अन्तिम रूप से चुना गया।

लखनऊ-बम्बई और बम्बई-कोचीन पत्तन के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाया जाना

2256. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-बम्बई और बम्बई-कोचीन पत्तन के बीच सीधी रेल गाड़िया चलेंगी

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) अमृतसर एक्सप्रेस में जो पहले पठानकोट एक्सप्रेस कहलाती थी बम्बई से लखनऊ के लिए कितने सवारी डिब्बे लगाए जाते थे; जिन्हें अब नहीं लगाया जाता है; और

(घ) पंजाब मेल में ऐसे सवारी डिब्बे कितने लगे होते हैं जो लखनऊ के लिए होते हैं और जिनको झांसी में इस गाड़ी से अलग कर दिया जाता है तथा ऐसे कितने डिब्बे इस गाड़ी में झांसी से जोड़े जाते हैं जो लखनऊ से बम्बई के लिए जाने वाले होते हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) लखनऊ और बम्बई तथा बम्बई और कोचीन के बीच सीधी रेल गाड़ियां चलाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

(ग) दो डिब्बे ।

(घ) पांच डिब्बे ।

रेलवे कर्मचारियों को दक्षता पुरस्कार

2257. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने रेलवे कर्मचारियों को दक्षता पुरस्कार, प्रशंसा-पत्र आदि दिये गये;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को बाद में बेइमानी के आरोप में दण्डित किया गया अथवा मुकदमा चलाया गया या दण्ड दिया गया; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि

2258. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि टायरों, ट्यूबों, पुर्जों तथा कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए ट्रैक्टरों के मूल्य बढ़ाये जाने चाहियें;

(ख) देश में ट्रैक्टरो की गम्भीर कमी को देखते हुए मूल्य कब बढ़ाये जा रहे हैं;

(ग) ब्रिटेन, अमरीका आदि जैसे उन्नत देशों में उन्हीं मार्कों के ट्रैक्टरों की तुलना में भारतीय ट्रैक्टरों के मूल्य कैसे हैं;

(घ) क्या पहियों, रिमों, पिस्टनों, लाइनरों, फ्यूल इन्जैक्टरों, टायरों, बैयरिंग आदि जैसी वस्तुओं की अनियमित तथा अपर्याप्त सप्लाई के बारे में ट्रैक्टर उद्योग से शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) सम्भरण की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रशुल्क आयोग ने टायरों, ट्यूबों तथा बैटरी लेकिन पुर्जों या कच्चे माल की नहीं) की कीमतों में विभिन्नता चाहे वैकल्पिक किस्मों के प्रतिष्ठापन के कारण हो या कीमतों की विभिन्नता अन्य कारणों से हो उसे आवश्यकतानुसार ट्रैक्टरों की सिफारिश की गई कीमतों के अनुसार समंजित किया जाय ।

(ख) कुछ ट्रैक्टर निर्माताओं द्वारा अपने बनाए हुए ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि करने की प्रार्थना पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1967 के अन्तर्गत भारतीय ट्रैक्टरों का विक्रय-मूल्य अधिसूचित कर दिया गया है, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं० एस० ओ०-1955 दिनांक 3 जून को प्रकाशित किया गया हैं । ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों में बनाए गये ट्रैक्टरों के मूल्य-ढांचे के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । विदेशी ट्रैक्टरों के उन्हीं मार्कों की लागत तथा भाड़ा सहित कीमत देश में आयात करने के पश्चात् भी साधारणतः भारतीय ट्रैक्टरों के विक्रय-मूल्य से कम ही होती है ।

(घ) और (ङ) ट्रैक्टर निर्माता भारतीय सहायक उद्योग से पुर्जों के नियमित तथा पर्याप्त सम्भरण में आने वाली अपनी कठिनाईयों से सरकार को सूचित करते रहते हैं । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सरकार सम्बन्धित सम्भरण कर्ताओं से मामले पर बातचीत करती है जिससे कि उनकी सम्भरण स्थिति ठीक बनाए रखने में आई कठिनाइयों पर सफलता प्राप्त करने में सहायता दी जा सके । अब कभी ट्रैक्टरों के निर्बाध उत्पादन के प्राप्त करने में सहायता उद्योग से पर्याप्त मात्रा में संभरण नहीं हो पाता है तो ट्रैक्टर निर्माताओं को आवश्यक सम्बन्धित हिस्से पुर्जे आयात करने की आज्ञा दी जाती है ।

मैलानी, उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज़ का कारखाना

2259. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैलानी, उत्तर प्रदेश में अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी के सहयोग से लगाये जाने वाले अखबारी कागज़ के कारखाने सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति सरकार ने दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है, भारतीय प्रायोजकों के नाम क्या हैं और उत्पादन का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा की कितनी आवश्यकता है और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाऐगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जूट व्यापार में सट्टेबाजी

2260. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जूट के मामले में सट्टेबाजी न करने देने के बारे में भारतीय जूट मिल संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन विचाराधीन है।

तालचेर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क

2261. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में रूरकेला के पारादीप पत्तन को मिलाने के लिये जोरेरी क्षेत्रों की खानों के क्षेत्र तक तालचेर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क की योजना को सम्मिलित न करने के कारण उड़ीसा में बहुत असन्तोष है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम मसौदे में इस परियोजना को सम्मिलित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तालचेर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क (इसमें कोइरा घाटी तक विस्तार शामिल है) जो चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) चौथी योजना में नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस लाइन के सम्बन्ध में चालू वर्ष (1969-70) में सर्वेक्षण शुरु किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसका परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा।

विमलगढ़ तथा तालचेर के बीच रेल सम्पर्क

2262. **श्री सेरन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में विमलगढ़ और तालचेर के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने की भी अनुमति योजना आयोग ने अभी तक नही दी है;

(ख) क्या यह सच है कि रेल मत्रालय ने उस क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिये इन्जीनियरों का एक दल पहले ही नियुक्त कर दिया है;

(ग) क्या किसी समय योजना आयोग के स्तर पर अथवा सरकारी स्तर पर एक मिश्रित योजना पर चर्चा की गई थी कि इस रेलवे लाइन को निकट के खान क्षेत्र से मिला दिया जाये और इस लाइन से ही पारादीप, पत्तन होकर विदेशों को लौह–अयस्क तथा इस्पात का सामान निर्यात किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तालचेर–विमलगढ़ रेल सम्पर्क (जिसमें कोइरा घाटी तक लाइन को बढ़ाना शामिल है) के सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुमान विचाराधीन है। सर्वेक्षण के लिए योजना आयोग का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) . जी हां। इस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर विचार विमर्श किया गया था। विचार विमर्श के फलस्वरूप लाइन को कोइरा घाटी तक बढ़ाने के लिए भी जांच–पड़ताल करने का विनिश्चय किया गया है।

तालचेर और बिमलगढ़ के बीच रेल लाइन

2263. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दक्षिण पूर्व रेलवे में तालचेर और बिमलगढ़ के बीच की लगभग 90 मील की दूरी को मिलाने तथा इसके सर्वेक्षण और निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) वास्तविक सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) . (क) और (ख) . तालचेर-बिमलगढ़ रेल सम्पर्क (जिसमें कोइराघाटी तक लाइन को बढ़ाना शामिल है) के सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुमान विचाराधीन हैं। नई लाइनों के लिए चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं। इसके निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय, लाइन का सर्वेक्षण, जो चालू वर्ष (1969-70) में शुरु किया जा रहा है, पूरा हो जाने और उसका परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही दिया जा सकेगा।

हरिजनों के लिये पेय जल के नल कूप

2264. श्री भोगेन्द्र झा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी वर्ष में देश भर में हरिजनों के प्रत्येक मोहल्ले में पेय जल के कम से कम एक नलकूप की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्थाल राव) : (क) तथा (ख) . संविधान के अधीन अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है तथा सार्वजनिक कुओं से पानी न लेने देना अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध है, इसलिए सभी गावों में केवल हरिजनों के लिए कुंओं की व्यवस्था करने का सरकार ने कोई विस्तृत कार्यक्रम शुरु नहीं किया है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेल कर्मचारियों का स्थायीकरण

2265. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री 22 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के पांच वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनको स्थायी करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1534/69]

कोलरून स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के निकट दुर्घटना

2266. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर कोलरून स्टेशन के निकट एक पुल पर 4 फरवरी, 1969 को हुई जनता एक्सप्रेस की एक दुर्घटना की, जिसमें पुल से टकरा कर 36 यात्री मर गये थे, जांच कराई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या डिवीजनल सुपरिन्टैन्डेन्ट ने खतरे वाले पुल में से गाड़ी को गुजरने योग्य बनाने तथा मद्रास के स्वर्गीय मुख्य मंत्री की अन्त्येष्टि के दिन यात्रियों को छतों पर यात्रा करने से रोकने के लिए पुलिस की सहायता प्राप्त करने की सावधानी बरती थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस पुल के निकट, जहां भयानक दुर्घटना हुई, पुलिस तैनात की गई थी ;

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या औपचारिक कार्यवाहियां की गई हैं ; और

(च) ऐसी भयानक दुर्घटना का कारण बनने वाली भारी लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). बंगलूरू के रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की कानूनी जांच की थी। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना छत पर यात्रा करने वालों द्वारा सवारी डिब्बों और इंजन की छतों पर चढ़ कर यात्रा करने की जिद के कारण घटी और वे सब स्वयं इसके लिए पूर्णत. जिम्मेदार थे। उन्होंने यह भी कहा है कि रेल प्रशासन और रेल कर्मचारियों को इस दुर्घटना के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) तामिल नाडु के स्वर्गीय मुख्य मंत्री के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए 3 और 4 फरवरी, 1969 को बहुत से स्टेशनों पर मद्रास जाने वालों की अचानक अभूतपूर्व भीड़ हो गयी, इसे देखते हुए स्टेशनों पर कानून और व्यवस्था कायम रखने और गाडियों को स्टेशन से गुजरने के लिए पुलिस की सहायता मांगी गयी और वह सहायता मिली। विशेषरूप से पुलों पर पुलिस की सहायता लेने का अनुरोध नहीं किया गया था। रेल कर्मचारियों को इस बात की हिदायत है कि वे यात्रियों को छत पर यात्रा न करने के लिए समझायें और गाड़ी तभी चलायें जब यात्री छत पर से उतर जायें। इस हिदायत के अनुसार 4-2-1969 को कोलरून स्टेशन पर यात्रियों को छत से उतारने के लिए स्टेशन और गाड़ी के कर्मचारियों ने कोशिश की। लेकिन उपद्रवी भीड़ कोई दलील सुनने के लिए तैयार न थी और ज्यों ही छत पर यात्रा करने वालों को गाड़ी से नीचे स्टेशनों पर उतारा गया, गाडी के छूटते ही वे फिर सवारी डिब्बों की छत पर चढ़ गये। रास्ते के छोटे स्टेशनों पर गाड़ी के रुकने पर रेल कर्मचारियों और गाड़ी कर्मचारियों के साथ हाथा-पायी की गयी और उन्हें डराया-धमकाया भी गया और गाड़ी के ड्राइवर को उसकी पीठ पर छुरा रख कर धमकाया गया और उसे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया गया और कहा गया कि यदि गाड़ी न चलायी गयी तो भीड़ गाड़ी का कार्य भार अपने हाथ में ले लेगी और प्रत्यक्षत: उसने एक स्थान पर इंजन के रेगुलेटर पर कब्जा करके ऐसा कर भी लिया था।

(ङ) इस आशय की हिदायत मौजूद है कि भीड़ के समय जहां सभव हो लाउड स्पीकरों के जरिये एलान किया जाना चाहिए कि छत पर यात्रा करना खतरनाक होने के साथ-साथ कानून के अन्तर्गत एक अपराध भी है। इस आशय की भी हिदायत मौजूद है कि जब कभी मेलों आदि के अवसर पर लोग छतों पर चढ़ कर यात्रा करते हों और जिस गाड़ी की छत पर यात्री बैठें हों, जब कभी उसे कोई स्थिर संरचना से गुजरना हो, और यदि यात्रियों को छत से नीचे उतारने का प्रयत्न विफल हो जाये, तो स्थिर संरचना से पहले के स्टेशन पर गाड़ी न चलायी जाये। लेकिन थोड़े से रेल कर्मचारियों के लिए ऐसे उपद्रवी लोगों की भीड़ को काबू में करना संभव नहीं है जो गाड़ियों की छत पर फिर चढ़ जाते हैं : इसके अलावा यह हिदायत भी जारी की गयी है कि यदि कुछ गैर-जिम्मेदार और उपद्रवी लोग गाडी की छत पर हों, तो गाड़ियों को अतिलंघा करने वाली संरचना से पहले रोक देना चाहिए, फिर चेतावनी की सीटी देने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए और इसे सामान्य रफ्तार में तभी लाना चाहिए जबकि पूरी गाड़ीअतिलघन करने वाली संरचना को पार

कर ले। रेलवे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती और चेतावनी देने और मना करने के बावजूद जो लोग कानून तोड़ कर गाड़ियों की छत पर यात्रा करने का आग्रह करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रेलवे की जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(च) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

विधवाओं तथा निराश्रय महिलाओं के लिए पेंशन

2267. **श्री निहाल सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवाओं तथा अन्य निराश्रय महिलाओं को पेंशन/राज्य सहायता देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में यह पेंशन/राज्य सहायता किस हिसाब से दी जाती है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रकार की पेंशन किन शर्तों पर दी जाती है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

तलारा रेलवे स्टेशन पर नलकूप

2268. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलारा रेलवे स्टेशन (पठानकोट–जोगिन्द्र नगर लाइन) पर नलकूप लगाने के लिये छिद्रण कार्य किया गया था;

(ख) क्या वहां पानी मिला था और यदि हां, तो किस स्तर पर ; और

(ग) यदि पानी मिला था तो वहां नलकूप क्यों नहीं लगाया गया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 40.5 मीटर गहराई बोरिंग की गयी थी लेकिन उस सतह तक पानी नहीं मिला।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेलवे लाइन पर यात्री क्षमता

2269. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट–जोगेन्द्र नगर रेलवे लाइन (हिमाचल प्रदेश) पर पहले, दूसरे तथा तीसरे दर्जे में प्रतिदिन कुल कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं ; और

(ख) प्रत्येक दर्जे के रेल डिब्बे में प्रतिदिन औसत कितने यात्री यात्रा करते हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पठान कोट-जोगिन्द्र नगर खण्ड पर चलने वाली सवारी गाड़ियों में एक कैलेण्डर दिन के चक्र में सीटों की औसत संख्या नीचे दी गयी है । ये आंकड़े हाल की गणना पर आधारित है :—

	I	II	III
पठान कोट और बैजनाथ-पपरोला के बीच	109	91	1419
बैजनाथ-पपरोला और जोगिन्दर नगर के बीच	40	29	296

(ख) हाल की उसी गणना के आधार पर प्रत्येक दर्जे के यात्रियों की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गयी है :—

पठानकोट और बैजनाथ–पपरोला के बीच	55	53	1208
बैजनाथ-पपरोला और जोगिन्दर नगर के बीच	3	2	156

काठगोदाम रेल कर्मचारियों की शिकायतें

2270. **श्री मधुलिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काठगोदाम के रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कोई टिप्पण/ज्ञापन/पत्र मिला है ;

(ख) उनकी क्या शिकायतें हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को सहायक स्टेशन मास्टरों और पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों की ओर से काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत उनके वर्गीकरण में परिवर्तन से सम्बद्ध एक अभ्यावेदन मिला था ।

(ग) सहायक स्टेशन मास्टरों के मामले में उनका वर्गीकरण 'अनिवार्यतः आवश्यक' से बदल कर 'सतत' करने के काम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । जहां तक पूछताछ और आरक्षण कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी डयूटी का कार्य विश्लेषण किया जा रहा है और कार्य-विश्लेषण के परिणामों को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

हल्दीबाड़ी तथा जलपाईगुड़ी के बीच रेलवे संचार पुनः चालू करना

2271 **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पश्चिम बंगाल में हल्दीबाड़ी तथा जलपाइगुड़ी नगर के बीच रेल संचार पुनः चालू करने के बारे में उनके मंत्रालय को हल्दीबाड़ी के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि मानसून प्रारम्भ हो चुका है, इसलिए जलपाईगुड़ी और हल्दीबाड़ी स्टेशनों के बीच लाइन को फिर से चालू करने का काम वर्षा ऋतु के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा । आशा है कि इस समय तक सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति की रिपोर्ट मिल जायेगी; जिससे सम्पूर्ण स्थिति की बेहतर जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

Import of Steel Goods

2272. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether Government have granted permission for the import of steel goods consisting mostly of plates, sheets and rods worth eight crores of rupees for consumption in the engineering industry this year;

(b) whether these items are manufactured indigenously; and

(c) if not, the steps being taken to manufacture them indigenously so that the import thereof is discontinued ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) No, Sir. but in the liberalised policy for imports, provision existe for import of plates and sheets for actual users. The position is under review and proposals for bulk import will be considered as circumstances require and resources permit.

(b) and (c). The quantity manufactured in the country is not adequate to meet the domestic and export demands. Efforts are being made to step up production of these items in the country.

नियंत्रण कार्यालय का सोनपुर से समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में स्थानान्तरण

2273. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रण कार्यालय के सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) से समस्तीपुर तथा बनारस स्थानान्तरित किये जाने के बाद नियंत्रण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है और अभी भी ठीक तरह काम नहीं कर रही है जिससे देरी तथा गलत कनेक्शन हो रहें हैं और परिणामतः यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है ; और

(ख) इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या नियंत्रण कार्यालय को पुनः सोनपुर ले जाने का कोई प्रस्ताव हैं ताकि यह व्यवस्था ठीक तरह काम कर सकें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पहलेजा घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) पर कोयले तथा अन्य वस्तुओं की चोरी

1274. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० एम० ई० तथा यातायात कार्यालयों के सोनपुर से समस्तीपुर स्थानान्तरित किये जाने के बाद वहां नियंत्रण कम हो जाने के कारण पहलेजा घाट (पूर्वोत्तररेलवे) में कोयला तथा अन्य वस्तुओं की चोरी काफी बढ़ गई है ; और

(ख) पहलेजा घाट पर रेलवे सम्पत्ति तथा लोगों द्वारा बुक किये गये माल की हुई हानि का मूल्य क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) पहलेजा घाट पर लोगों द्वारा बुक किये गये किसी माल की हानि के सम्बन्ध में अभी तक कोई दावा भुगतान नहीं किया गया है ।

बाल कल्याण सम्बन्धी गंगाशरण सिन्हा समिति

2275. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त गंगाशरण सिन्हा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी कार्यान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नहीं हो तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा बच्चों के कल्याण सम्बन्धी विशेष तथा साधारण सेवाओं की समस्याओं के बारे में 109 सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की 6 प्रतियां संसद पुस्तकालय में उन सदस्यों की सुविधा के लिए रखी गई है जो इन सिफारिशों का अध्ययन करना चाहते हैं ।

(ग), (घ) तथा (ङ) . इस समिति की रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और उसमें की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए उसे राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों, इत्यादि के विचार प्राप्त होने पर उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में निश्चय किए जाएंगे ।

रेलवे बस्ती, गोल्डन राक, दक्षिण रेलवे में रेलवे प्लाटों के लाइसेंस धारक

2276. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठेका किये गये तथा पिछले 35 वर्षों से लागू विनियमों से सर्वथा भिन्न नये विनियमों को लागू करके दक्षिण रेलवे की गोल्डन राक रेलवे बस्ती में रेलवे प्लाटों के लाइसेंस धारिकों को दो वर्ष का अधिग्रहण शुल्क देने के लिये बाध्य किया जा रहा है ;

(ख) क्या इन लाइसेंस धारिकों ने अपने एकमात्र ढांचे इन आवंटित खाली प्लाटों पर बने थे ;

(ग) क्या दो वर्ष का अधिग्रहण शुल्क अग्रिम लेने की प्रक्रिया केवल उन लाइसेंस धारिकों पर लागू होती है जिनके पास केवल रेलवे इमारतें हैं :

(घ) क्या दक्षिण रेलवे को इस बस्ती में लागू वर्तमान नियमों से कोई घाटा हुआ था;

(ङ) यदि कोई हानि नहीं होती, तो इस रेलवे में प्रक्रिया में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या लाइसेंसधारिकों से दो वर्ष की पेशगी की नई शर्तों के आधार पर इमारतें बलात खाली कराई जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सभी रेलों पर लागू होने वाली अप्रैल, 1967 से चालू नयी प्रक्रिया के अनुसार गोल्डन राक रेलवे बस्ती के लाइसेंसधारों को नोटिस जारी किये गये थे कि वे एक वर्ष की कब्जा फीस पेशगी दें और उतनी ही रकम जमानत के रूप में जमा करायें ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । यह प्रक्रिया सभी मामलों में लागू होगी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह प्रक्रिया सभी रेलों पर लागू की गया थी ताकि किरायों के भारी बकाये इकठ्ठे न हो जायें और किरायों की वसूली न होने की दशा में रेलों को सम्भावित हानि न हो।

(च) इस सम्बन्ध में गोल्डन राक रेलवे बस्ती के लाइसेंसदारों द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में नमक का उत्पादन

2277. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गंजम जिले के नमक क्षेत्र में नमक बंधों आदि की मरम्मत के लिये 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस को ;

(ग) उड़ीसा में नमक उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है , और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये बनाये गये कार्य-क्रमों का ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . 1967–68 की अवधि में उड़ीसा की गंजाम जिले के नमक वाले क्षेत्र में नमक तटबंध इत्यादि की मरम्मत करने के बारे में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई। 1968–69 तथा 1969–70 की अवधि में इस क्षेत्र में नमक लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा बनाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 1535/69]

(ग) 1967–68 में45,000 मी० टन तथा 1966–67 में 47,000 मी० टन की अपेक्षा 1968–69 की अवधि में उड़ीसा में नमक का उत्पादन 77,600 मी० टन हुआ।

(घ) नमक विभाग ने राज्य सरकार के एक उपक्रम ईस्ट कास्ट साल्ट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को नमक का उत्पादन करने के लिए कुल 2400 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 7 वर्ष में उनके 1,25,000 मी० टन का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। प्राइवेट साल्ट वर्क्स ने पहले ही अपना उत्पादन लक्ष्य 50,000 मी० टन प्राप्त कर लिया है।

कोलायत से जैसलमेर तक रेलवे लाइन

2278 **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोलायत रेलवे स्टेशन से जैसलमेर तक एक नई रेलवे लाइन बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बीकानेर तथा जयपुर के बीच चलने वाली रेल-गाड़ियों में शायिकाओं की व्यवस्था करने के लिए जनता द्वारा बार-बार मांग की गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : जयपुर के रास्ते आगरा किला और बीकानेर के बीच साधारण तीसरे दर्जे के सीधे डिब्बे चलते हैं जो 207/208 आगरा किला–जोधपुर एक्सप्रेस और 95/96 बीकानेर-मारवाड़ डाक गाड़ियों में लगाये जाते हैं। इनमें से एक सीधे डिब्बे के स्थान पर 3 टियर वाला एक शयनयान, जिसमें जयपुर के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया हो, चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बीकानेर डिवीजन में यात्री सुविधायें

2279. डा० कर्णी सिंह ; क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत वर्ष 1967 से 31 मार्च, 1969 तक उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में यात्री सुविधाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(एक) इंजन, डिब्बों आदि में पंखों, संडास आदि की सुविधाएं ;

(दो) स्टेशनों का नवीकरण ;

(तीन) प्रतीक्षाघरों में सुधार ; और

(चार) प्लेटफार्मों, उपरि पुलों आदि का निर्माण अथवा सुधार ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (1) मानक सुविधाओं की व्यवस्था सभी डिब्बों में बिना इस बात को ध्यान में रखे की जाती है कि उन्हें किस मण्डल में काम में लाया जाता है। समय-समय पर होने वाली कमी को सामान्य रूप से मरम्मत लाइनों और कारखानों में ठीक कर दिया जाता है।

(2) लगभग 10,000 रुपये।

(3) लगभग 35,500 रुपये।

(4) लगभग 1,37,800 रुपये।

बीकानेर डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों का निलंबन

2280. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में बीकानेर डिवीजन में कितने रेल कर्मचारी निलंबित किए गए;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी वापिस ले लिए गए हैं और कितनों पर मुकदमा चलाया जा रहा; और

(ग) उनका मंत्रालय इन मामलों का निपटारा कब तक कर लेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह : (क) 932

(ख) 904 कर्मचारियों को काम पर वापस लिया गया, और शेष 28 कर्मचारी अभी निलम्बन में हैं। 932 कर्मचारियों में से अभी तक निलम्बन में चले आ रहे 28 कर्मचारियों सहित 496 कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय में मुकदमे चल रहे है।

(ग) अभी तक निलम्बन चले आ रहे 28 कर्मचारियों को काम पर लेना न्यायालय के मुकदमों के परिणाम पर निर्भर करता है, क्योंकि उनके विरुद्ध आरोप गंभीर है और पुनर्विचार करने पर यह विनिश्चय किया गया है कि अभी उन्हें काम पर वापस न लिया जाये।

चालान सम्बन्धी शेष मामलों को अन्तिम रूप देना न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है ।

बीकानेर-जयपुर-जोधपुर के बीच मुख्य रेलगाड़ियों के साथ भोजनयान का जोड़ना

2281. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीकानेर तथा जयपुर और जोधपुर तथा बीकानेर के बीच चलने वाली मुख्य रेलगाड़ियों के साथ भोजनयान जोड़े जाने के बारे में जनता द्वारा बार-बार मांग की गई है; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बीकानेर और जयपुर के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं चलती, अतः ऐसी किसी गाड़ी के साथ भोजनयान लगाये जाने की मांग का सवाल ही नहीं उठता । बीकानेर और जोधपुर के बीच एक सीधी गाड़ी आती-जाती है, लेकिन इनका चलने का समय ऐसा है कि उनमें भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसलिए इन गाड़ियों के साथ कोई भोजनयान नहीं लगाया जाता और न ऐसा भोजनयान लगाये जाने के लिए कोई खास मांग ही की गयी है ।

(ख) बीकानेर और जयपुर तथा बीकानेर और जोधपुर के बीच स्थित स्टेशनों पर यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खान-पान सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

2282. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए किया गया था, इस वर्ष पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा नामांकित व्यक्तियों के आधार पर इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है; और

(घ) इस वर्ष पुनर्गठित होने से पूर्व केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य कौन-कौन थे, पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और उनमें कौन-कौन नये सदस्य नामांकित हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को 1 अप्रैल, 1969 से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन पुण्यार्थ कम्पनी के रूप में परिवर्तित किए जाने पर इस वर्ष इस कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में की गई व्यवस्था के अनुसार इस कम्पनी की जनरल बोडी का इस वर्ष गठन कर दिया गया है ।

(ग) कम्पनी की जनरल बोडी में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित व्यक्ति तथा लोक सभा अध्यक्ष तथा राज्य सभा अध्यक्ष शामिल हैं।

(घ) इस वर्ष कम्पनी के रूप में रजिस्टर किए जाने से पूर्व केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों के नाम बोर्ड के (कम्पनी) के जनरल बोडी के सदस्यों के नाम तथा (बोर्ड के) नए सदस्यों के नाम संलग्न विवरणों में दिए गए हैं (अनुबन्ध 1, 2 और 3) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1536/69]**

धन के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की वृद्धि को समाप्त करने के लिए किये गये उपाय

2283. **श्री धीरेश्वर कालिता** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) देश में धन के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की वृद्धि को रोकने के लिये बड़े व्यापारीयों पर प्रातबन्ध लगाने के चौथी योजना में किय गये सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सरकार के, एकाधिकार की वृद्धि को नियन्त्रित करने की बाबत, दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के सकल्प, जो दिनांक 6 सितम्बर, 1966 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया, की ओर, तथा ससद के समक्ष, वर्तमान में अनिर्णीत, एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक के उपबन्धों की ओर भी, ध्यान आकर्षित किया जाता है। 14 शीषस्थ बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी दिशा में एक पग है।

कुमाऊं एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

2284 **श्री जनार्दन :**
श्री अदिचन :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री विश्वनाथ पण्डेय :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के रती का-नागला स्टेशन के बाहरी सिगनल के पास 2 जुलाई, 1969 को 4 अप कुमाऊं एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 2-7-1969 को पूर्वोत्तर रेलवे पर हाथरस रोड और रती का नागला स्टेशनों के बीच 11 डाउन कुमाऊं एक्सप्रेस पटरी से उतर गयी थी।

(ख) इस दुर्घटना में ड्राइवर और 2 फायरमैन मारे गये और एक व्यक्ति को गम्भीर चोटें आयी।

(ग) और (घ): रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रेलवे लाइन से अनधिकृत रूप से छेड़-छाड़ करने के कारण हुई।

(ङ) अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय स्थापित करना

2285 **(श्री द्वा० ना० तिवारी)** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के नवनिर्मित डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय किस आधार पर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में सलाह ली गई थी;

(ग) क्या व्यापारी समाज और यात्री संगठनों से सलाह ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस समय जिन स्थानों में डिवीजनल अधीक्षक के ये कार्यालय स्थापित किए गए हैं; उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या रही हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों के मण्डल प्रधान कार्यालयों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय खर्च में किफायत के साथ साथ परिचालन सम्बन्धी जरूरतों के आधार पर किये गये हैं। स्थानों के चुनाव पर राज्यों की सीमाओं का कोई प्रभाव नहीं हैं।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों या व्यापारिक तथा सार्वजनिक संगठनों के साथ कोई औपचारिक परामर्श नहीं किया गया था लेकिन मंडलीकरण योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले इस सम्बन्ध में सभी ओर से मिले अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया गया था।

(घ) मंडल प्रधान कार्यालय किसी अन्य स्थान पर बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कुछ सुझाव और दावे प्राप्त हुए थे। लेकिन अब आमतौर पर इन स्थानों को स्वीकार कर लिया गया है।

बस्ता, अमरदा रोड और हल्दीपाडा स्टेशनों (दक्षिण पूर्वी रेलवे) पर रोशनी का प्रबन्ध

2286 **श्री स० कुण्डू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे में बस्ता, अमरदा रोड और हल्दीपाड़ा रेलवे स्टेशनों पर नव निर्मित प्लेटफार्मों पर रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्लेटफार्मों पर पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध करने तथा जालेसबार स्टेशन पर रोशनी के प्रबन्ध को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन प्लेटफार्मों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने का काम प्रगति पर है और आशा है कि अगस्त, 1969 तक यह काम पूरा हो जायेगा । जलेस्वर स्टेशन पर रोशनी का वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त समझा जाता है ।

कागज निगम की स्थापना

2287. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शशि भूषण :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या होंगे और कब तक इसके स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, हां । एक कागज निगम की स्थापना का प्रस्ताव है जो कि सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नई कागज / अखबारी कागज की मिलों के प्रबन्ध की उत्तरदायी होगी । अभी तक इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूब बनाने वाले कारखाने में विदेशी पूंजी निवेश

2288. **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री जि० मा० विस्वास :
श्री सूरज पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 26 नवम्बर, 1968 के भारत सरकार के प्रेस नोट के अनुसार रबड़ का सामान बनाने वाले कारखानों में, जिनमें मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूब बनाने के कारखाने भी शामिल हैं, में नए एकक स्थापित करने के लिये विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति नहीं है :

(ख) क्या यह भी सच है कि एक कम्पनी को, जिसे मोटरगाड़ी के टायर तथा ट्यूब बनाने के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये आशय-पत्र जारी किया गया था, विदेशी पूंजी विनियोजना बोर्ड ने उक्त कम्पनी को यह अनुमति दी है कि वह प्रस्तावित कम्पनी के साम्य पूंजी में 25 प्रतिशत तक विदेशी सहयोग प्राप्त कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह बात उपरोक्त प्रेस नोट में उल्लिखित सरकारी नीति के प्रतिकूल नहीं है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ओलवाकोट तक रेलगाडी का चलाया जाना

2289. **श्री ई० के० नायनार : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस रेलगाड़ी को ओलवाकोट तक ले जाने का सरकार का विचार है जिसे दक्षिणी रेलवे के अधिकारी मद्रास और कोयम्बतूर के बीच वृन्दावन एक्सप्रेस की भांति चलाने का विचार कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस क्षेत्र में एक तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता की जांच करते समय इस प्रश्न पर समुचित विचार किया जायेगा ।

पालघाट में प्रिसीजन टूल फैक्टरी की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

2290. **श्री इ० के० नायनार : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पालघाट (केरल राज्य) में प्रिसीजन टूल फैक्टरी के लिए आवंटित की गई भूमि चित्तर चीनी मिल अधिकारियों को गन्ने की खेती करने के लिए दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पालघाट में प्रिसिजन टूल फैक्टरी के निर्माण की स्वीकृत योजना समाप्त कर दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां, । मैकेनिकल इन्स्ट्रूमेन्ट संयंत्र, पालघाट को आवटित जमीन, सहकारी चीनी मिल, चित्तूर को गन्ने की खेती करने के लिये इन शर्त पर दे दी गई है कि आवश्यकता पड़ने पर वह जमीन कम्पनी को लौटा दी जायेगी ।

(ख) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० के पालघाट एकक का कार्यान्वयन स्थगित किये जाने तथा पालघाट एकक में औजारों का उत्पादन करने के लिये

अतिरिक्त विनियोजन सहित कोटा एकक में सम्मिलित कर लिये जाने का निश्चय किया गया है। इससे कम्पनी के बोकारो इस्पात तथा थरमल पावर संयंत्र की आवश्यकतायें पूरा करने में सहायता मिलेगी।

पालघाट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेन्टस संयंत्र की स्थापना की पूरी स्थिति पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रयोग करने वाले उद्योगों की अतिवृद्धि तथा मांगों के संदर्भ में पुनः विचार किया जायेगा।

पूर्वी रेलवे में तांबे के तारों की चोरी

2291. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में तांबे के तारों की चोरी के मामले बहुत बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत जून में ऐसे कितने मामले हुए;

(ग) तार चोरों का कार्य करने का ढंग और तरीका क्या है; और

(घ) क्या इसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1969 में मार्च और अप्रैल के महीनों में तांबे के तारों की चोरी के मामलों की संख्या बढ़ गयी थी लेकिन बाद में उनकी संख्या घट रही है।

(ख) दस।

(ग) ऐसे अलग-अलग स्थानों पर जहां रेलवे सुरक्षा दल के सैनिक या अन्य कर्मचारी तैनात नहीं रहते, वहां अपराधी तारों को लोहे की आरी की पत्तियों या रबर के आवरण युक्त मूठ वाले तेज औजारों से काट देते हैं और तार उठा ले जाते हैं।

(घ) 1969 के मामलों में जून, 1969 तक जितने मामलों की सूचना मिली है उनमें केवल दो रेल कर्मचारियों पर सन्देह किया गया।

रेलवे को लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई

2292. **श्री गा० शं० मि ा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लकड़ी के स्लीपरों पर मध्य प्रदेश सरकार या उसके वनविभाग को रेलवे द्वारा बिक्री-कर न दिये जाने के कारण रेलवे को स्लीपरों की सप्लाई 1967-68 से बन्द कर दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के वनों के ठेकेदारों ने, जो रेलवे की आवश्यकता के लिये लकड़ी के स्लीपर मध्य प्रदेश सरकार को दिया करते थे, रेलवे से यह अनुरोध किया है कि वे रेलवे को स्लीपरों की सप्लाई टेन्डरों, या बातचीत द्वारा सौदों के आधार पर करेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिए एक पार्टी को बिक्री कर तथा निरीक्षण व्यय समेत ऊंची दरों पर, क्रमादेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो यदि अन्य यात्रियों द्वारा बताये गये मूल्यों में से सब से कम मूल्य वाला प्रस्ताव स्वीकार किया जाता तो रेलवे को कितनी बचत होती ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलों ने कानूनी तौर पर देय बिक्री कर की अदायगी करने से इन्कार नहीं किया । रेलों और मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग के बीच राज्य और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये जाने वाले बिक्री कर से सम्बद्ध वास्तविक वैध दायित्व के बारे में मतभेद उत्पन्न हो गया जिसके परिणामस्वरूप रेलों को सप्लाई करने के लिए स्लीपरों का प्रथागत लदान किये बिना मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वन पातनांशों (forest coupes) को नीलाम कर देने का निश्चय किया और रेलों से कहा कि सीधे व्यापारियों से स्लीपर लेने के लिए वे स्वतंत्र हैं ।

(ख) रेलों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में वन के ऐसे कौन-कौन ठेकेदार हैं, जो राज्य सरकार को लकडी के स्लीपर सप्लाई करते थे क्योंकि स्लीपरों की सप्लाई सीधे एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को की जाती थी । जैसाकि ऊपर भाग (क) में बताया गया है, एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार की स्लीपर सप्लाई करने की व्यवस्था भंग हो जाने के बाद सप्लाई के लिए व्यापारियों से टेन्डर मंगाने पड़े ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात की चादरों का आवेदन

2293. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 13 जनवरी, 1964 की अधिसूचना के द्वारा यह घोषित किया था कि किसी भी कच्चे माल का, जिसकी सप्लाई बहुत ही कम है, देशी साधनों से अथवा किसी फर्म को आयात लाइसेंस जारी करके आंवटन नहीं किया जायेगा, यद्यपि सरकार ने उन सभी औद्योगिक उपक्रमों को, जिनकी स्थायी परिसम्पत्ति 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से छूट दे रखी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात की चदरों का, जो कि हमेशा और अब भी कम मिलने वाला पदार्थ है, आंवटन कैसे किया है और अभी भी कैसे कर रही हैं;

(ग) क्या यह बात उपरोक्त भाग (क) में उल्लखित अधिसूचना में घोषित नीति के प्रतिकूल नहीं है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 13 जनवरी, 1964 की अधिसूचना कुछ विशिष्ठ उद्योगों, औद्योगिक उपक्रमों जिनकी स्थायी परिसम्पत्ति 25 लाख रुपये से अधिक नहीं है के अलावा अनुसूचित उद्योगों पर औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसैंसिंग अनुबधों के लागू न होने के विषय में है । इस अधिसूचना में देशी या आयातित कच्चे माल के आबंटन का कोई संदर्भ नहीं है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक छुट्टी

2294. श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कारखाने के कर्मचारियों ने 4 जुलाई 1969 को सामूहिक छुट्टी ली थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । कर्मचारियों ने (विशेष रूप से कारीगर) अपनी द्वितीय पाली में 4 जुलाई, 1969 में आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ले ली थी ।

(ख) यह कदम कारीगर समिति के आह्वान पर उनकी पदोन्नति तथा वेतन क्रम में सुधार की मांग को कारगर ढंग से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उठाया गया ।

(ग) उनकी मागें कम्पनी के प्रबन्धकों के विचाराधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिए आवास की सुविधायें

2295. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिये आवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार ने अथवा राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसी कोई योजना बनाने का अथवा राज्य सरकार को इसके लिए कहने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्थालराव) (क) से (ग) : पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र में दो आवास योजनाएं हैं :—

(1) केन्द्रीय सहायता के साथ चलाए जाने वाले राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा मकान बनाए जाने के लिए उपदान; तथा

(2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अधीन भंगियों और मेहतरों के आवास के लिए राज्य सरकारों को सहायक अनुदान देना।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम पर हुआ सारा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है, जबकि राज्य क्षेत्र कार्यक्रम पर हुआ खर्च केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 60 : 40 के अनुपात से उठाया जाता है।

इन योजनाओं के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 900 रुपये से 1500 रुपये तक की सरकारी सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपरोक्त योजना लाभ प्राप्तकर्ताओं को मकान की पूरी लागत का 12½% उपदान के रुप में देकर निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग की गंदी बस्तियां सफाई योजना तथा कम आय वर्ग आवास योजना को, जब वे चलाई जा रही हों, अनुपूर्ति करती है।

आगरा-कानपुर यात्री गाड़ी पर डाकुओं का हमला

2296. **श्री विश्वनाथ पाण्डे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1969 को उत्तर पश्चिम रेलवें में कानपुर से 30 मील दूर बिल्होर स्टेशन के पास आगरा कानपुर यात्री गाडी के तीसरे श्रेणी के डिब्बे में यात्रियों पर डाकुओं द्वारा गोली चलाए जाने से एक रेलवे कर्मचारी मारा गया तथा तीन अन्य घायल हो गए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां; एक यात्री (रेल कर्मचारी) गोली लगकर मर गया और तीन अन्य जिनमें दो बच्चे भी थे घायल हो गये।

(ख) फर्रुखाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दड संहिता की धारा 394, 302 के अधीन एक मामला अपराध सं० 66 दर्ज कर लिया था। इस मामले से सम्बद्ध तीन अभियुक्तों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरा व्यक्ति चलती गाड़ी से भागने का प्रयत्न करते हुए मारा गया।

चौथी पचवर्षीय योजना में इस्पात कार्यक्रम

2297. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात-विस्तार कार्यक्रम को तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति के प्रश्न पर उनके मंत्रालय में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मतभेद के क्या कारण हैं;

(ग) मतभेद को दूर करने और कार्यक्रम को अन्तिम रूप से तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) लोक सभा में 29 जुलाई, 1969 को दिए गये तारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में चौथी योजना अवधि के परिकल्पित कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं ।

साधारण निर्वाचनों में मताधिकार के लिये न्यूनतम आयु

2298. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से साधारण निर्वाचनों में मताधिकार के लिए वर्तमान न्यूनतम आयु को घटाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में यदि कोई निर्णय किया है, तो वह क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रानीगंज के निकट सैनिक रेलगाड़ी पर हमला

2299. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 8 जुलाई, 1969 को पश्चिम बंगाल विधान सभा में श्री ज्योति बसु द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखा है जो उन्होंने रविवार, 6 जुलाई, 1969 को रानीगंज के समीप एक सैनिक रेलगाड़ी पर हुए हमले के बारे में दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि आसनसोल तक उक्त रेलगाड़ी की सुरक्षा करने वाले रेलवे सुरक्षा बल में केवल दो ही व्यक्ति थे जिनके पास केवल लाठियां थीं और आसनसोल से आगे कोई भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं था ।

(ग) क्या रेलवे की ऐसी परम्परा है कि वह मार्ग में शस्त्र तथा गोलाबारूद की आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करती है; और

(घ) उक्त मामले में सर्वथा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सैनिक विशेष गाड़ी 4.7.1969 को बिना सैनिक सुरक्षा संगचल कर्मचारियों के पुल गांव से रवाना हुई । हां, 6.7.1969 को अनारा से आसनसोल तक इस गाड़ी के साथ रेलवे सुरक्षा दल के दो निहत्थे रक्षक चले चूंकि इस विशिष्ट सैक्शन में हाल ही में कई चोरियां हुई थीं और पूर्वोपाय के रूप में सभी माल गाड़ीयों के साथ सुरक्षा कर्मचारी चलते थे ।

(ग) इस माल के प्रेषण के लिये सैनिक प्रशुल्क में दिये गये उपबन्धों के अनुसार रेलवे अपनी जिम्मेदारी निभाती है । सैनिक शस्त्रास्त्रों के देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिये सुरक्षा कर्मचारी चलाने के लिये रेलवे के पास संसाधन नहीं है ।

(घ) इस मामले में जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी नहीं थी ।

लारसन और टौबरे कम्पनी के मामले

2300. **श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक संसद सदस्य से लारसन और टौबरे कम्पनी के उस मामले में एक पत्र मिला है, जिसमें प्रबन्ध और कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था,

(ख) क्या उन कम्पनियों की बैठक में, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आदि के लिए, जिसमें इन निकायों ने अपना धन लगाया हुआ है उनके मत देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने का कोई मामला उठाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इन सुझावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रबन्ध अभिकरण के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, कुछ निदेशकों को प्रबन्ध का प्रभारी नियुक्त करने के लिए. मैसर्स लारसन एण्ड टोबाको के कुछ प्रस्तावों की बाबत, एक पत्र प्राप्त हुआ था ;

(ख) उस पत्र में उल्लिखित सामान्य वादपद यह थे कि :

(1) उन वित्तीय सिद्धांतों को, जिन्होंने, कम्पनियों को हिस्सा पूंजी में नियोजन किया है, अपने विवेक से, अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जायेगी ।

(2) सरकार इस प्रकार के वित्तीय संस्थानों के लिए, कम्पनियों के प्रस्तावों के लिए सहमति अथवा अनुमोदन देने के विषय में, तथा साधारण बैठकों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करे।

(ग) जीवन बीमा निगम तथा वित्तीय संस्थानों को, परिनियमों द्वारा, कम्पनियों के हिस्सों में, नियोजन तथा अन्य प्रतिभूतियों के लिये तथा इस प्रकार की कम्पनियों में अपनी हिस्सेदारिता के हितों के अग्रसर करने के लिये, अपने हिस्सेधारी के अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है।

Shares of British Concern

2301 Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have refused to purchase the shares of a British concern;

(b) whether it is also a fact that the State Government have agreed to purchase those shares; and

(c) the reasons for the refusal by the Central Government ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : There were as many as 363 British companies working in India as on 31st March, 1968. To Which particular company the Hon'ble Member is referring is not clear from the question. It is, therefore, not possible to furnish the information called for.

मनीपुर के चोंगथू आदिम जाति को अनुसूचित आदिम जाति सूची में सम्मिलित करना

2302. **श्री एम. मेघचन्द्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की चोंगथू आदिम जाति की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में उनका नाम भी सम्मिलित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने यह सिफारिश की है कि उक्त आदिम जाति का नाम उपरोक्त सूची में सम्मिलित किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उस सरकार ने क्या सिफारिश की है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) हां।

(ख), (ग) तथा (घ) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 के सम्बद्ध संयुक्त समिति के सामने है।

गैर-सरकारी उद्योगों के मामलों की जांच

2303. **श्री यशपालसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिरला, टाटा, डालमिया-जैन जैसे बड़े बड़े ओद्योगिक गृहों के गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों के कार्य संचालन के बारे में जांच कराने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किये गये अथवा नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित आयोग के सदस्य कौन होंगे और उसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . बिड़ला समूह से सम्बन्धित कम्पनियों की बाबत, माननीय सदस्य का ध्यान, 29 जुलाई, 1969 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1361 के उत्तर की ओर, आकर्षित किया जाता है ।

दूसरों की बाबत, अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में डिग्री कालेज

2304. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में डिग्री कालेज खोलने की मांग है ; और

(ख) क्या यह सच है कि यदि ऐसा कालेज खोला जाये तो उसके लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के प्रबन्धक ने वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में प्रोत्साहन योजना

2305. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरजन लोकोमोटिव वर्कशाप में कोई प्रोत्साहन योजना लागू है ;

(ख) यदि हां, इसके अन्तर्गत कौन सी श्रेणियां आती हैं ;

(ग) इस योजना का लाभ कितने प्रतिशत कर्मचारी उठा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्कशाप के सभी श्रमिकों तथा कर्मचारियों पर इस योजना को लागू करने की वांछनीयता का विचार करने का है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) . (क) जी हां ।

(ख) सीधे उत्पादन कारखाने में काम करने वाले अकुशल कर्मचारियों से लेकर चार्जमैन 'ए' तक सभी ट्रेड और ग्रेड के कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं।

(ग) लगभग 80 प्रतिशत कारखाना कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं (इनमें भंडार शाखा, टाउनशिप कर्मचारियों सहित इंजीनियरिंग शाखा, टाउनशिप बिजली सप्लाई एवं अनुरक्षण तथा प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी शामिल नहीं है।)।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मिदनापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से उप निर्वाचन

2306. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के लिये मिदनापुर निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन में डाले गये मतपत्रों को गिनते समय यह देखा गया कि उनके पिछली ओर कुछ गालियां लिखी हुई थीं।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग) : जानकारी संगृहित की जा रही है।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

2307. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी बिजली उद्योगों की विकास परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि यथार्थवादी आधार पर अग्रेतर योजना बनाई जावे ताकि बाद में मशीनरी और उपकरणों का आयात रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : भारी वैद्युत उद्योग की विकास परिषद की 25 सितंबर, 1967 को हैदराबाद में हुई बैठक में यह निश्चय किया गया कि यदि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और विभिन्न राज्यों के राज्य बिजली बोर्ड जनित्रण, ट्रांसमिशन, वितरण तथा अन्य सम्बद्ध उपकरण की आवश्यकता को देखते हुए यथार्थवादी आधार पर कोई अग्रिम योजना बनाए तो यह अधिक उपयोगी होगा। यह मामला केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

को भेजा गया था । आयोग ने यह बताया है कि विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को वार्षिक योजना के आधार पर लिया गया है और वे साधनों की सीमाएं तथा उनके अध्ययन के अधीन सीमित हैं और जैसा कि विकास परिषद द्वारा उपेक्षित है । सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति, साधनों तथा सुविधाओं आदि के आधार पर यथा समय उन पर योजना आयोग द्वारा कार्यवाही की जायेगी । योजना के प्रारूप पर बिना विचार किये हुए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और राज्य बोर्डों द्वारा कोई पृथक निर्धारण करना यथार्थ नहीं होगा । इस दृष्टिकोण से परिषद ने जब तक चौथी योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस मामले को आगे विचार विमर्श करने के लिए रोक दिया है । इस अवधि के वैद्युत उपकरण की मांग के अस्थाई निर्धारण को चौथी योजना के प्रलेख में शामिल कर लिया गया है ।

रेलवे के फालतू कर्मचारी

2308. **श्री भगवानदास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री प० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या रेलवे मन्त्री रेलवे के फालतू कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) . (क) जी हां । कृपया अनुबन्ध 'क देखें । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1537/69]

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में सीधी भर्ती वाले स्नातकों के लिए आरक्षित पद

2309. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री राममूर्ति :
श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मन्त्री पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात, लेखा कार्यालय दिल्ली में सीधी भरती वाले स्नातकों के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में 18 मार्च 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30-11-57 से 20 प्रतिशत स्नातक अभ्यंश में की गई नियुक्तियों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) अगर कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इस पर निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम रेलवे में शफाई वालों को सर्दियों की वर्दी

2310. श्री अ० कु० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माईल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री पी० पी० एस्थॉस :

क्या रेलवे मन्त्री पश्चिम रेलवे में सफाई वालों की सर्दियों की वर्दी के सम्बन्ध में 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की वर्दी सप्लाई करने के प्रश्न पर इस बीच पुनः विचार किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक इसे अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना हैं ?

रलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त एक वर्दी समिति रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों को वर्दी देने के प्रश्न की समीक्षा कर रही है । वर्दी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही इस प्रश्न हर अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

रेलवे लेखा विभाग के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

2311. श्री प० गोपालन :
श्री सत्यनारायणसिंह :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थॉस :

क्या रलवे मन्त्री लेखा विभाग के कर्मचारियों के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या एम आर/2117-ए/69 दिनांक 18 अप्रैल, 1969 के द्वारा इस मामले में पुनः जांच करने का आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) अगर इसमें कोई विलम्ब है तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इस विषय में निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले में आगे विचार किया गया है । इसमें वेतन बढ़ाकर लाभ देना स्वीकार्य नहीं है. क्योंकि वरिष्ठ व्यक्ति को निचले पदक्रम में कनिष्ठ से अधिक वेतन लेना

चाहिये, की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती । इसकी भी सूचना माननीय सदस्य को 16 जुलाई, 1969 के पत्र द्वारा दी गई है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की तकनीकी समस्याएं

2312. **श्री गेणीशंकर शर्मा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) अब तक इसमें कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को होने वाले घाटे का आधा घाटा इसी कारखाने के कारण होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे ठोस आर्थिक आधार पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (घ) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्यकरण के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए 1966 में श्री जी० पाण्डे के अधीन एक एक-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त का गई थी । इस समिति की सिफारिशों के आधारपर कुछ प्रत्युपाय पहले ही किये जाचुके हैं । ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के एक तकनीकी दल ने भी गत वर्ष के आरम्भ में कारखाने का दौरा किया था और इसके कार्यकरण का पुनरीक्षण किया तथा कई सिफारिशें की थी । इस दल की सिफारिशों के अनुसार कारखाने के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । इस सबके बावजूद उत्पादन की दृष्टि से वास्तविक सुधार बहुत हद तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने में सामान्य औद्योगिक सम्बन्ध के पुनः स्थापन पर निर्भर करती है ।

(ग) वर्ष 1968-69 के अन्त तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का कुल घाटा 69 करोड़ रुपये था । उस तारीख तक हिन्दुस्तान स्टील लि० का कुल घाटा 164 करोड़ रुपये था । केवल 1967-68 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 18 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि उस वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुल 40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था । वर्ष 1968-69 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने को लगभग 19 करोड़ रुपये का घाटा होगा जबकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुल मिलाकर 42 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा ।

ठेके पर निर्मित होने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2313. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को बेलाडिल्ला विस्तार (लोह-ग्रयस्क निक्षेप संख्या 5) के लिए ठेके पर निर्माण कार्य मिलने की सम्भावना नहीं है, जिसकी आशा पहले थी, क्योंकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इसे स्वयं ही करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के किरीबुरू लोह अयस्क परियोजना और भवनाथपुर चूना-पत्थर परियोजना के विस्तार से सम्बन्धित काम के आदेश भी नहीं मिलते; और

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में हाल ही में ठेके पर निर्मित होने वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो परियोजना प्रभाग खोला गया था क्या उसे बन्द करना पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भारी इंजीनियरी निगम सम्पूर्ण कार्य नहीं करेगा परन्तु प्रायोजना के लिए कुछ ऐसे उपस्कर की पूर्ति करेगा जिनका निर्माण यह कर सकता है। यह निर्णय प्रायोजना की पूर्ति की समय सूची तथा भारी इंजीनियरी निगम के पास उपलब्ध कर्मचारियों और तकनीकी कुशलता के आधार पर किया गया था।

(ख) यहां भी भारी इंजीनियरी निगम केवल ऐसे साज सामान की पूर्ति करेगा जिसका निर्माण यह कर सकता है।

(ग) इस प्रकार के किसी प्रायोजना प्रभाग का गठन नहीं किया गया है, अतः उसे बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों और युद्ध सेवा वालों की पदोन्नति

2314. **श्री सूरजभान** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के दिल्ली डिविजन में कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों एवं युद्ध सेवा वालों को, 1 जून 1942 से पहले भरती हुए उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की अवहेलना करके, स्टेशन मास्टरों के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ख) उत्तर रेलवे दिल्ली के महाप्रबन्धक द्वारा अप्रैल, 1968 में जो वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, क्या वह रेलवे बोर्ड के पत्र सख्या पी टी एन/48/192 दिनांक 13 अगस्त 1948 तथा महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे के पत्र संख्या 757 ई 24-4 (ई० आई० बी०) दिनांक 14 जून, 1965 के अनुरूप है. और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में 1966 में जारी की गई लेखा परीक्षा टिप्पणी अभी तक नहीं निपटाई गई ; और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक ने जो वरिष्ठता सूची 1968 में जारी की थी, क्या कर्मचारियों ने उसको चुनौती दी है ; क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई उत्तर दिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सी० पी० ओ० दिल्ली के साथ एस० पी० ओ०, डी० पी० ओ० तथा ए० पी० ओ० की दिल्ली में अक्टूबर, 1968 में जो बैठक हुई थी क्या उसमें यह निर्णय किया गया था कि सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता और उनके स्थायीकरण के बारे में, 31 दिसम्बर 1968 तक निर्णय कर लिया जाये ; और क्या उसे अन्तिम रूप दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : कर्मचारियों के लम्बे झगड़ों के कारण उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली डिविजन के सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता के प्रश्न को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। रेलवे प्रशासन द्वारा 1968 में प्रकाशित वरिष्ठता सूची पर भी कुछ सम्बन्धित कर्मचारी वर्गों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। अतः रेलवे बोर्ड ने मामले पर पुनर्विचार किया है और वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने और स्थायीकरण के आवश्यक आदेश जारी करने के लिए मई, 1969 में अग्रेतर अनुदेश इस बीच जारी कर दिए गए हैं। मामले को शीघ्र निपटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ङ) जी हां। वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने तक।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिविजन में स्टेशन मास्टरों द्वारा दंड किराया (पीनल रैंट) जमा किया जाना

2315. **श्री सूरजभान** : क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के दिल्ली डिविजन में स्टेशन मास्टरों को यह आदेश दिया गया है कि स्थायी तबादले की अवस्था में उन्हें सामान्य क्वार्टर पूंज से बाहर मिले हुए क्वार्टरों को अपने पास रखने के लिए दण्ड किरया जमा कराना होगा, जबकि उनके क्वार्टर उनके पूर्ववर्ती स्टेशन मास्टरों द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये बिना 3 महिने या उससे अधिक समय में खाली न किये जायें ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) तबादला होने पर स्टेशन मास्टरों को लिखित अनुरोध करने पर तब तक क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं, जब तक उनके पूर्ववर्ती स्टेशन मास्टर अपने क्वार्टर खाली न कर दें ; और

(ग) क्या कुछ स्टेशन मास्टरों की कार्यालय की लापरवाही के कारण दो महीने तक ट्रांस्फर बैंगन पास न मिलने के कारण दंड-किराया जमा कराना पड़ा है, जबकि उक्त पास के लिए उन्होंने ठीक समय पर प्रार्थना-पत्र दे दिया था। और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . स्टेशन मास्टरों को पूल से बाहर के निवास-स्थान की व्यवस्था सुरक्षा और समग्र रूप से स्टेशन के कुशल संचालन के हित में की जाती है। स्थायी स्थानान्तरणों के मामले में, ऐसे क्वार्टर कार्यारम्भ काल तक सामान्य किराया देकर रखे जा सकते हैं। परन्तु ऐसे मामलों में जहां उनकी आवश्यकता

उनके उत्तराधिकारियों को न हो तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से उनको लम्बी अवधि तक रखा जा सकता है। यदि स्टेशन मास्टरों को तैनाती के उनके पुराने स्टेशनों पर क्वार्टर रखने की अनुमति दे दी जाय तो अन्य स्टेशनों पर क्वार्टर रखने की एक श्रृंखला बन जायेगी, जिससे स्टेशन मास्टरों को पूल से बाहर क्वार्टर देने का उद्देश्य ही विफल हो जायगा।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड से माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित ढंग के किसी मामले का पता नहीं लग सका।

रैलवे के ड्राइंग कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ाया जाना

2316. **श्री सूरजभान :** क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956 में रेलवे के ड्राइंग कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी का ग्रेड नहीं बढाया गया था ;

(ख) क्या तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के एक वर्ग का ग्रेड बढ़ाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जो कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुके हैं, उन्हें राहत देने के प्रश्न की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

रेलवे कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

2317. **श्री सूरजभान :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों की किन-किन श्रेणियों के वेतनमानों में रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधन किया गया है, जिनके बारे में 1956 में वेतने आयोग ने सिफारिश नहीं की थी ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन [पंजीकृत] ने रेलवे ड्राइंग स्टाफ के वेतनमानों में संशोधन किये जाने के लिए ऐसी मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांग को अब तक स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1956 में कोई वेतन आयोग नहीं था। 23-2-1956 को तत्कालीन मन्त्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी सेवा के निचले सोपानकों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों के बढ़ते हुए कार्यभार और उनकी भारी जिम्मेदारियों को देखते हुए विभिन्न पदक्रमों में पदों का पुनः वितरण करने का आदेश दिया गया ताकि कार्यालय क्लर्कों, गाड़ी क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों के लिए निम्नतम पदक्रमों के पदों की संख्या में उल्लेखनीय कमी और उच्चतर

पदक्रमों के पदों में तदनुरूप वृद्धि की जा सके। सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों जैसी कुछ अन्य कोटियों के वेतनमानों में भी उपयुक्त मामूली समंजन किये गये।

(ख) और (ग) : ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन से इस समय कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन कुछ समय पहले ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन ने वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। चूंकि इन कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये थे और जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है। 1956 से किये गये पुनर्वितरण और पुनसंवर्धन के बाद निर्धारित किये गये थे और साथ ही ये वेतनमान, उनके पदों से सम्बद्ध कार्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप हैं, इसलिए उनमें संशोधन करना संभव नहीं समझा गया।

रेलवे के ड्राइंग कर्मचारी

2318. **श्री सूरजभान** : क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकेनिकल संकेत तथा दूर संचार और इलैक्ट्रीकल विभागों में आरम्भ के दो वेतनमानों में ड्राइंग कर्मचारियों की वरिष्ठता मिल-जुली है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता मिली जुली नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सिविल इंजीनियरिंग विभाग की वरिष्ठता को भी साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जायेगी।

उड़ीसा राज्य में कसिंगा में उपरि पुल

2319. **श्री अ० दीपा** : क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में कसिंगा में एक और पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव का प्रारम्भिक कार्य, जो पहले ही शुरु हो चुका था और जिसके अन्तर्गत बहुत से मकान तोड़े जा चुके थे रोक दिया गया है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस मामले में कब तक कार्यवाही करेगी ?

रलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। कसिंगा में पैदल चलने वालों के लिए एक ऊपर का पुल बनाने का विचार है।

(ख) कार्य आरम्भ करने से पूर्व दिसम्बर, 1968 में लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो जाने पर लाइसेंसशुदा भूमि पर बने कुछ मकानों को, रास्ते के जो बीच में आते थे, तोड़ा गया था ।

(ग) इस पुल का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आरम्भ होगा ।

उड़ीसा में तितलागढ़ रलवे पुल

2320. **श्री अ० दीपा** : क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उड़ीसा राज्य में तितलागढ़ रेलवे पुल बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

रलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार वर्तमान समपारों के स्थान पर सड़क ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किये जाने चाहिये । उन्हें उस काम की सगत अग्रता और वह वर्ष भी बताना चाहिये जिसमें वह इस काम की लागत में सड़क प्राधिकरण के हिस्से की रकम की व्यवस्था कर सकेंगे ।

तितलागढ़ में वर्तमान समपार के स्थान पर सड़क ऊपरी/निचला पुल बनाने का कोई प्रस्ताव अभी तक उड़ीसा सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया गया ।

ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारण

2321. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर, मैस्सी-फर्गुसन ट्रैक्टर, एस्कोर्ट्स या किसी अन्य मैंक के विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्य किस आधार पर निर्धारित किये जाते है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने इस बात की शिकायत की है कि अन्य ट्रैक्टरों, मुख्य रूप से मैस्सी-फर्गुसन के 35 अश्वशक्ति और एस्कोर्ट्स के 47 डबल्यू ट्रैक्टर की तुलना में उनके ट्रैक्टरों का मूल्य निर्धारित करने के मामले में भेदभाव किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो भेदभाव सम्बन्धी शिकायत को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) ट्रैक्टर बनाने वाले प्रत्येक कारखानों में हुई लागत की विस्तृत रूप से जांच कर लेने के पश्चात प्रशुल्क आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न किस्मों के ट्रैक्टरों के मूल्य का निर्धारण किया गया है ।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं जिसमें उसके द्वारा बनाये गये ट्रैक्टरों के मुल्यों को निश्चित करने के मामले में अन्याय बरते जाने का आरोप लगाया गया है । उनसे यह बता दिया गया है कि इस मामले में किसी प्रकार का अन्याय या भेदभाव नहीं बरता गया है तथा विभिन्न मौकों के ट्रैक्टरों के मूल्यों का किये गये वास्तविक विनियोजन, आयातित पुर्जों की लागत, देश में तैयार किए पुर्जों की लागत आदि, जो एक कारखाने से दूसरे कारखाने में बिल्कुल भिन्न है, पर विचार कर लेने के पश्चात ही किया गया है ।

सरकार ने अभी तक एस्कार्ट-47 ट्रैक्टर के मूल्य का निर्धारण नहीं किया है । इस ट्रैक्टर की लागत जांच अभी हाल ही में वित्त मन्त्रालय के लेखा शाखा (ब्रांच) द्वारा पूरी हुई है तथा उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

दरभंगा जामनगर रेल लाइन पर एक और रेलगाड़ी का चलाना

2322. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दरभंगा (या समस्तीपुर) और जयनगर के बीच एक और रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब से चलने लगेगी : और

(ग) क्या यह सच है कि जयनगर फलेजाघाट बोगी जयनगर शाम को (चार बजे) गाड़ी में पुनः लगाई जाने लगी है, और यदि हां तो कब से और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं । लेकिन 1-10-1959 से सकरी जंक्शन के रास्ते निर्मली और जयनगर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का विचार है ।

(ग) जी हां । 1-6-69 से

नेशनल इंस्ट्रूमेंटस फेक्टरी कलकत्ता का बन्द होना

2323. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस फैक्टरी, कलकत्ता, को पिछले कुछ समय से कच्चा देशों की कमी के आधार पर बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है ;

(ग) इस फैक्टरी का उत्पादन प्रतिरक्षा मदों पर किस सीमा तक निर्भर हैं ;

(घ) इस कारखाने में सामान्य व्यवस्था लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या कर्मचारियों की छंटनी को या उनकी जबरी छुट्टी करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ चीजें जैसे वाइनो व्यूलष, डाईरेक्टर नम्बर 7, प्रिजमेटिक तथा थिआडो लाइट कांच सेना की मांग पूरा करने के लिए सम्मिलित किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों द्वारा कृत्रिम, नागालैंड में सात व्यक्तियों की हत्या के समाचार जिनमें सात सी० आर० पी० के व्यक्ति भी थे

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमन, मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"नागा विद्रोहियों द्वारा कृत्रिम, नागालैंड में सात व्यक्तियों की, जिनमें सी० आर० पी० के 5 कर्मचारी भी शामिल हैं, हत्या के समाचार"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : हाल में नागालैंड में तीन घटनाएं हुई हैं। पहली 1/2 अगस्त की रात को, दूसरी 2 अगस्त प्रातःकाल को और तीसरी 4 अगस्त प्रातःकाल में।

पहली घटना में विद्रोही नागाओं ने कोहिमा में आसाम राइफल्स की दो चौकियों पर गोलीबारी आरंभ कर दी थी। आसाम राइफल्स के दो व्यक्तियों को चोटें आयीं। सुरक्षा सेना ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया परन्तु वे रात के अन्धेरे में भाग निकले।

दूसरी घटना में विद्रोही नागाओं ने सी० आर० पी० की एक मोटरगाड़ी पर घात लगाकर आक्रमण किया और उसमें सात व्यक्तियों को मार दिया।

तीसरी घटना में विद्रोही नागाओं ने कोहिमा से 27 मील की दूरी पर तीन मोटर गाड़ियों पर घात लगाकर आक्रमण किया। पहली गाड़ी तो आगे चली परन्तु पीछे की दो गाड़ियों पर हमला किया गया। इसके फलस्वरूप सुरक्षा सेना के दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और चार घायल हो गये। विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अधिक संख्या में सैनिक तैनात कर दिये गये हैं।

मार्च और जुलाई, 1969 के बीच 12 विद्रोही मारे गये थे और 449 ने सुरक्षा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उनमें चीन से लौटे व्यक्तियों का गिरोह भी था। अब यह

स्पष्ट है कि उग्रवादियों की कमर टूट चुकी है और शेष जो बचे हैं वे निराशा में ऐसी छुटपुट घटनाएं कर रहे हैं।

नागालैंड में गत चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि नागालैंड के लोगों में शान्ति की उत्कट भावना है। हम अराजकता का सख्ती से सामना करने की नीति पर ही चलना चाहते हैं। साथ ही नागालैण्ड की सरकार तथा भारत सरकार चाहती है कि छिपे नागाओं को हिन्सा का मार्ग छोड़ने के पूरे अवसर मिले और वे शान्ति से रहने वाले नागरिक बनकर रहें।

श्री हेम बरुआ : हमें अनेक बार बताया गया है कि नागालैंड में सम्पूर्ण शान्ति है। परन्तु इस प्रकार की घटनाएं कुछ और ही संकेत देती है। ऐसा पता चला है कि मनीपुर के 18 युवक पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर हाल ही में लौटे हैं। भारत के समूचे पूर्वांचल में अशांति है। मंत्री महोदय शान्ति की कामना कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन नागाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार नागाओं से बातचीत करने जा रही है अथवा सैनिक अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्यवाही से विद्रोही तत्वों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री स्वर्णसिंह : बातचीत के बारे में नागालैण्ड की सरकार की सलाह के अनुसार ही सरकार अग्रेतर निर्णय करेगी। हमें नागालैण्ड सरकार को बीच में रखना चाहते हैं। ऐसा बहुत लोग चाहते हैं। यह नीति उचित भी है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न भिन्न है। नागालैण्ड सरकार ने कोहिमा में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एक राजनैतिक समझौते के लिये प्रयत्न करेगी ?

श्री स्वर्णसिंह : हम तो सदैव बातचीत द्वारा समझौते के लिये तैयार रहे हैं परन्तु बातचीत को सफल बनाने के लिये हमें नागालैण्ड की कानूनी सरकार को साथ लेकर चलना है।

हम विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करते रहे हैं और उसी के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नागा पकड़े गये हैं। (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : सात व्यक्तियों को ट्रक से निकाल कर मार दिया गया है। वे सभी नागा नहीं थे।

श्री स्वर्णसिंह : यह हमारी कार्यवाही का परिणाम है कि वहां, इन घटनाओं को छोड़, शान्ति ही है। यह घटनाएं बहुत खराब हैं। फिर भी हमें अपनी नीति के अनुसार ही चलना होगा।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : सामान्यतः नागालैण्ड के बारे में प्रश्नों के उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री देते हैं परन्तु आज प्रतिरक्षा मंत्री उत्तर दे रहे हैं। यह एक विशेष बात है।

हमें स्वीकार करना है कि नागा समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। चीन से लौटे नागा वहां बसते जा रहे हैं। वे गड़बड़ी कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में गड़बड़ी फैलाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। क्या सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में स्थिति से निपटने के लिये कोई योजना बनायी है ?

श्री स्वर्णसिंह : देश के सभी भागों में सुरक्षा की डयूटी सरकार की है। इस बारे में हमने कड़ी कार्यवाही भी की है। इसी कारण कुछ समय से शान्ति बनी हुई थी। यह ठीक है कि यह घटनाएं बहुत गम्भीर हैं। इनमें बड़ी संख्या में व्यक्ति मारे गये हैं। फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिय। हमें स्थिति पर शान्ति और ठन्डे दिमाग से विचार करना है।

श्री रणधीरसिंह (रोहतक) : यह निश्चित बात है कि अब विद्रोही नागाओं के दिन और उनकी निन्दनीय कार्यवाहियां समाप्त प्राय: है। हजारों नागाओं को हिरासत में लिया जा चुका है तथा अधिकांश ने आत्म समर्पण कर दिया है। इसका श्रेय माननीय मत्री जी को है जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अधिकांश नागा शान्ति चाहते हैं, और कुछेक नागा ऐसे हैं जो अशान्ति पैदा कर रहे हैं। इसके लिए सदन को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इसलिए मत्री महोदय यह बताएं कि उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा तथा कितने नागा चीन तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षण पा रहे हैं और इनमें से कितनों को गिरफ्तार कर लिया है। नागालैण्ड में क्या इन गड़गड़ करने वाले व्यक्तियों की संख्या हज़ारों में है ? उन पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ? यह ठीक है कि ये बातें सैनिक दृष्टि से गोपनीय हैं परन्तु क्या मत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि उन विद्रोही नागाओं के इन घृणित कार्यों का सामना करने में सरकार सक्षम है क्योंकि प्रत्येक सप्ताहान्त यही सुना जाता है कि नागाओं ने हमारे जवानों तथा सुरक्षा दल के सदस्यों की हत्या करदी। अत: इन घटनाओं को कम से कम करने के लिए क्यों कोई विशेष व्यवस्था की जायेगी, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि केवल बात करने से इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता, अब नागा भी अपने आपको भारतीय मानने लगे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जिससे कि इस समस्या का हल भारतीय संविधान के अन्तर्गत ही निकाला जाए ; और नागाओं में फैली इस अशान्ति को दूर किया जाए।

दूसरे वहां की कुछ स्थानीय मागें हैं और उस क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। अत: इन पर ध्यान दिया जाए।

उस क्षेत्र में कुछ समाज विरोधी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। वे तत्व लोगों को राष्ट्र विरोधी बातें करने को बढ़ाया देते हैं। पाकिस्तान चीन अथवा हमारे अपने देश में से ही ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के प्रति जो उस क्षेत्र मे शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्या मत्री महोदय गुप्तचर विभाग को सतर्क करेंगे ? तथा ऐसे व्यक्तियों के साथ सख्ती बरती जाएगी।

इस सामरिक महत्त्व के क्षेत्र में विकास कार्यों के करने की विशेष आवश्यकता है। मैं यह जानता हूं कि मत्री महोदय प्रतिरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां की उन्नति उसी रूप

में करने को उत्तरदायी हैं। परन्तु वहां संचार के साधन तथा सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यदि फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इन संचार तथा सड़कों की व्यवस्था के द्वारा सुगमता से इस पर काबू पाया जा सके।

श्री स्वर्णसिंह : हमने इन विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही की है। चीन से लौटे हुए, नागाओं को मिलाकर कुल 138 विद्रोही नागा मारे गए हैं, 50 घायल हुए हैं तथा 1886 विद्रोही नागाओं ने आत्म समर्पण किया है। बन्दी किए गए नागाओं की संख्या 1972 है। अभी हाल ही में जिन 85 विद्रोही नागाओं ने आत्म समर्पण किया है उनमें से 7 स्वयंभू विद्रोही नागा अधिकारी हैं जिनके पास तीन लाईट मशीन गने; एक राकेट लांचर, एक मोर्टार, 2 स्टेन गनें, तथा 42 बन्दूकें शामिल हैं। अब तक कुल मिलाकर इन नागाओं से 1842 शस्त्र छीने हैं अथवा सरकार के कब्जे में आए हैं जिनमें तीन मंझली तोपें हैं तीन इंच तथा दो इंच के मोर्टार, राकेट लांचर, हलकी तोपें, बन्दूकें, स्टेन गनें, पिस्तौल आदि आदि हथियार हैं। चीन से लौटे हुए नागाओं से बहुत अधिक मात्रा में गोला बारूद के अतिरिक्त कुल 283 शस्त्र बरामद किए गए हैं।

नागाओं का कोई जत्था प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से पाकिस्तान में नहीं हैं। गत वर्ष के अप्रैल मास के पश्चात् नागाओं का कोई दल चीन नहीं गया है। यही वर्तमान स्थिति है।

सामान्य राजनीतिक स्थिति के बारे में समय समय पर इस सम्बन्ध में भी चर्चा की गई है और स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकांश नागा शान्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। चीन तथा पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे कुछ नागा हैं जो यह आन्दोलन चला रहे हैं। अतः हम उनका सामना राजनीति रूप से तथा सुरक्षा दल के प्रयोग से करेंगे।

मैं माननीय सदस्य से इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां उन्नति कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में नागालेण्ड सरकार ने भारत सरकार की सहायता से उस क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएं प्रारम्भ करदी हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : आज के समाचार पत्र से पता चलता है कि 1966 से अब तक वहां दो बार करफ्यू लगाया गया है। इसके लिए तीन कारण हैं। सर्व प्रथम तो यह है कि जनरल मानकशाह जो वहां कमाण्डर थे अब दिल्ली आगए हैं। दूसरे विद्रोही नागाओं तथा शान्त नागाओं में एक समझौता हो गया है। तीसरा कारण है कि उन्होंने वहां सांविधानिक रूप में सरकार बना ली है। मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने विद्रोही नागाओं से पिछले दिनों सीधी बातचीत करने के प्रयत्न किए हैं। यदि केन्द्रीय सरकार विद्रोही नागाओं से सीधी बात करेगी तो इसका तात्पर्य होगा कि केन्द्र झगड़ों को समाप्त करने के लिए वहां की स्थानीय सरकार की सहायता नहीं करना चाहता। अतः स्थानीय सरकार के प्राधिकार को मजबूत करने के हेतु क्या कार्य किया गया है।

श्री स्वर्णसिंह : जनरल मानकशा के स्थल सेना के अध्यक्ष बनकर वहां से दिल्ली चले आने से, इन घटनाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि स्थल सेना का अध्यक्ष नागालैण्ड की सेना को मिलाकर सारी सेना का अध्यक्ष है और जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है वह सब सेनाध्यक्ष की देख रेख में हो रहा है क्योंकि उन्हें वहां की तमाम स्थिति का ज्ञान है । वे उस क्षेत्र से सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं तथा वहां की सेना के अध्यक्ष भी इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं ।

जहां तक विद्रोही नागाओं के विभिन्न दलों के बीच मेल मिलाप की बात का सम्बन्ध है, कभी कभी तो उनके गुटों में लड़ाई होती रही है तथा कभी उनमें मेल मिलाप आदि भी होता रहा है । अत. इन सब घटनाओं का प्रभाव अवश्य पडा है ।

इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि राज्य सरकार को सुदृढ़ करना चाहिए । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता की है, तथा राज्य सरकार के प्राधिकार का मान किया जाए, इस बात को भी हम देखते हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : छुपे हुए नागाओं तथा विद्रोही नागाओं के बल के बारे में सरकार की क्या निर्धारणा है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इसका मूल्याकन करना कोई साधारण बात नहीं है परन्तु उनकी संख्या 4000 से 6000 तक है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : From the news published in the news-papers during this year you will find that Railway trains have been bomborded and derailed seven times 19 buses have been looted. There have been encounters between our security forces and the hostile Nagas for 160 times in which 213 persons including 45 Nagas were killed. There were peace talks for the fourth time in this year; and cease fire validity has been extended thrice in the year. 5,900 Nagas have returned here from China and Pakistan after having been trained in the guerilla war-fare and even then the hon. Defence Minister says that they have surrendered. It means that these Nagas have not surrendered so far. The hon. Defence Minister says that this matter does not concerns the Central Government at Delhi and that we should consult Nagaland in this matter as this concerns Nagaland. I want to ask the hon. Minister what for is he in Delhi. Government should impose President rule in Nagaland to control the law and order situation there; and than the underground hostile Nagas should be called to Delhi for having peace talks afresh. Government should also take stern action against the hostile Nagas after cancelling the previous agreements. I also want to know from the hon. Minister, whether Government will be in a position to our power persons like Father Scot who mislead people with antinational propoganda ?

श्री स्वर्णसिंह : अपने सारे वक्तव्य के अन्त में माननीय सदस्य ने जो दो प्रश्न उठाए है । प्रथम प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार समझौते रद्द नहीं करेगी । दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि क्योकि सरकार समझौता रद्द नहीं करेगी इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता । इसके साथ-साथ जहां कहीं शान्ति तथा व्यवस्था का प्रश्न होगा वहां सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके उन कानून विरोधी तत्वों का दमन करेगी ।

संसद में स्वतंत्र पार्टी के कार्यकारी सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

Re: QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST EXECUTIVE SECRETARY SWATANTRA PARTY IN PARLIAMENT

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी, श्री मोलहू प्रसाद तथा श्री कलिता द्वारा दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में सभा को सूचित करता हूं जो ससद में स्वतत्र दल के कार्यकारी सचिव श्री ए० पी० जैन के विरुद्ध थी क्योकि उन्होंने बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक पर 25 जुलाई, 1969 को दिए गएं श्री मी० रू० मसानी के भाषण के सारांश के तौर पर कुछ सामग्री समाचार पत्रों को दी थी, जिसमें मुझ पर तथा सभा पर आक्षेप किए गए थे। इस सम्बन्ध में जैसी की रीति है स्वतन्त्र दल को हमने पत्र लिखकर तथ्यों की जानकारी की। तथा हमारे पत्र का उत्तर आ गया है। जिस पर स्वतन्त्र दल के कार्यकारी सचिव श्री ए० पी० जैन के हस्ताक्षर हैं। श्री जैन ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1969 के पत्र में वे परिस्थितियां बताई हैं जिनमें उनके द्वारा यह चूक हुई थी और उन्होंने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी है। मैं इस मामले को समाप्त समझकर बन्द करता हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (मोटर गाड़ी) नियम, 1969; जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के शेयरों के मूल्य के बारे में मध्यस्थ के द्वारा दिये गए पंचाट तथा औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अधीन लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (मोटर गाडी) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1465 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०- 1509/69]**

(2) बिड़ला उद्योग-समूह के विरुद्ध कुछ आरोपों के बारे में औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०- 1510/69]**

(3) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के भारत सरकार द्वारा खरीदे गये शेयरों के मूल्य के बारे में मध्यस्थ द्वारा 21 अप्रेल, 1969 को दिये गये एवार्ड की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० - 1511/69]**

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली): औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन 21 जुलाई को सभा पटल पर रखा गया था। परन्तु एक पखवाड़ा व्यतीत होने के पश्चात भी हमें इसकी प्रति नहीं मिली है। मेरे सहयोगियों ने इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित व्यक्तव्य भी दिये हैं। यह प्रतिवेदन पांच खण्ड पुस्तकों में है और उसकी केवल एक प्रति ही पुस्तकालय में रखी गई है। यह प्रतिवेदन एकाध घण्टे में पढ़ा नहीं जा सकता। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेट्रियट नामक समाचार पत्र में इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित कुछ बातें छप रही है। मुझे आश्चर्य है कि ये सब बातें वहां तक कैसे पहुंची (व्यवधान) जब तक यह सभा पटल पर नहीं रखा जाता तब तक यह गोपनीय होता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब तक किसी प्रतिवेदन की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां संसद सदस्यों में वितरण करने के लिए उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक उसे सभापटल पर नहीं रखना चाहिए। इसके साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि आज संध्या तक प्रत्येक माननीय सदस्य को इन प्रतिवेदनों की प्रतियां मिल जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इसके लिये अनुरोध करूंगा।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक प्रथम प्रतिवेदन का मामला है वह तो कई खण्डों में है और हमने इसे छापेखाने में पहले से ही भेज रखा है और छप जाने पर हम तुरन्त इस की प्रतियों को माननीय सदस्यों में वितरित कर देंगे। जहां तक इस प्रतिवेदन के रहस्य के खुलने का सम्बन्ध है। मुझे यह प्रतिवेदन उसी दिन मिला था जिस दिन इसके रहस्य के खुलने की सूचना मिली थी, इसलिए मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या आप इसकी जांच करांएगे (व्यवधान) ?

श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद : जहां तक मैंने प्रतिवेदन को देखा है और जो कुछ इसके विषय में समाचार-पत्रों में छपा उसकी सारी बातें प्रतिवेदन से नहीं मिलती। फिर भी यदि आवश्यकता समझी गई तो मैं जांच करवाऊंगा (व्यवधान)।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have a point of order. There is no necessity of making any inquiry as this report is not a secret one and everyone can see this report.

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन गोपनीय नहीं है और इसकी एक प्रति प्रत्येक माननीय सदस्य को वितरित की जाएगी। परन्तु प्रश्न है कि समय से पूर्व समाचार पत्रों में इसके कुछ उद्धरण कैसे छपे। यह बात मंत्री महोदय पर निर्भर करती है कि वे जांच करायें अथवा नहीं (व्यवधान)।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : कई माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में मांग की है कि पुलिस के द्वारा कलकत्ता विश्वान सभा पर आक्रमण से सम्बद्ध मामले पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अन्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इस मामले पर इस समय कोई बातचीत नहीं होगी।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मेरा मध्यस्थ के द्वारा किए गए पचाट, जो सभा पटल पर रखा गया है, के बारे के व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार आपको यह लिखित रूप में देना चाहिए (**व्यवधान**) । अच्छा, वह प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह पंच निर्णय जो कुछ व्यक्तियों तथा जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के मध्य हुआ, एक जटिल बात है । मध्यस्थ ने इस मामले के निर्णय के लिए बहुत समय लिया तथा उसने अपना यह निर्णय, 21 अप्रैल 1969 को सरकार के सम्मुख रखा । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस पंच फैसले को इतने समय तक क्यों रोके रखा ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जैसे ही न्यायालय ने इस पंच निर्णय को पास करके आज्ञाप्ति का रूप दिया इसे उसी समय सभा के सम्मुख रखा गया है ।

बिहार गन्ना (सम्भरण तथा खरीद का विनियमन), दूसरा अध्यादेश

खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 1969 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद, 213 (2) (क) के अधीन बिहार गन्ना (सम्भरण तथा खरीद का विनियमन), दूसरा अध्यादेश, 1969, जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 20 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । सभापटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०- 1512/69**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 4 अगस्त, 1969 की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि अवक्रय विधेयक, 1968 सम्बन्धी संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के 70वें सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाये ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 4 अगस्त, 1969 की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि स्थपित विधेयक, 1968 सम्बन्धी संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के 70वें सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया जाए ।

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी 4 अगस्त, 1969 की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि न्यायालय अवमान विधेयक, 1968 सम्बन्धी संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के 70वें सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाए।

पटसन उद्योग में हड़ताल की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: STRIKE SITUATION IN JUTE INDUSTRY

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सदन में इस मामले की पहले ही चर्चा हो चुकी है.....

श्री भु० कु० तापड़िया : इसे सभा पटल पर रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री ब० रा० भगत : पटसन उद्योग में हड़ताल की स्थिति के बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं

विवरण

1. पटसन उद्योग में कर्मचारियों की हड़ताल में निहित सभी पहलुओं पर इस सभा में पहले ही विचार किया जा चुका है, अतः मैं उन घटनाओं की व्यापक चर्चा करके माननीय सदस्यों को कष्ट देना नहीं चाहूंगा। अतः मैं गत तीन दिनों की घटनाओं के विषय में ही वक्तव्य दूंगा।

2. जैसा कि मैं पहले सभा में बता चुका हूं कि मैंने पश्चिमी बंगाल की सरकार तथा पटसन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ तथा मेरे साथी श्रम मंत्री ने कर्मचारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा। मैंने मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया था कि इस कठिन स्थिति से निकलने का एक रास्ता यह था कि एक समिति नियुक्त की जाये जो कर्मचारियों की मांगों की जांच करे और जिसकी सिफारिशें सभी सम्बन्धित पक्षों को मान्य हों। इस समिति में उद्योग तथा श्रम के बराबर प्रतिनिधि हो और जिसका प्रमुख एक स्वतन्त्र अध्यक्ष हो।

3. शनिवार को मुख्य मंत्री जी द्वारा एक सन्देश भेजा गया था कि उनकी राय में यदि कर्मचारियों को तत्काल नकद सहायता न दी गई तो प्रस्तावित हड़ताल को किसी प्रकार भी नहीं टाला जा सकेगा। अतः मैं सम्बन्धित पक्षों से मिलकर एक

हल निकालने के लिये अपना अन्तिम प्रयास करने हेतु इतवार को कलकत्ता गया ।

4. मैंने ट्रेड यूनियनों तथा उद्योग दोनों के प्रतिनिधियों के साथ कई बार अलग-अलग विचार-विमर्श किया । पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री अजय मुकर्जी ने अधिकांश वार्ताओं में उपस्थित रहने की कृपा की । मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि कमचारियों को वेतन मे तत्काल अन्तरिम नगद सहायता दी जाये तभी वे प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं । मुझे यह भी मालुम हुआ कि मिल-मालिक भी इससे सहमत हैं कि कर्मचारियों के वेतन में कुछ वृद्धि की माग उचित है तथापि उन्होंने यह कहा कि वे तब तक नकद सहायता न दे पायेंगे जब तक कि उन्हें सरकार द्वारा करों में राहत नहीं दी जाती और विशेषकर पटसन माल पर देय निर्यात शुल्कों के मौजूदा स्तर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाता ।

5. मुझे यह कहना पड़ता है कि उद्योग द्वारा अपनाये गये रुख से मुझे बड़ी निराशा हुई । कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न के साथ निर्यात शुल्कों के पुनः समायोजन के प्रश्न को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है । जैसा कि सदन को विदित ही है, निर्यात शुल्क विदेशी आयातकों द्वारा दिया जाता है और निर्यात शुल्क में किसी भी कमी का लाभ उनको ही मिलता है ।

6. पटसन माल के निर्यात शुल्कों की समीक्षा सरकार द्वारा समय समय पर की जाती रही है । इन शुल्कों का स्तर विश्व बाजारों मे पटसन माल की प्रतियोगी स्थिति सम्बन्धी अनुमान पर आधारित होता है । इस अनुमान पर पहुँचने के लिए भारत में उत्पादन की लागतों की, जिसमें कच्चे माल क मूल्य, वेतन, लागत तथा उत्पादन प्रभार भी शामिल हैं, अन्य देशों में समकक्ष लागतों के साथ तुलना की जाती है । उत्पादन लागतों के सम्बन्ध में सरकार उचित निर्णय कर सके, इसलिये टैरिफ आयोग को उचित परिवर्तन लागतों के बारे में सिफारिश करने के लिये कहा गया है । आशा है कि टैरिफ आयोग कुछ सप्ताहों के भीतर ही अपनी रिपोर्ट दे देगा ।

7. यदि उद्योगपति तथा श्रमिकों के बीच विवाद का कोई मैत्रीपूर्ण समझौता हो जाये तो टैरिफ आयोग मंजूरी के स्तर को ध्यान में रख सकेगा ।

8. मैंने सभी सम्बद्धों पर किसी उचित समझौते पर पहुंचने की तुरन्त आवश्यकता पर जोर देने की कोशिश की है । मेरा ख्याल यह है कि यदि श्रमिकों को तत्काल सहायता का आश्वासन दे दिया जाये तो वे हड़ताल को टालने के लिये अनिच्छुक नहीं हैं । किन्तु उद्योग के प्रतिनिधि अडिग रहे । मुझे विश्वास है कि सद्बुद्धि से काम लिया जायेगा और तत्काल नकद सहायता पर अस्थायी सहमति हो जायेगी ताकि मेरे द्वारा प्रस्तावित समिति, मामले पर विचार करके शीघ्र ही अपनी

सिफारिशें प्रस्तुत कर सकें। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह उत्पादन लागत का हिसाब लगाते समय तथा निर्यात शुल्कों के सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण करते समय उस तत्काल नकद सहायता पर, जिस पर उद्योगपति तथा श्रमिक सहमत हों, और मजूरी के उस नये स्तर पर, जिसके लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित समिति सिफारिश करे, विचार करेगी।

9. मेरे विचार से सिवाय विदेशी प्रतियोगियों के इस हड़ताल से किसी को भी लाभ नहीं होगा। कुछ आयातकों का तो अपनी तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिए पूर्ति में अन्य स्रोतों की ओर पहले ही झुकाव हो गया है। उत्पादन में बाधा पड़ जाने के फलस्वरूप प्रत्येक दिन में देश को लगभग 1 करोड़ रु० के उत्पादन की हानि होती है। जिसका सामान्यतया दो तिहाई भाग विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने की आशा होती है। यदि हड़ताल लम्बी चल गई तो देश तथा उद्योग को विश्व बाजार में और अधिक अवधि तक की हानि उठानी पड़ेगी और यदि राज्य व्यापार निगम द्वारा आरम्भ किये जाने वाले मूल्य समर्थन के परिवर्तन में बाधा पड़ी तो पटसन कृषकों को भी हानि उठानी पड़ेगी। यदि दो लाख श्रमिक बेकार हो जायें और यदि दीर्घकाल तक काम बन्द रहने से उत्पादन तथा निर्यात पर कुप्रभाव पड़े तो श्रमिकों को खुशी नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि सभा, सभी सम्बधों पर इस बात के लिये जोर देना चाहेगी कि संकीर्ण विचारो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को महत्व देने की अत्यावश्यकता है और साथ ही यह आशा व्यक्त करेगी कि अवरुद्ध उत्पादन को और अधिक समय नष्ट किये बिना पुनः आरम्भ किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम 376 (2) के अधीन एक व्यबस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दे दिया है। इसके बारे में नियम 340 के अधीन मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिये मैं सदन का स्थगन चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस नियय का अगला परन्तुक भी पढ़िये। यदि समय मिलेगा तो आपको अवसर अवश्य दिया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : We want a discussion on the strike in jute mills.

श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बारे में जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. APPOINTMENT OF COMMISSION OF ENQUIRY IN CONNCETION WITH THE MURDER OF SHRI DIN DAYAL UPADHYAYE

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैंने अपने 29 जुलाई, 1969 के वक्तव्य में सदन को विश्वास दिलाया था कि जनता को यह नहीं समझना चाहिये कि इस मामले

से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाने में कोई कसर रखी जायेगी । चर्चा के दौरान मैंने यह भी बताया था कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले की अपील नहीं की तो एक जांच आयोग नियुक्त किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने कल विधान सभा में घोषणा की है कि राज्य सरकार अपील नहीं करेगी ।

विभिन्न राजनीतिक दलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया है कि एक जांच आयोग की नियुक्ति की जाय जिसके लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जायेगी । आयोग की नियुक्ति तथा उसके विचारार्थ विषयों की घोषणा शीघ्र कर दी जायेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I congratulate the Government on the appointment of acommission of enquiry and hope that its terms of reference should be such as may help in finding out the facts.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) Will the hon. Minister furnish information regarding attack on a Harijan S. S. P. woman M. L. A. in Gaya ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बारे में मुझे अभी तथ्य प्राप्त करने है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : हम चाहते हैं कि पुलिस के पश्चिम बंगाल विधान सभा भवन पर हमले पर चर्चा करने का समय दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल विधान सभा पर जो हमला किया गया है उस पर सम्भवत: कल चर्चा की जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : झरिया के निकट की कोयलें की खानों में मजदूरों पर अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अत्यचारों पर भी चर्चा की जानी चाहिये ।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : There are famine conditions in Bihar due to drought in one part and floods in the other. Time should be allotted to discuss the matter in the House.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) . Floods in Madhya Pradesh have created havoec, The matter should be discussed here.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : उड़ीसा में बाढ़ से 50 व्यक्तियों की जानें गई हैं । मैं मन्त्री महोदय से इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि उडीसा में बाढ़ आई हुई है । इस पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

संसद-कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि "संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री मधु लिमये : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रस्ताव रखने दे । उसके बाद आपको समय दिया जायेगा ।

श्री रघु रामैया : श्रीमान् मैंने पिछले सत्र में बताया था कि सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्णय किया है कि सदस्यों को कुछ भत्ते दिये जाये । अतएव इस सम्बन्ध में यह विधेयक पुरः स्थापित कर दिया गया है ।

इस विधेयक के द्वारा दैनिक भत्तें को 31 रुपए से बढ़ा कर 51 रुपए करने तथा कुछ यात्रा सुविधायें बढाने का विचार है । अब जो और एक संशोधन इसमें किया जा रहा है उसके द्वारा सदस्यों के लिए । कुछ यात्रा सुविधाएं और बढ़ाई जा रही है ।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order under Rule No. 75 (2) The hon. Minister cannot mention about the amendments at this stage and he should stick to his speech on the motion for consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मन्त्री महोदय को संशोधनों की चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

श्री रघुरामैया : विमान द्वारा यात्रा की सुविधा का उल्लेख मूल विधेयक में ही किया गया था । विधेयक को पुरः स्थापित करते समय कहा गया था कि समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों अथवा बहु समर्थित सिफारिशें ही स्वीकार की जाये । एक सिफारिश में कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य को अब सचिवीय सहायता दी जाय ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjoured for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर 30 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha then reassembled after Lunch at Three minutes past Fourteen of the clock.

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

चंडीगढ़ के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपें पंजाब के मुख्य मन्त्री के पत्र के बारे में

Re: PUNJAB CHIEF MINISTERS' LETTER ONCHANDIGARH PUBLISHED IN PAPER

Shri Randhir Singh (Rohtak) :: I want to draw your attention towards the published statement of the Chief Minister of Punjab, wherein it was stated that if Chandigarh is not given to Punjab, the State may even secede from the Indian Union. This is a very serious matter. The Government should not be influenced by such blackmailing.

सभापति महोदय : सदस्य को पूर्व सूचना के पश्चात अनुमति मिलने पर ही बोलना चाहिए।

Shri Randhir Singh : If any persons challenges the constitution and talk of secession he should be dealt with under the Unlawful Activities Act.

सभापति महोदय : वे जो कुछ भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

Shri Randhir Singh : * *

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--जारी

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL--Contd.

श्री रघुरामैया : संयुक्त समिति का यह सर्व सम्मत सुझाव था कि प्रत्येक संसद सदस्य को अनुसचिवीय सुविधा दी जाय। क्या इसका यह अभिप्राय है हर सदस्य को एक सेक्रेटरी दिया जाये अथवा एक आशुलिपिकों को पूल बनाया जाय ? पहली दशा में व्यय बहुत अधिक करना पड़ेगा और दूसरी में सदस्यों में असंतोष फैल जायेगा। फिर भी हम जितनी भी सर्व-सम्मत सिफारिशों को विधेयक में स्थान दे सकते थे उनको हमने इसमें रखा है। एक सर्वसम्मत सिफारिश यह भी थी कि सदस्यों को 1200 रुपए वार्षिक तक की डाक टिकटें आदि दी जाये।

श्री रबीराय : हम धन नहीं टिकटें चाहते हैं।

---

* * अध्यक्ष पीठ के आदेश से सभा के वृतान्त से निकाल दिये गये।

Not recorded under orders of the Chair.

श्री रघुरामैया : टिकटों पर भी सरकार को धन व्यय करना पड़ता हैं।

सरकार ने जिन सिफारिशों को विधेयक में सम्मिलित किया है उन पर प्रारम्भ में 2.99 लाख रुपये तथा आवर्ती व्यय 52.58 लाख रुपये होगा।

भत्ते में वृद्धि तथा अन्य जिन सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है उन पर जनता के धन का व्यय करना पड़ता है। सदस्यों को अपने व्यवसाय आदि छोड़ने पड़ते हैं इसलिए आवश्यक है कि उन्हें इतना अवश्य मिले कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस मामले को हमें एक बाहर की समिति को सौपना चाहिएँ। इस बारे में हमें सदस्यों की योग्यता पर विश्वास करना चाहिए।

संसद् सदस्य जब देश के विभिन्न वर्गों के वेतन भत्तों का नियतन कर सकते हैं तो सदस्यों के लिए भी कर सकते है। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात हमने सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित की है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> 'संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस प्रस्ताव पर संशोधन संख्या 1, 9, 10, 20 और 52 पेश किये गये है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मै अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन सख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chairman, I rise on a point of order. The motion moved by Shri Raghu Ramaih may be rejected as it is not in order. On a previous occasion when it was discussed, the then Speaker Shri Sanjiv Reddy gave a ruling that a Committee on the subject would be constituted and only unanimous recommendations thereof should be accepted and the pay and allowances of Members of Parliament should not be increased. This is a question of principle and not of money. Shri Reddy said that instead of increasing their pay and allowances, more facilities should be provided to them, so that they may discharge their duties more efficiently and easily.

The ruling of Shri Reddy cannot be changed unless the new Speaker is elected. If at all this subject is to be discussed, the hon. Minister should move a new motion

on this subject and this Bill may be circulated for the purpose of eliciting public opinion. We should not do anything against the rules in the House.

श्री अ० सिं० सहगल : (बिलासपुर) : मैं समझता हूं कि यह अध्यक्षपीठ का विनिर्णय नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : क्या यह नया व्यवस्था का प्रश्न है या आप श्री मधु लिमये के व्यवस्था के प्रश्न पर बोलेंगे ? हम पहले श्री मधु लिमये का व्यवस्था प्रश्न लेंगे। यदि आप इस पर बोलना चाहते हैं, तो आपको इसकी अनुमति मिल सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उस पर बोलना चाहता हूं और मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Chairman, the question of Pay and Allowances of the members of Parliament is an issue on which we should try to have unanimity and keeping this fact in view the ex-Speaker gave a ruling that only those recommendations of the Committee would be accepted on which all the parties have agreed, But unfortunately the Minister of Parliamentary Affairs did not try to have the consent of all the parties on this issue. On this subject I have a point of order. Is it proper to get this Bill passed by the majority Votes when there is no unanimity on the subject ? Keeping in view the earlier ruling the discussion on the Bill should be posponed and the hon. Minister of Parliamentary Affairs should discuss this matter with the leaders of various parties and try to have unanimity on it. It will add to the prestige of the House.

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर बोलते हुए माननीय सदस्य स्वयं अपने सुझाव भी देने लगे हैं। यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर बोल सकते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जो लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़ा हुआ है। इस पर अनेक स्तरों पर विचार विमर्श किया जा चुका है। वैसे सरकार जिस विधेयक को चाहे बहुमत से पारित करा सकती है किन्तु इस विधेयक के सम्बन्ध में औचित्य के अनेक प्रश्न हैं। एक बार जब यह निर्णय किया जा चुका है कि संसद् सदस्यों के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से ही कोई संशोधन किया जायेगा किन्तु इस निर्णय की कतई अवहेलना की जा रही है जो संसद की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सजीव रेड्डी ने विनिर्णय दिया गया था। चूंकि इस समय अध्यक्ष नहीं हैं; इसलिये इस समय इस पर बहस नहीं की जा सकती है। मैं इस सम्बन्ध में नियम 10 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि

अध्यक्ष की अनुपस्थिति उपाध्यक्ष अथवा अन्य किसी अध्यक्षपीठ पर आसीन व्यक्ति को अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं तथा पीठासीन व्यक्ति का विनिर्णय अध्यक्ष का ही विनिर्णय समझा जायेगा ।

सभापति महोदय : हम श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं । इसके बाद यदि कोई सदस्य चाहें तो अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस समिति में प्रजा समाजवादी दल के प्रतिनिधियों को छोड़ कर सभी दलों के सदस्य लिये गये हैं; इसलिए प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए । यदि इस समिति में हमारे दल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता तो हम कहते कि संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में निर्णय स्वयं संसद सदस्यों को नहीं अपितु एक स्वतंत्र समिति को करना चाहिए । हमें जनता के विश्वास का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । माननीय सदस्य श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न उचित है । भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि समिति की सर्व-सम्मत सिफारिशें ही स्वीकार की जानी चाहिए तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते इस प्रकार नहीं बढाये जाने चाहिए । अत: मेरा कहना है कि इस विधेयक को अध्यक्ष के विनिर्णय का उल्लंघन करके लाया गया है । यह उचित नहीं है ।

श्री चेंगल राया नायडू (चित्तूर) : श्री पन्ना लाल बारूपाल जब गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक लाये थे, अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य श्री लिमये द्वारा उल्लिखित विनिर्णय दिया था । इस समिति में लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के सदस्य हैं । अध्यक्ष के विनिर्णय को मानना राज्य सभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं है । इस समिति ने कहा था कि संसद् सदस्यों को डाक टिकट, स्टेनोग्राफर आदि के लिये कुछ सहायता दी जानी चाहिए । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह विधेयक लाई है, श्री पन्ना लाल बारूपाल द्वारा लाये गये विधेयक और इस विधेयक में कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विधेयक का मुख्य अभिप्राय यह है कि संसद् सदस्यों का दैनिक भत्ता बढ़ा कर उनकी कुछ सहायता की जाये । यदि विरोधी दलों के सदस्यों को यह स्वीकार नहीं है, तो वे इस सुविधा का लाभ न उठायें और वे जितनी राशि उचित समझें उतनी ही लें ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : यह विधेयक नया है और इसका पहले विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने पहले विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे न कि इस विधेयक के बारे में । अध्यक्ष महोदय अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष सभा को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते कि सभा को क्या कानून बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए ।

सभापति महोदय : हम पहले श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न निबटा लें और बाद में माननीय सदस्य अन्य प्रश्न उठा सकते हैं ।

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : विधेयक पुर.स्थापित करते समय मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों सभाओं के संसद् सदस्यों की संयुक्त समिति के सामने अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यक्त किये गये विचार रखे गये थे और समिति ने यह अनुभव किया था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार सिफारिश कर सकती है। इन सिफारिशों के बाद सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष महोदय ने की थी और इस बैठक में सभी दलों के सदस्यों ने भाग लिया था। उस समिति ने यह निर्णय किया था कि संयुक्त समिति संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है। यह बात सरकार पर छोड़ दी गई कि प्रतिवेदन में उठाई गई बातों के बारे वह स्वय प्रस्ताव तैयार करे। सामान्य प्रयोजन सम्मिति ने यह कहीं नहीं कहा था कि सरकार केवल कुछ मामलों पर ही विचार कर सकती है न कि सब मामलों पर। सरकार द्वारा कोई कानून लाये जाने पर कोई रोक आदेश नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय : विभिन्न दलों के नेताओं तथा सरकार द्वारा व्यक्त विचारों को सुनने के बाद मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करता हूं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) . Mr, Chairman, the House cannot discuss this Bill and therefore it should not be discussed, Mr. Chairman, you have just given a ruling because the hon. Minister has stated that there cannot be any injuction against the Government not to bring any legistation. I am not challenging this fact. I am simply making a submission that if this point of order is disallowed, they will get this extra money.

This increase should be made at the time of next election in 1972 and not before that.

सभापति महोदय : यह एक सुझाव है। इससे कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियम संख्या 69 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह व्यवस्था है कि जिस वित्त विधेयक का सम्बन्ध खर्च बढने से हो उसके साथ वित्तीय ज्ञापन जुडा होना चाहिए जिसमें आवर्तक और अनावर्तक खर्च का अनुमान दिया हो और खर्च विषयक खण्डों की ओर उसके द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिलाया जाये। दूसरे ऐसे उपबन्धों को मोटी लिखाई या तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिनका सम्बन्ध भारत की संचित नीधि से रुपया निकालने के बारे में हो। यह विधेयक इन शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करता।

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में मैं सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

श्री रघुरामैया : इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन जुडा है। उसमें यह बताया गया है कि दैनिक भत्ते में वृद्धि होने से खर्च में प्रतिवर्ष 42 लाख रुपये की वृद्धि होगी। सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय : श्री एस० कुण्डू की बात का स्पष्टीकरण हो गया है। उनकी बात में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब विधेयक पर विचार विमर्श होगा।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं अपने संशोधन संख्या 20 का समर्थन करता हूं। संशोधन में विधेयक पर 16 अगस्त, 1969 तक जनमत जानने के लिए उसे परिचालित करने की मांग की गई है। इस संशोधन का आशय विलम्ब करना मात्र नहीं है बल्कि उसका आशय है कि इस विधेयक पर विचार के लिए अधिक समय मिल जाये। हमें जल्दी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस सभा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या मन्त्रियों का पारिश्रमिक भी अन्य संस्थाओं द्वारा तय किया जाता है। उसको वे स्वय तय नहीं करते ; व्यक्ति को अपने बारे में मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने बारे में स्वयं निर्णायक नहीं होना चाहिए। कुछ महीने पहले हमने यह सुझाव दिया था और पुनः यह लिखा है कि इस विधेयक को दो सप्ताह के लिए परिचालित किया जाये। इस बीच अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और राज्य सभा का सभापति मिलकर देश के प्रतिष्ठित लोगों को नियन्त्रित करें और इस विषय पर विचार करें। वे संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार करें और संसद् सदस्यों के जीवन-निर्वाह, देश की स्थिति, उनकी आवश्यकताएं और मांगों पर विचार करते हुए निर्णय करें। उनकी जो भी राय या निर्णय हो वह हम सभी को मान्य हो।

यदि हममें से किसी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना सभा की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इस मान्यता के निवारण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में भी संसद सदस्यों के वेतन का निर्धारण वहां का प्राइसिस एण्ड इन्कम्स बोर्ड करता है। इस बोर्ड में देश के तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, अन्त में मैं सभा स यह अनुरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये। मैं विधेयक का विरोधी नहीं हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे परिश्रमिक के बारे में निर्णय और कोई करे। इससे सभा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to raise a point of order. There is a provision in article 117 (1) that a Bill dealing with the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced without the recommendation of the President. There is no mention about it on the Bill. I do not know whether they have obtained recommendation of the President for it or not.

श्री रघुरामैया : राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है और वह परिचालित भी कर दी गई है।

सभापति महोदय : समाचार भाग 2 में यह है। अतः आपका व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Mr. Chairman, I am not in a position to understand the basis on which some hon. Members are opposing this Bill, because one informal committee and another formal committee consisting of M. Ps. from all political parties have considered this issue. Shri Masani opposed it for the sake of

oppostion. Some others opposed it taking the plea of increase in expenditure. This is also no argument that M. Ps. should not be given amenities and facilities because they will involve expenditure.

A Member of Parliament is a representative of a number of people. He has to look after the interests of the people of his own constituency as well as the interests of the nation as a whole. In my opinion he should be given all the amenities and facilities required for discharge of his functions and responsibilities faithfully and sincerely. He should be given as much remuneration as is required by him for leading a life commensurate with the standard of a M. P.

If democracy is to be survived, if you want that a M. P. should discharge his functions honestly you will have to provide essential facilities and remuneration to him. If they will not be given proper facilities and remuneration they will become inefficient and corrupt. I make an appeal to opposition also that they should not oppose this Bill for the sake of opposition and they should accept it. We can make the people understand in this respect.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I have risen to oppose this Bill. It is not true to say that the Jan Sangh welcomes this Bill from their hearts but is opposing it here. We are to serve our countrymen. A servant is not supposed to draw more pay than his master. Today we see that the poor classes of our countey cannot even afford their daily necessities of life. In such circumstances it does not behave us to ask for more pay and allowances.

Gandhiji served the country throughout his life. He could have amassed lakhs of rupees if he so desired. He set an example for all of us to lead a simple life. But his disciples are growing fat by amassing more and more of wealth.

In the Karachi Session of the Indian National Congress, a resolution was passed that the salary of a Minister should not be more than Rs. 500 and after the attainment of independence our Minister would not draw a salary of more than Rs. 500. But now his followers want to cross that limit and demand more salaries.

There are so many examples in history where kings and calliphs led a very simple life and did not indulge in any sort of extravagance. Chanakya lived in a hut. But things here are quite different in the case of our Ministers and others. They lead a luxurious life. We should come closer to the common man and try to serve them. General elections are going to be held in 1972, the people who are crying for higher salaries and allowances fear that they may not be returned this time and so they are raising this bogey.

We want that this bill should be circulated for eliciting public opinion thereon. But the Members sitting on the other side want the Bill to be passed immediately. Let them fight election on this issue.

With these words, I oppose this Bill.

श्री चेंगलाराया नायडू (चित्तूर) : प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त की जायें । सरकार का कहना है कि प्रत्येक सदस्य के लिये स्टेनोग्राफर की व्यवस्था

करना संभव नहीं है। यदि चार सदस्यों के लिये एक स्टेनोग्राफर नियुक्त किया जाये तो उनमें आपस में झगड़ा होगा। सरकार द्वारा निःशुल्क डाक तथा परिवहन आदि की सुविधाएं भी दिया जाना असंभव था। इन्हें दृष्टि में रखकर ही सरकार दैनिक भत्ता बढ़ाने के लिये तैयार हुई ताकि सदस्य उन पर होने वाले व्यय को पूरा कर सकें।

विरोधी सदस्य केवल मत प्राप्त करने तथा सस्ता प्रचार प्राप्त करने हेतु इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मतदाताओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सदस्यों का भत्ता बढ़े। उन्हें तो आपत्ति तब होगी जब सदस्यगण उनकी उपेक्षा करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे।

कुछ कुछ सदस्य अमीर हैं। बिड़ला, टाटाओं आदि के प्रतिनिधि है, कुछ अन्य सदस्य अमरीका या रूस के लिये काम करते हैं। उन्हें वहां से धन प्राप्त होता है। चूंकि वे अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते है। इसलिये उन्हें यह तरीका अपनाना पड़ता है। वे भ्रष्टाचार का शिकार न हों और अपना निर्वाह कर सकें इसलिये सदस्यों को 20 रुपये अधिक दिये जाने चाहिये।

साम्यवादी सदस्य दिखावा के लिये इसका विरोध तो जरुर कर रहे हैं परन्तु उन्होंने दल की बैठक में पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि ये 20 रुपये दल की निधि में देने होंगे।

इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें मतदाताओं के प्रति ईमानदार बनना चाहिये और अपना कर्तव्य निष्ठा से पूरा करना चाहिये। इसलिये में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर–पूर्व) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। श्री नायडू ने जो कुछ कहा है वह बहुत ही निन्दनीय है। मैंने उनके भाषण में अन्तर्बाधा करना उचित नहीं समझा। मुझे इस सभा में ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करने में शर्म आती है जो अपने सहयोगियों के बारे में इतना तक कह सकते है कि वे अमुक–अमुक व्यक्तियों अथवा अमुक–अमुक देशों से धन प्राप्त करते हैं। मैं साम्यवादी दल का इस सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं उन्हें बता सकता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में साम्यवादी दल के निर्णय के बारे में जो कुछ कहा है वह कोरी बकवास है। कुछ सदस्यों के लिये सभा में इस तरह की बेहूदा बातें कहे जाना अब एक आम बात हो गई है। आखिर हम जनता को सन्तुष्ट करके ही अधिक भत्ते की मांग कर सकते हैं। श्री रघुरामैया को मैं बताना चाहता हूं कि हममें आपस में यह समझौता हुआ था कि यह विधेयक सभी दलों की एकमत सिफारिश से ही लाया जायेगा। मैं दोहरी बात में विश्वास नहीं करता। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने है।

जनसंघ, साम्यवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल के प्रतिनिधियों तथा निर्दलीय सदस्यों ने वेतन वृद्धि का विरोध किया था। प्रजा समाजवादी दल का उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था परन्तु वे भी वेतन वृद्धि के विरुद्ध है। यदि सरकार समझती है कि सदस्यों ने जो

सुविधाएं मांगी हैं उन पर बहुत धन व्यय होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है। यदि उन पर अधिक व्यय होने की समावना है तो हम ऐसी सुविधाओं के बिना ही काम चला सकते हैं। हम राजनीति में इसलिये प्रवेश नहीं करते हैं कि हमें आरामदेह जीवन चाहिये। हमें अपने सामने सादे जीवन का आदर्श रखना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि हमें लंगोटी में ही गुजारा करना चाहिये। परन्तु हमें बड़े सपने नहीं देखने चाहिये। श्री जाधव ने कहा हैं कि बड़े पूंजीपति हमारी कोई परवाह नहीं करते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या जनता इसी दृष्टिकोण से हमें देखती है ? वे हमारा इसलिये आदर नहीं करते हैं कि हमारे पास पैसा है। और यदि एक बार हम पैसे के रूप में सोचना शुरु कर दें, तो इसका कोई अन्त ही नहीं है।

हमारे देश में बहुत गरीबी है और हमारे बहुत से भाइयों को भूखे ही सोना पड़ता है। इसलिये हमारे द्वारा अधिक वेतन की मांग किया जाना उचित नहीं है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे हम जनता की नजरों में गिर जायें।

हम अपना कर्तव्य और अच्छी तरह से निभा सकें इसके लिये हमें जो सुविधाएं चाहिये उसके बारे में यहां पर चर्चा की जा सकती है। यदि ये सुविधाएं काफी खर्चीली हैं तो हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिये, सुविधाएं चाहियें।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : श्री मुकर्जी ने इस बारे में जो कुछ कहा हैं मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। हमें अपने परिवारों को छोटे रखने की कोशिश करनी चाहिये। और अपनी गलती का भार करदाताओं पर नहीं डालना चाहिये। उनके सामने मैं अपना उदाहरण रख सकता हूं। यदि दैनिक भत्ता बढ़ाकर 51 रुपये कर दिया गया तो लोग हमारी निन्दा करेंगे और यह समझने लगेंगे कि हम उनकी सेवा करने की बजाय अपनी ही सेवा करने में लग गये हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हम कितनी गरीबी में रहते थे। क्या उस समय हमारा आदर नहीं किया जाता था ? यदि दूसरों के पास अधिक धन है तो हमें उससे क्या सरोकार है। हमें तो अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं।

इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में करोड़ों व्यक्तियों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं तथा उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है, हमें अपना भत्ता बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हमारे लिये कोई सुविधायें बढ़ा दी जाये तो मुझे उसपर कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई सदस्य आशुलिपिक रखना चाहता है तो वह किसी को अंशकालीन समय के लिये रख सकता है तथा उसका बिल संसद् को भेज सकता है। मैं तो समझता हूं कि हम में से 20 प्रतिशत सदस्यों के पास भी आशुलिपिक नहीं हैं। यदि हम अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं तो जनता के सामने हमारी स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। हमारी प्रधान मंत्री कह रही हैं कि मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीब लोगों की सहायता करने के लिये कर रही हूं तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या भत्ते बढ़ा कर हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं याकि अपनी ? यदि हम गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो हमें अपने भत्तों पर कुछ सीमा लगानी होगी। हमें तो पहले ही

बहुत सुविधायें मिल रही हैं । भत्ते बढ़ाने का तात्पर्य यह होगा कि हमें गरीबों के साथ कोई सहानुभूति नहीं हैं ।

आप अपने आप को समाजवादी कहते हैं । आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं परन्तु जब भूतपूर्व शासकों को निजी थैलिया देने का प्रश्न सभा में आया था तब आप सब कहां गये हुए थे । तब तो आप सभी अपने नेताओं के कहने पर चला करते थे । परन्तु आज यह बात नहीं है । अब वह सोचने लग गये हैं कि क्या बात सही है और क्या गलत । मेरा यह निवेदन है कि जिस किसी भी सदस्य का अन्तःकरण साफ है उसे विप आदि की परवाह न करते हुए सही बात को सही और गलत बातों को गलत कहना चाहिये ।

यह बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस दल कई भागों में बंट रहा है । ऐसा करना देश के लिये अहितकर होगा । कुछ लोग कांग्रेस में रह कर कांग्रेस की जड़े ही काट रहे हैं । उनके लिये ऐसा करना अच्छी बात नहीं है । मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि उनको उस पर अमल करना चाहिये ।

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : I have seen that some hon. Members have opposed this Bill. I also understand that ours is a poor country and the question of increasing allowances should not arise here. But at the same time I have seen that none of them has come forward to say that even if allowances are enhanced I would not accept them. In Andhra Pradesh when the question of enhancement of allowances arose it was Shri T. Vishwanatham who opposed the move and announced that he would not accept enhanced allowances and he did so till he remained the Member of that House. Those who are opposing the Bill they should make an announcement that they will not accept the enhanced allowances and I will be one of those.

I think that the necessities of life should be provided to the Members and their families then the question of pay and allowances should not arise for them otherwise they will have to adopt other means.

Keeping in view the fact that the prices have gone up two-fold or three-fold the increase in allowances is not much. At the same time it is my request that they should be provided more travelling facilities.

श्री समर गुह (कटाई) : यह बड़ी शर्म की बात है कि इस विधेयक को लाने से समाचारपत्रों तथा विभिन्न समुदायों में समत्सदस्यों की आलोचना हो रही है । ससत्सदस्यों की उस समिति में मेरे दल का कोई सदस्य नहीं था जिसने सदस्यों को सुविधायें देने के लिये सर्वसम्मिति से मत दिया था । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

हम संसत्सदस्यों को यह नहीं भूल जाना चाहिये कि लोगों ने हम में विश्वास करके हमें पांच साल के लिये यहां भेजा है । हमें यह भी याद रखना होगा कि हम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये यहां आयें हैं । परन्तु इस विधेयक के लाने से लोग यह महसूस करेंगे कि हम उन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और अपने स्वार्थ में लग गये हैं । इस सारी स्थिति को देखते हुए मैं ने एक सुझाव दिया था कि एक निष्पक्ष समिति बनाई जानी चाहिये जो देश की

आर्थिक स्थिति तथा ऐशिया के अन्य देशों के संसत्सदस्यों के रहन सहन को मद्देनजर रखते हुए यह सुझाव दें कि इस देश के संसत्सदस्यों को कितना वेतन तथा भत्ते आदि दिये जाने चाहिये। उसके आधार पर ही एक नया विधेयक तैयार करके सभा में लाया जाना चाहिये। ऐसा करने पर हमें कोई नहीं कहेगा कि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। परन्तु खेद की बात है कि सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे स्वीकार करें।

लोगों के मन में जो शंका उत्पन्न हो गई है उसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। श्रीमती लीलावती मुन्शी ने तो ऐसा विचार व्यक्त किया है कि हम प्रति वर्ष 20000 रुपये अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त ले रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हमें मकान, कार तथा ऐसी बहुत सी अन्य चीजें मुफ्त मिल रही हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है। मैं उन्हें कुछ अन्य देशों के तुलनात्मक आंकड़े भी बताना चाहूंगा। पाकिस्तान में सदस्यों को 500 रुपये माहवार तथा 50 रुपये दैनिक भत्ता मिल रहा है। इसके अलावा उन्हें वे सभी सुविधायें मिल रही हैं जो भारत में संसत्सदस्यों को मिलती हैं। जहां तक साम्यवादी देशों का सम्बन्ध है रूस में सुप्रीम सोवियट के सदस्यों को निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्तों के अलावा 1000 रुपये माहवार तथा 150 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। इतना ही वेतन तथा भत्ते रूमानिया, बुल्गारिया, पोलैण्ड, हंगरी तथा अन्य देशों में भी मिलते हैं।

हमारा देश गांधीजी, विवेकानन्द, नेताजी तथा फकीरों का देश है। हम यहां त्याग की भावना से आते है नाकि धन इकट्ठा करने के लिये। इसलिये लोगों को हमारे बारे में गलत-फहमी नहीं होनी चाहिये तथा सरकार को विधेयक वापिस ले लेना चाहिये और उसे समिति को सुझाव देने के लिये सौंप देना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, I was a Member of the concerned committee and I want to make it plain that many hon. Members approached me and asked that this allowance should be enhanced. when I was asked to express my opinion then I said that in case this allowance is enhanced to Rs. 51 then everyone will be compensated. Now I would request all those who spoken against this Bill to take a pledge that they will not take enhanced allowance.

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Though I am a Member of the opposition party but still I do not want to oppose this Bill. The Administration has not considered some of the recommendations thought they were passed unanimously. I think they should also be considered.

Though air travel facilities are being extended but these will not be beneficial to all. Facilities to travel in Pulic and private buses should be given to Members of Parliament so that they could serve their constituencies in a better way. They should also be geven free postage facilities so that they could maintain good relations with the people of their constituencies. There should not be much gap between the facilities being provided to M. Ps. and Ministers.

The Members of Parliament should be provided atleast free furnished 'A' type quarter and Rs. 50 for electricity and water charges otherwise some of them are compelled to sublet their quraters which spoils the whole atmosphere. They should be provided facilities be fitting for a Member of Parliament.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Chief Whip said that consensus of all the parties was taken in the matter and the provisions were based on it. Let us search our hearts and take account of money which we had to spend two years ago on our elections. If we continue to draw our emoluments at the present rates, everyone of us will find himself indebted for Rs. 2 lakhs atleast. Even our coming generation cannot repay this debt. We here on the congress benches value and regard very much our esteemed elder statesmen Acharya Kriplani but let me humbly submit to him that ideals are different and things in actual practice are different.

In Pakistan M. Ps. are drawing Rs. 51 as daily allowance for the last two years. In case of our State Assemblies even, the M. L. As. are getting daily allowance at the rate of Rs. 40/- and a salary of Rs. 500/- per month. What will be the utility of our coming here if we are not in a position to attend to the work of constituents and countrymen. We have provided funds for the uplift of Harijans, adivasis, farmers and irrigation, roads etc. But here we, who fight for their cause, are also living in poverty. We are political soldier. who is the soldier of the people. The soldiers are paid T. A. for their family but no Member of Parliament is given railway pass for his wife or daughter. I would appeal he should also be given this facility once or twice in a year. A person drawing even a salary of Rs. 100 per month is entitled to pension but we revolutionaries, who have struggled for the country, do not get any pension. Why should not the revolutionaries, who have sacrificed everything for the country, get a pension.

Eighty per cent of the M. Ps.. from this side as well as from the opposite side have to tour their constituency, to give up their business, legal practice and profession so as to perform their duties as an M. P., which involves on expenditure of thousands of rupees. We do not have resources to meet this expenditure. The condition of children of 80 percent M. Ps. are so better than that or a labourer getting Rs. 100 per month. The women folk of M.Ps. are engaged in the kitchen almost throughout the day to attend to the tea and meals of the constant stream of visitors. Increase in our salaries will help us reach new seights and check any possible moral degradation. With these words I support this Bill fully and appeal to the House to pass it unanimously.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : कल हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आज हम उस धन को बांट रहे हैं। मैं अपने दल साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की ओर से उस विधेयक का विरोध करता हूं। आज हमें 500 रुपये मासिक वेतन और 31 रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता मिल रहा है, जो बहुत काफी है। हम आम जनता, श्रमिकों, किसानों, बेरोजगार व्यक्तियों तथा मेहनतकशों के प्रतिनिधी हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति दैनिक आय 50 पैसे है। जबकि आम जनता अपने अस्तित्व के लिये, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के लिये संघर्ष कर रहे हैं, हम अपना दैनिक भत्ता बढ़ाने के लिये कह रहे हैं। जब सरकारी कर्मचारियों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की अपनी मांग को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की, तो उन्हें पीटा गया, जेलों में डाल दिया गया, कई को गोली से मार दिया गया, अनेक की सेवा समाप्त कर दी गई। लेकिन अब हम अपने दैनिक भत्ते में 20 रुपए प्रति दिन की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह वृद्धि किसी भी समझदार व्यक्ति को स्वीकार नहीं होगी। मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक तथा कुछ और अधिक देने के संशोधन का भी विरोध करता हूं।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I rise to support this Bill. In 1955 our daily allowance of Rs. 45 per day was reduced to Rs. 21 per day and a salary of Rs. 400 per month through a Bill. At that time also our friends opposed that Bill, Shri Raghuramaiah has now brought forward a Government Bill as a consequence to my Bill on the subject. I had said at that time that the Members opposed to increase in allowance might not draw their allowance at the increased rate but no body did so. I am a representative of the poor and the farmers. We hardly spend 2 or 2½ thousand rupees on elections. From where such persons, who spend lakhs of rupees on elections, get it.

The profession and practice of those, who are opposing this Bill, are different.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Chairman, Sir, hon. Shri Raghuramaiah pleaded that since all the members wanted it though some of them opposed it outwardly, the Bill has been brought forward. This plea is untenable. While passing a legislation we should take a perspective view and see whether the aims and objects of the Bill are just or not. If somebody commits decoity and later donates for the construction of a temple or mosque, will he not be prosecuted for decoity ? The plea put forth by the hon. Minister is similar to it.

To-day there are beaurocrats, capitalists and ministers in our country. Then, there are advocates and doctors etc. with large income. On their being elected to the House we aspire to lead a life comparable to their standard. I do not agree with the view that either the salaries, perquisites etc. of Ministers should be reduced or in the alternative salaries, allowances, facilities should be increased. Instead of becoming a part of the present economic set up based on inequality, we should strike as it. We raised our daily allowance from Rs. 21 to Rs. 31 and salary from Rs. 400 to Rs. 500 and now we are going to increase our D. A. to Rs. 51 besides providing for other facilities. If we go on doing so, where will it lead us.

It was pleaded that Members will stop acceptiag money from other quarters. It carries no weight. The members who accept money from others will continue to do so even if their allowance is raised to Rs. 500/- per day. As regards the provision for air travel and A. C. C. journey on payment of difference, Ministers, beaurocrats alone are going to be benefitted by it. Instead we should try to do away the distinction of airconditioned class and third class and provide uniform facilities to everybody.

Since we are the law makers it is not proper for us to increase our salaries and other facilities. I demand that Government should withdraw this Bill or if they are adamant, but it be circulated for eliciting public opinion.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Mr. Chairman. Sir, May I know from my friends opposing this Bill now, why did they not oppose it in the Select Committee. This Bill was passed unanimously in the Select Committee and then by the parliamentary committee.

Some of my friends want an allowance of Rs. 300/- for postal facilities, trunk call facilities and stenographic assistance. I feel that all these can be provided out of the increased allowance. I will most humbly appeal to all hon. Members of this House not to sublet their residences and servants quarters and maintain their prestige and dignity. We should try to teach and propagate spiritualism in the country to raise

their conduct. I shall spend this amount of Rs. 600/- resulting from the increase in D. A. on preaching and propagating spiritualism, which is badly needed. With these words I support this Bill.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. I am sorry that for the first time I have to disagree with Acharya Kripalani. I have been an M. P. for the last seven years but if I have take home more than 30 per cent of my salary, I will resign. I spend Rs, 700 every month on my office and give Rs. 200/- every month to my party. Dr. Lohia said that the value of a rupees had been reduced to 2½ annas only. Thus Rs. 30 are now equivalent to Rs. 5 only. If you want to allow the M. Ps. to serve their constituents and the country and lead a respectable life his allowance should be raised. Let us maintain a ratio 1:20 between the Members of Parliament and Ministers in respect of salaries and allowances.

Shri M, A. Khan (Kasganj) . Same of the hon. Members here are opposing this Bill. only to secure cheap publicity and false public praise. They speak here for the Press only. I also know that some parties have been demanding an increase in the salaries and allowances of the State M. L. As, but I now see here that the same parties are now opposing the same here in Parliament just to make people think that they only believe in public welfare and are always opposed to get even the minimum essential amenities for themselves.

My submission in this regard is that we all represent the people of the country. I find that 70 to 75 per cent of our Members are poor and they find it difficult to meet their essential requirements. If they do not get the minimum amenities and requirements, it will be difficult for them to work for the country whole-heartely and conscienteously.

With these words, I support this Bill.

श्री रघुरामैया : मैं कृतज्ञ हूं कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है। प्राय: 99.9 प्रतिशत सदस्यों ने इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।

आरम्भ में ही मैंने विपक्षी नेताओं से निवेदन किया था कि वे इस विषय को राजनीति का विषय न बनायें। कुछ सदस्यों ने राय दी है कि इस विधेयक को पहले एक निष्पक्ष समिति अथवा जनमत के लिये भेजा जाये। परन्तु उस समय उन्होंने यह राय क्यों नहीं दी जब एक बार इस विषय, एक प्रवर समिति को विचार करने के लिये कहा गया था ? परन्तु अब कुछ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमें अपने ही वेतन तथा भत्तों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिये। यही बात उन्होंने पहले क्यों न कही थी ?

यह पहला अवसर नहीं है कि संसद सदस्यों के वेतन व भत्तों के अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 1962, 1965 में तथा बाद में भी कई बार ऐसा हुआ है। तब क्या किसी ने इस पर आपत्ति की थी ? क्याउस समय किसी ने कहा था कि सदन की मर्यादा इस से कम होती है ? विपक्ष के सदस्य अपने हृदय पर हाथ रख कर स्वयं से पूछें कि संसद की मर्यादा इस प्रकार के विधेयकों से कम होती है या उस वातावरण से होती है जो प्राय: रोज़ यहां पैदा किया जा रहा है। जनता इस बात से चिन्तित नहीं है कि संसद सदस्यों को 30

रुपये रोज़ मिलते है अथवा 40 रुपये । लोग तो यह देखते हैं कि संसद सदस्य यहां करते क्या हैं ।

संसदसदस्यों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन करने के लिये 21 सदस्यों की समिति ने विचार करके 9 के विपरीत 12 के बहुमत से यह निर्णय किया कि सदस्यों का भत्ता 31 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाये । हमने स्वयं ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है । फिर इसमें गलत बात क्या है ?

एक बात और भी है और वह यह कि माननीय सदस्यों ने सरकार से अनेक प्रकार की अनुसचिवीय सेवा, निःशुल्क रेल यात्रा, निःशुल्क डाक सेवा आदि की अनेक सुविधायें मांगी हैं । क्या इन सुविधाये की व्यवस्था करने पर धन खर्च नहीं होगा ? इस पर प्रायः 54 लाख रुपये से अधिक खर्च का अनुमान लगाया गया है, फिर अनुसचिवीय सुविधा देने में अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं । सदस्यों को अलग अलग आशुलिपिक देना असम्भव है । आशुलिपिकों का पूल बनाने में भी कठिनाई है क्योंकि एक आशुलिपिक को एक ही समय कई कई सदस्य अपने अपने कार्य के लिए चाहेंगे तो कैसे होगा ?

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यह 20 रुपये की वृद्धि उनकी जेबों में नहीं जायेगी बल्कि वे इस धन से अपने लिये वे सुविधायें जुटायें जो उन्होंने सरकार से मांगी हैं । इसी सद्भाव से हमने यह विधेयक पेश किया है । इस प्रकार हम संसत्सदस्यों की कार्य क्षमता में सुधार करना चाहते हैं । हम नहीं चाहते कि इस सभा पर केवल कुछ ही धनिक व्यक्तियों का एकाधिकार रहे । हम चाहते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी आराम से सभा में आये और इसके लिये हमें उसे आवश्यक सुविधाये देनी हैं । इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा तथा वह व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये कार्य भी कर सकेगा ।

मैं जानता हूं कि कई विषयों पर या इस विधेयक पर हम में विचार वैभिन्य हो सकता है परन्तु यह कहना गलत है कि कांग्रेस लोगों को लूट रही है । मैं निवेदन करूंगा कि आप इस भावना को भी समझें जिस भावना से सरकार ने इस विधेयक को पेश किया है । यहां प्रश्न न्यूनतम सुविधायें देने का है और इसीलिये यह वृद्धि करने का विधेयक पेश है ।

Mr. Chairman : Now, I put amendments Nos, 1, 9, 10, 20 and 52 for the vote of the House,

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I want separate voting on my amendment No. 1.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

'कि 15 नवम्बर, 1969 तक जनमत संग्रह करने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जाये ।''

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok-Sabha divided

पक्ष में 38 : विपक्ष में 182

Ayes 38 : Noes 182

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9,10,20 तथा 52 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराज गंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री तु० मु० सेठ (कच्छ) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नीतिराजसिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपने संशोधन संख्या 36 तथा 37 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्दू (बालासौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 49 और 50 प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Chairman : The amendment No. 51 put by Shri P. G. Sen is out of order. Those who want to speak should do so with dignity so that the people outside this House may realise that the Parliament Session is going on here.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, today we are going to increase the allowance of M. Ps. to Rs. 51/-per day. This is what which will give a new definition to a Member of Parliament, Shri Masani's suggestion to place this Bill before a Commission for 16 days has not been accepted. The case of 22 lakhs of Govt. employees is with the National Commission for Labour and if that case is not decided in favour of Govt. employees and on the other hand, the allowances of Members of Parliament are increased, the employees would surely develope the opinion that the lawmakers make laws for others only and not for themselves.

Today about 2.5 lakh of jute workers are on strike and are demanding wage increase. But the Govt., is busy in increasing the allowances of M. Ps. only, Why the M. Ps. do not say that they do not want an increase in their pay ? I do not say that the Members of Parliament do not have any inconvenience. I do realise it. We do have several diffiuulties. But if we increase allowances, the people would say :

An M. P. means Rs. 500/-a month,

With a job of saying "yes" or "no".

Get allowances of Rs. 51/-per day

And a dinner in Rashtrapati Bhavan.

That is why I oppose this Bill. When the Government employees asked for an increase in their pay and allowances, they got bullets, but here we are gladly prepared to increase our own salaries.

In principle, I oppose this Bill. Con't think that I am getting money form Russia or China. I am sure we can very well manage within what we are getting at present.

Some Members had asked for certain amenities and we are getting money in lieu thereof. But I know, this money would not be utilised for those amenities. They will purchase ornaments and thus block the circulation of the money.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajgani) : My amendment is vry simple. I do not blame anybody here. But in this connection I want to say that the hon. Members should understand the difficulties of the members. There are some members in all the parties who are poor and there are some who are rich. I am talking of all Members here. The rich ones do not mind whether it is Rs. 31/-or Rs. 51/-, There may be some Members who are prepared even to pay Rs. 500/-from their own pocket to get this coveted post. But there are many Members who have a family to manage and they need money to do so. Besides that, theare are hon. Members who do not have such a burden and are quite capable of spending Rs. 15 to Rs. 20 a day on tea etc. But all are not alike.

It is evident that they cannot do all this in Rs. 500. It means that they have got some other means also. They might be getting assistance from Trade Unions and from such persons who want to help them. For such persons there is no difficulty and they will be ready to come here by paying Rs. 500 from their own pocket.

The difficulty is for them who do not have all these means and such people are in every Party.

The hon. Members who do not want, They should not accept increase in daily allowances, There is no restriction on them. But why the law should be changed for them ? The Chief Whip has stated that there is always a provision in the law that a person can leave and reduce what he should get but he cannot increase that. The hon. Member who do not need, can say that he does not want these facilities. Many of our Ministers and Presidents made reduction in their pay etc. of their own without any law. Who can check the hon. Members from doing so.

श्री तु० मु० सेठ (कच्छ) : मेरा संशोधन औचित्य के आधार पर है। हर जगह यह उद्धत किया गया है कि जब कभी किसी से कोई चीज सम्बन्धित है तो उसे उसको न्याय-निर्णयन के लिए दूसरों पर छोड़ देना चाहिये, इसलिए, मैंने यह संशोधन सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है, उपलब्धियों सुविधाओं आदि का प्रश्न तीन व्यक्तियों की एक समिति को सौंपा जा सकता है। उनमें से एक सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये, दूसरा संसद का भूतपूर्व सदस्य होना चाहिये और तीसरा सदस्य या तो महालेखापाल होना चाहिये या कोई और। यह कहा जाता है कि न केवल न्याय किया जाना चाहिये बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि न्याय किया जाता है। अपने मामले के सम्बन्ध में हमें भी लोगों को ऐसा महसूस कराना चाहिये कि न केवल हम ठीक कार्य कर रहे हैं, बल्कि ठीक कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए मैंने इस संशोधन को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया है।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : सभापति महोदय, मैंने इस खण्ड के बारे में दो संशोधन पेश किये हैं, एक संशोधन तो यह है कि 51 रुपये के स्थान पर 30 रुपये रखे जांय। दूसरा संशोधन यह है कि यह दैनिक भत्ता उन सदस्यों को नहीं मिलना चाहिये जिनको अन्य व्यवसाय से 2,000 रुपये प्रतिमास की अतिरिक्त आय हो जाती है।

हमें याद रखना चाहिये कि हम संसद सदस्यों को अपने भत्ते, सुविधाओं तथा विशेषाधिकारों को बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार है, इसलिये, जब हम इस मामले पर चर्चा करते हैं तो हमको वित्तीय लाभ पहुंचाने वाले कानून को प्रस्तुत करने में बहुत सावधान होना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने हमें यहां भेजा है वे अन्तिम न्याय करने वाले हैं। भारत में, कम से कम जिस राज्य से मैं आता हूं उसमें 25 प्रतिशत लोगों की दैनिक प्रति व्यक्ति आय 15 पैसे है ऐसी परिस्थितियों में इस मामले में हमें बहुत सावधान होना चाहिये।

{ श्री प्रकाश वीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri *in the Chair* }

मैं स्वीकार करता हूं कि सदस्यों को यहां जो पैसा मिलता है वह पर्याप्त नहीं है, मेरी गणना के अनुसार हमें प्रतिमास महंगाई भत्ते सहित 700 और 900 रुपये के बीच मिलता है। जब हम कहते हैं कि 1000 रुपये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि हमें किस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। मंत्री महोदय ने कहा कि हमें अपने लिए एक अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिये, अच्छे जीवन स्तर में एक बड़ा बंगला, एक सुन्दर कार, ऐसे ही अन्य लाभ भविष्य की सुरक्षा, ऐसी ही और बहुत सी सुविधाएं आ जाती हैं। अच्छे जीवन निर्वाह के लिए यहां कोई नहीं आया है। हम यहां लोगों की सेवा के लिए आये है। 90% जनता कष्ट भोग रही है। विश्व स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट के अनुसार हमारी दो तिहाई जनता बिना भोजन किये सोती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें तब तक अपने लिए अच्छे जीवन निर्वाह की बात नहीं करनी चाहिए जब तक हम जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको अच्छा जीवन स्तर न दे दें। ऐसा कहा गया है कि यहां विभिन्न व्यवसायों के सदस्य आते हैं जो अपने व्यवसाय से 30 हजार, 40 हजार

अथवा 50 हजार रुपये कमाते हैं। वे सभा की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते। वे दोनों में से एक चीज चुन सकते हैं या तो संसद सदस्य रहें या अपना व्यवसाय करें। यह सभा उनको अच्छा जीवन स्तर देने के लिए नहीं है। यही भौतिक प्रश्न है। मैं जानता हूं जो भत्ते और पैसे मुझे मिलते हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन जो सुविधाएं हमें मिलती हैं उनके बारे में अनेक लोगों की अजीब सी कल्पनायें हैं। एक मित्र ने मुझे बताया कि हमें मुफ्त मकान, मुफ्त विमान यात्रा और मुफ्त टेलीफोन आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं। कम से कम इस प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिये। इसके बजाय कि हम इन परिलब्धियों को बढ़ाने का प्रयत्न करें, मैं महंगाई भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं जब तक कि हम अपने देश के सैकड़ों, हजारों तथा लाखों लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर न दे दें। गांधी शताब्दी वर्ष में भी गांधीजी के भक्त ऐसी बात कहते हैं कि जब तक हमें पर्याप्त भत्ते नहीं दिये जायेंगे तब तक हम भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते रहेंगे, इससे अधिक लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। उन लोगों ने देखा है कि गांधीजी कितना साधारण जीवन व्यतीत करते थे, कांग्रेस अपने सदस्यों को नैतिक प्रशिक्षण न दे सकी, क्या श्री रघुरामैया उनके भत्तों में 20 रुपये की वृद्धि करेंगे। जिनकी आय 2000 रुपये है उनको यह दैनिक भत्ता नहीं मिलना चाहिये, कुछ अन्य सदस्य कहते हैं कि सदस्यों की तीन-चार श्रेणियां हैं, कुछ के पास दो या तीन निजी सहायक हैं और वह उनकी सलाह से लाभ उठाते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य अथवा निजी व्यवसाय से उनको जो लाभ होता है, और जितना यह संसद कार्य में प्रतिबिम्बित होता है उतना भत्ता उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। कई मित्र पूछते हैं कि तुम 2000 रुपये पर सीमा क्यों निर्धारित करते हो, इसे 1500 रुपये क्यों नहीं करते। मुझे खुशी होगी यदि सरकार कम से कम 2000 रुपये के आंकड़े को स्वीकार करले, श्री तापड़िया अथवा श्री मोदी जैसे अनेक सदस्य हैं जो पैसा न लेने के लिए मान जायेंगे, क्योंकि उनकी आय 2000 रुपये से अधिक है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मेरा संशोधन स्वीकार करें। हम सुख-साधन को नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, साउथ एवेन्यू में लगभग 200 संसद सदस्य रहते हैं, यदि बीस आशुलिपिकों को वहां नियुक्त किया जाय तो वे सदस्यों की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary (Hoshangabad) : Mr. Chairman, Sir I have felt that we the representatives of the people here do not take interest in the proceedings of the Parliament, and sit in the Central Hall for idle jossips. Most of us remain outside Delhi during session period and sign the register all in fourteen days for claiming Daily Allowances.

I have moved this amendment to stop this. My amendments is :

"For each day a memeber attends Parliament and also for the weekend and other holidays intervening between sittings of Parliament."

I hope my amendment will be accepted.

Shri Geroge Fernandes : (Bombay South) : Mr. Chairman, Sir, I am moving my amendment No. 21. I was worried when I heard the hon. Minister stating that the pay and allowances should be increased so that the members may be able to work

here properly and may be able to maintain the decent living they should have. Shri Raghu Ramaih is an old congress member. He should know that people suffered and sacrificed themselves in the struggle for independence. Their contribution in making the Conntry is not less than the uncontribution of the Members sitting here It does not look nice when the hon. Minister takls about decent living for Members.

Gandhiji's views were that the pay of the Ministers should be Rs. 500.

According to my amendments the daily allowance should be reduced. I submit that the important part of my amendment shoul be accepted. In to day's debate every Member who spoke had the view that every Member should have a decent living. If this Government and other supporting Members of this Bill accept this, the Clause I of my amendment should be accepted which say that the retired I.C.S. who have got the pension or who gets pension to-day, should not be allowed to take, this increased allowance.

I have also suggested that the Members who have got their own cars and spends Rs. 500/-on that, should also not taken this allowance.

Such Members who have got property worth Rs. one lac, in any form, should also not accept this increased allowance.

My fourth amendment is that there is no justification for granting increased dearness allowance to those who pay Rs. 1,000 as annual income tax.

My fifth amendment is that the Members, who are directors of foreign or indigenous companies and get allowances from the company should also not take their increased allowance.

श्री रघुरामैया : सभापति महोदय, सदस्यों द्वारा उठाये गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, श्री कुन्दू ने सदस्यों के लिए "अच्छे जीवन स्तर की व्यवस्था" की बात कही है। मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है कि मैंने "अच्छे" शब्द का प्रयोग किया है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो यह इसके प्रतिकूल अर्थ वाले शब्द सामान्य के बराबर है मैंने यह स्पष्ट किया था कि हमारा मतलब गुजारा करने से है, मैंने यह बात स्पष्ट की थी कि सरकार, का इरादा दैनिक भत्ते को 31 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये करने का इसलिये है कि वह उसमें अनेक सुविधाओं को सम्मिलित करना चाहती है जिनके लिए समिति के सदस्यों ने स्वयं सिफारिश की है। अतः किसी को जितना देना चाहिये उसे अधिक देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में प्रश्न उठाया। उनको मालूम है कि सरकार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कितना कुछ रही है। श्री जार्ज फरनेन्डीज ने भूतपूर्व सिवीलियन अधिकारियों, भूतपूर्व असैनिक सेवा अधिकारियों तथा धनिकों और निर्धनों की कतिपय अन्य श्रेणियों के बीच अन्तर दिखाने का प्रयत्न किया है, हमने वर्तमान अधिनियम में ऐसे आदर्श को अपनाया है जो इस प्रकार का अन्तर नही करता है। मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 15, 16, 21, 36, 37, 49 और 50 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendment Nos 2, 15, 16, 21, 36, 37, 49 and 50 were put and negatived,

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Mr. Chairman : Now we take section 3.

श्री यशवन्तसिंह कुशवाह (भिंड़) : मैं अगला संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 39 और 40 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Yeshwant Singh Kushwah : I have suggested in my admendment that a third class pass should also be given with a First class Railway Pass so that attendant could also accompany M. Ps. and I think it will be accepted.

I have desired that a solution should be find out of the difficulties faced by Members of the Parliament in getting retiring room at the Railway Stations, Besides they should also get the Bus Pass facility.

Shri Abdul Gani Dar : I think that if we workout the details the rate comes to Rs. 61/-and not Rs. 51/-. The railway employees have opportunities to take along their families anywhere in India four times in a year. It would be beneficial if M. Ps. are also allowed to take along with them their families anywhere in India atleast once a year. It will help bringing about National Integration.

I also support the demand for 3rd class passes.

Shri Derao Patil (Yeatmal) : I prepared an amendment that Members may be allowed to take along with them one attendent in 3rd class compartment.

I have also moved a amendment that the Members are allowed to take along with them one attendent when they come to attend the meeting of Railway Zonal

office. But they are not allowed to have one attendent when coming to attend the Parliament Session. This dircrimination should be removed. I do not want that provision should be made far travel by air. In this connection, I have suggested that he may be allowed to travel with one attendent free in 3rd class, The Government should accept that amendment.

श्री रघुरामैया : कुछ सदस्यों का मत है अधिक भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ सदस्य और सुविधाएं चाहते हैं। सरकार ने मध्य मार्ग का निर्णय लिया है। इसलिए मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

Mr. Chairmen : The question is "that clause 3 may " stand part of the bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री रा० की० अमीन (ढंढक) : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2 पंक्ति 5 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Insertion of new section 6A." 4. After Section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:–

"Travel facilities to members," 6A. Without prejudice to the other provisions of this Act, every member shall be entitled .–

53

(i) to travel by air at any time from any place in India to any other place in India on payment of the difference between the air fare and the first class railway fare for the journey between the aforesaid places ;

"(ii) to travel by any railway in India at any time in first class air-conditioned on payment of the difference between the railway fares for first class air-conditioned and first class ; and

(iii) to one free third class railway pass for one person to accompany the member when he travels by rail :

Provided that where a member performs a journey under clause (i), then, for the purpose of section 4 and 5 he shall be deemed to have performed such journey by rail :

Provided further that where a member travels by rail in first class air-conditioned and no person accompanies that member in that journey in third class, by virtue of the free third class railway pass referred to in clause (iii), then, in determining the amount payable by the member under clause (ii), the amount of third clsss fare for such journey shall be deducted from the difference referred to in that clause,"

नई धारा 6क का रखा जाना"

4. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्न धारा रखी जायेगी

"सदस्यों को यात्रा सुविधाए"

"6 (क) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के होते हुए, प्रत्येक सदस्य को निम्न अधिकार होगा।

(i) भारत में किसी स्थान से किसी अन्य स्थान को विभिन्न भाड़े तथा प्रथम श्रेणी के रेल किराये के अन्तर का भुगतान करने के उपरोक्त स्थान के बीच की यात्रा के लिए विमान द्वारा यात्रा का अधिकार ;

(ii) भारत में किसी भी रेलवे द्वारा किसी भी समय प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे तथा प्रथम श्रेणी रेल किराये के अन्तर का भुगतान करके यात्रा करने का अधिकार ;

(iii) एक व्यक्ति के लिये जो सदस्य के साथ रेल यात्रा कर सके तीसरे दर्जे के पास का अधिकार परन्तु जब कोई सदस्य खण्ड (i) के अन्तर्गत यात्रा करे तो धारा 4 और 5 के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उसने यह यात्रा रेल द्वारा की है, परन्तु जब कोई सदस्य प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करे और खण्ड (iii) के उल्लिखित निःशुल्क तीसरी श्रेणी के रेलवे के द्वारा कोई भी व्यक्ति उसके साथ तीसरी श्रेणी में यात्रा करे तो खण्ड (ii) के अन्तर्गत सदस्य द्वारा देय राशि निश्चित करने के लिये ऐसी यात्रा का तृतीय श्रेणी का किराया उस खण्ड में उल्लिखित किराये के अन्तर से निकाल दिया जायेगा।"

Shri S. M. Banerji : Sir I want to say that the Part I of the amendment No. 53 is allright but the second Part is redimdent.

{ श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair* }

Part (ii) provides that if M. Ps. want to travel by first class air-conditioned they may do so by playing difference between the fares from first class air-coaditioned and first class. I feel that he should withdraw it.

श्री सोनावने (पन्ढरपुर) : सरकारी संशोधन संख्या 53, भाग (i) के बारे में मेरा निवेदन है कि सदस्यों को विमान से यात्रा करने की पर्याप्ति सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं उन्हें और बढ़ा कर करदाताओं पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहिये। यह सुविधा हमारे कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक नहीं है।

अतएव मेरा सुझाव है संशोधन संख्या 53 से भाग (i) हटा दिया जाये।

श्री रा० की० अमीन : मैं श्री सोनावने के इस कथन से सहमत हूं कि विमान भाड़े और प्रथम श्रेणी के रेल किराये के अन्तर का क्या भुगतान करके विमान द्वारा यात्रा करने की सुविधाओं का केवल धनी व्यक्तियों द्वारा अथवा दल के नेताओं द्वार दल के कार्यों के लिये लाभ उठाया जायेगा सामान्य संसद सदस्य विमान द्वारा यात्रा के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे। मेरा एक सुझाव है। विमान द्वारा यात्रा पर किये जाने वाले खर्च की व्यवस्था करने के स्थान पर यदि सरकार सदस्यों के साथ यात्रा करने के लिये उनके परिवार व सदस्यों के लिये निःशुल्क तीसरी श्रेणीके पास अथवा प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त टिकट की व्यवस्था कर दे, तो यह अधिक अच्छा होगा। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपने संशोधन से इस भाग को निकाल देंगे अथवा वह मेरे संशोधन संख्या 44 को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रघुरामैया : जहां तक श्री बनर्जी द्वारा उठाई गई बात का सम्बन्ध है मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि इसकी रेलवे नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है। लेकिन अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। अब हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, यदि यह आम राय है तो आपकी अनुमति से मैं खंड (i) को निकाल दूंगा। इसलिये कुछ अनुषगिक परिवर्तन करने पड़ेगें और प्रथम परन्तुक समाप्त हो जायेगा। खण्ड (ii) खण्ड (i) एक बन जायेगा और खण्ड (iii) खंड (ii) बन जाएगा। दूसरे परन्तुक में "अग्रेतर" शब्द निकाल दिया जायेगा मैं इन परिवर्तनों के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब सभा की अनुमति से माननीय मन्त्री द्वारा परिवर्तित रूप में संशोधन संख्या 53 को रखूंगा। प्रश्न यह है।

पृष्ठ 2-पंक्ति 5 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: —

'Insertion of new section" 4.After section 6 of the principal Act, the following section shall be insterted, namely :--

"Travel facilities to members. 6A. Without prejudice to the other provisions of this Act, every member shall be entitled-

(i) to travel by any railway in India at any time in first class air-conditioned on payment of the difference between the

railway fares for first class air-conditioned and first class ; and

(ii) to one free third class railway pass for one person to accompany the member when he travels by rail :

Provided that where a member travels by rail in first class air-conditioned and no person accompanies that member in that journey in third class, by virtue of the free third class railway pass referred to in clause (ii) then indeterminidg the amount payable by the member under clause (i) the amount of third class fare for such journey shall be deducted from the difference referred to in that clause."

[4. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात निम्न धारा रखी जायेगी

"नई धारा 6 क का रखा जाना"

6क. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के होते हुए प्रत्येक सदस्य को निम्न अधिकार होगा:-

"सदस्यों को यात्रा सुविधायें"

(i) भारत में किसी भी रेलवे द्वारा किसी भी समय प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे तथा प्रथम श्रेणी के रेल किराये के अन्तर का भुगतान करके यात्रा करने का अधिकार ;

(ii) एक व्यक्ति के लिये जो सदस्य के साथ रेल यात्रा कर सके तीसरे दर्जे के पास का अधिकार ;

परन्तु जब कोई सदस्य प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करे और खड (ii) में उल्लिखित नि:शुल्क तीसरी श्रेणी के रेलवे पास के द्वारा कोई भी व्यक्ति उसके साथ तीसरी श्रेणी में यात्रा न करे, तो खंड (i) के अन्तर्गत सदस्य द्वारा देय राशि निश्चित करने के लिये ऐसी यात्रा का तृतीय श्रेणी का किराया, उस खंड में उल्लिखित किराये के अन्तर से निकाल दिया जायेगा ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, it is 6.00 p. m. now. You may kindly put it for tomorrow.

Mr. Chairman : It is to be furnished today.

Shri Rabi Ray : It was not decided to extend the time of the House. Therefore, you may adjourn the House. It may be taken up tomorrow.

Mr. Chairman : I am extending the time of the house by one hour.

Shri Madhu Limiye : We are not prepared to sit late.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि आप इस प्रकार से इन को मतदान के लिये रखेंगे तो यह हमारे लिये न्याय संगत नहीं होगा । खंडों को स्वीकार किया जा चुका है । यदि कल इस विधेयक पर आधे घंटे का समय लग जायेगा, तो कौनसा आसमान गिर जायेगा ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुद्धवार 6 अगस्त, 1969/15 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adourned till Eleven of the clock on Wednesday, August 6, 1969/ Sravana 15, 1891 (Saka)

मुद्रक:— डाइमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर—3